मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)

(सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता सहित)

Bachelor of Social Work (Second Year)

(With Specialization in Community Leadership)

मॉड्यूल–14 (2)

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका

(Practical Work Manual)

ग्रामीण विकास के कार्यक्रम एवं पंचायतीराज व्यवस्था

प्रायोजक

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद

संचालन

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय

चित्रकूट, सतना (म.प्र.) - 485334

स्व–निर्देशित अध्ययन सामग्री
Self -Instructional Learning Material

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मॉड्यूल-14 (2)

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका
Practical Manual

ग्रामीण विकास के कार्यक्रम एवं पंचायतीराज व्यवस्था

समाजकार्य स्नातक पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष)
नेतृत्व विकास में विशेषज्ञता सहित

Bachelor of Social Work (Second Year)
With Specialization in Community Leadership

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट
जिला-सतना (मध्यप्रदेश) - 485334

प्रायोगिक कार्य निर्देशिका (Practical Work Manual)

अवधारणा एवं रूपरेखा :– संस्करण 2017

बी.आर. नायडू , आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

अशोक शाह, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव

प्रेरणा :–

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम, कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

परामर्श :

डॉ. टी. करुणाकरन, पूर्व कुलपति

जयश्री कियावत, आई.ए.एस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण

उमेश शर्मा, कार्यपालन निदेशक, मध्यप्रदेश जन–अभियान परिषद

संकलन एवं लेखनः–

सचिन कुमार जैन, विकास संवाद, भोपाल

राकेश कुमार मालवीय, विकास संवाद, भोपाल

संपादन

डॉ. अमरजीत सिंह

डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास

सहयोग

विकास संवाद, मध्यप्रदेश, स्पंदन)खंडवा(और यूनीसेफ

मुद्रक एवं प्रकाशकः–

ग्रामोदय प्रकाशन के लिए कुलसचिव

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

जिला–सतना (मध्यप्रदेश) – 485334, दूरभाष– 07670–265411

सम्पर्क :

डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक एवं लिंक अधिकारी

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (मध्यप्रदेश)

ई–मेल– cmcldpcourse@gmail.com, मोबाइल– 9424356841

श्री आर. के. मिश्रा, राज्य सलाहकार (यूनिसेफ) सी.एम.सी.एल.डी.पी.

ई–मेल– rkmishraguna@gmail.com, मोबाइल– 9425171972

डॉ. प्रवीण शर्मा, टॉस्क मैनेजर म.प्र. जन अभियान परिषद्

ई–मेल tmprajapbho@mp.gov.in मोबाइल– 9425301058

आभारः– इस पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री अनेक स्रोतों, व्यक्तियों के अनुभव और संस्थाओं के प्रकाशनों एवं वेब साइट्स पर उपलब्ध सामग्री के सहयोग से तैयार की गई है। पाठ्यक्रम के परामर्शदाताओं का अनुभव और सुझाव भी इसमें शामिल है। सभी के प्रति आभार।

पुस्तिका की सामग्री

(ग्रामीण विकास के कार्यक्रम एवं पंचायत राज व्यवस्था)

पृष्ठभूमि

सतत विकास लक्ष्य एवं ग्रामीण विकास

टिकाऊ विकास लक्ष्य में गरीबी को दूर करने पर मुख्य ध्यान रखा गया है। गरीबी से लड़ने एवं टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें गांवों के विकास पर जोर देना होगा। लक्ष्य को निर्धारित करना किसी कार्रवाई या योजना का पहला कदम है। इन लक्ष्यों को पाने के लिए अच्छी नीति, पर्याप्त वित्त पोषण और निगरानी का तंत्र भी तैयार करना जरूरी है। इस काम में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। समुदाय, युवा एवं छात्र मिलकर सार्वजनिक नीतियों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं व गांव की तरक्की में सहयोगी बन सकते हैं। युवाओं के नेतृत्व से ग्रामीण क्षेत्र में विकास पर एक सार्थक चर्चा एवं बहस शुरू हो सकती है तथा सकारात्मक माहौल बन सकता है।

ग्रामीण विकास का सामान्य अर्थ गांवों की तरक्की से है और यह सतत विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। गांवों की हालत में असंतोषजनक स्थितियों से बाहर निकलकर बेहतर स्थिति को प्राप्त करना ही ग्रामीण विकास है। ग्रामीण विकास का उद्देश्य लोगों की आवश्यकता और आशाओं को पूरा करना है, जिनकी उन्हें लम्बे समय से उम्मीद है। ग्रामीण विकास को एक लक्ष्य के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक तथा सांस्कृतिक आयाम हो। इसका मतलब वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों का जीवन स्तर सुधारना है और उन्हें आपस में मिलजुलकर रहने के योग्य बनाना है। ग्रामीण विकास की बुनियाद सामाजिक न्याय है, लोगों को यह विश्वास होना चाहिए कि उन्हें न्याय मिलेगा। साथ ही संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी ग्रामीण विकास का हिस्सा है। युवा एक साथ आकर स्थानीय परिस्थितियों का विश्लेषण कर सकते हैं और उसके अनुरूप विकास की अवधारणा बनाने में पहलकारी कदम उठा सकते हैं।

आजादी के बाद से खेती और उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, पर कुछ दशकों के बाद ही यह महसूस किया जाने लगा कि गांवों के विकास के लिए केवल खेती का उत्पादन एवं उद्योग को बढ़ाने के बजाय ग्रामीण जनसंख्या की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एवं उनकी जरूरतों को भी ध्यान रखना आवश्यक है। साथ ही यह भी कि विकास में समुदाय की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना जरूरी है। यह सहभागितापरक कार्य है यानि लोगों को योजना तैयार करने तथा उसे लागू करने से जुड़े सभी मुद्दों पर अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही स्थानीय स्तर पर विकास के कामों के मूल्यांकन एवं जांच का काम भी लोगों के ही हाथों में होना चाहिए।

सतत विकास लक्ष्य एवं ग्रामीण विकास योजनाएं

ग्रामीण विकास को गति देने के लिए विकास योजनाएं चलायी जाती हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, दूरसंचार, आवास, पेयजल एवं स्वच्छता में बढ़ोतरी होती है, साथ ही आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय का स्तर बढ़ता है। विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना एवं ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

सतत विकास लक्ष्य 2030 मानव समाज को गरीबी व अभाव, अन्याय से मुक्त करने व मानव जीवन को महफूज रखने के लिए कृत संकल्पित है। इस दृष्टि से ग्रामीण विकास योजनाएं सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। यह सतत विकास के तीन आयामों आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने व विकास में लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय को बढ़ाने में भूमिका अदा कर रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य भी सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। अन्य कार्यक्रम तथा संवैधानिक व्यवस्थाएं एवं अधिनियम भी गरीबी व भूख को दूर करने, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराने पर केन्द्रित हैं ताकि सबको फलने फूलने का न्यायसंगत अवसर मिल सके।

पंचायतराज व्यवस्था के तहत पंचायतों को गांव के विकास के लिए 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय सौंपे गये हैं, जिन पर पंचायतें योजना बनाकर काम करती है। इन विषयों में गरीबी दूर करना, अधोसंरचना, आवास एवं पेयजल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि एवं लघु सिंचाई, लघु वनोपज, पशुधन, मत्स्य पालन, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, कुटीर उद्योग, चरागाह विकास, बाजार एवं मेलों का प्रबंधन आदि शामिल हैं। इन विषयों पर गौर करे तो साफ जाहिर होता है कि पंचायतों एवं सतत विकास लक्ष्य के जुडवा उद्देश्य हैं यानि दोनों के उद्देश्यों में काफी कुछ समानता है। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के कई फ्लेगशिप कार्यक्रम एवं केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित होती हैं।

यहां हम ग्रामीण विकास योजनाओं की सतत विकास लक्ष्य में भूमिका को समझने का प्रयास करते हैं –

लक्ष्य	**सतत विकास लक्ष्य**	**सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में सहयोगी ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम**
पहला	पूरे विश्व से हर तरह की गरीबी को खत्म करना चाहे वह किसी भी रूप में हो	• राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राज्य आजीविका फोरम • मुख्यमंत्री युवा रोजगार व मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन • मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम 2017
दूसरा	भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और सतत कृषि को बढ़ावा	• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मध्यप्रदेश • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
छठवां	सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उनका सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना	• ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम • स्वच्छ भारत अभियान

सातवां	सभी के लिए **सस्ती,** विश्वसनीय, सतत और आधुनिक उर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना	• मुख्यमंत्री सोलरपंप योजना • दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
आठवां	सभी के लिए निरंतर, समावेशी तथा सतत आर्थिक विकास, पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार एवं बेहतर कार्य का बढ़ावा देना	• राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राज्य आजीविका फोरम
नौवां	लचीला एवं बुनियादी ढांचा स्थापित **करना, समावेशी तथा** सतत औद्योगीकरण को **बढ़ावा देना** एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना	• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मध्यप्रदेश
तेरहवां	जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना	• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मध्यप्रदेश
पंद्रहवां लक्ष्य	स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों की रक्षा, बहाली तथा उनके विवेकपूर्ण उपयोग एवं वनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना, मरूस्थलीकरण पर काबू पाना, भूक्षरण को रोकना और भूमि संरक्षण की ओर बढ़ना तथा जैव विविधता के बढ़ते ह्रास को विराम देना	• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मध्यप्रदेश • पंचायतराज का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार – पेसा कानून

उपरोक्त सभी लक्ष्यों से संबंधित योजनाओं को लागू करने, उनके क्रियान्वयन में पंचायतराज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायत अपने क्षेत्र के समग्र विकास हेतु आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाती है और उसे लागू करती है।

पंचायतराज संस्थायें स्वशासन एवं विकास की स्थानीय ईकाई हैं। इस नजरिये से देखें तो सतत विकास लक्ष्य के अन्य लक्ष्यों (3, 4, 5, 12, 16 जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, उत्पादन, शांति एवं समावेशी समाजों, न्याय तक पहुंच आदि) में भी पंचायतों की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखायी देती है। पंचायत की योजनाओं एवं कार्यक्रमों में, उनकी निगरानी एवं मूल्यांकन में इस बात पर जोर होता है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले। सबके लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा में पंचायतों की निगरानी में भूमिका है।

सतत विकास व्यापक समाज के हितों को प्रभावित करते हैं, साथ ही कई विकास कार्यों से हमारे परिवेश को नुक्सान भी हो रहा है। अतः हमें अपने विकास के स्वरूप कों ऐसा गढ़ना होगा जिससे हमारा परिवेश सतत बना रहे और जीवन सुरक्षित रहे। यह समझना जरूरी है कि सतत विकास लक्ष्यों को आधार बनाकर

हम विकास की योजनाएं तैयार करें, पर इसमें लोगों को साझीदार बनायें ताकि बड़े संकटों का सामना न करना पड़े।

अतः इन योजनाओं के लक्ष्यों को पाने के लिए अपनायी जा रही रणनीतियों में युवाओं को शामिल करना बेहद जरूरी है। मिलेजुले प्रयासों एवं प्रभावकारी युवा साझेदारी इन लक्ष्यों को साकार करने में आधार प्रदान करेगी तथा युवा इन लक्ष्यों से जुड़कर सशक्त एवं राजनैतिक प्रक्रियाओं में भागीदार बन सकेंगे। इससे करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आयेगा एवं हम अपने लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे। आइये जानते हैं कि मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास की कौन सी योजनाएं चलायी जा रही हैं।

अनुभव यह बताता है कि भारत में जहाँ भी समाज ने स्थानीय निकायों यानी पंचायत और ग्राम सभा के जरिये खुद नेतृत्व लिया है, अपनी प्राथमिकताएं खुद तय की हैं और क्रियान्वयन की सजग निगरानी की है, वहाँ सामाजिक बदलाव की परिणामदायक प्रक्रिया चली है।

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण मकसद यही है कि शासन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को वास्तव में एक सामुदायिक व्यवस्था का रूप दिया जा सके। हमें यह मानना होगा कि समाज खुद विकास की योजना बना भी सकता है और उसकी जिम्मेदारी भी ले सकता है। वह सक्षम है। जब तक समुदाय खुद पंचायतों और नगरीय निकायों में नेतृत्व नहीं लेगा, तब तक सतत विकास लक्ष्य हासिल नहीं किये जा सकेंगे। यदि समुदाय नेतृत्व नहीं लेगा, तो केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था ज्यादा प्रभावी होगी। निर्णय गांव में नहीं, कहीं और लिए जायेंगे, जो योजनाएं बनेंगी, वे स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं से जुड़ी हुई नहीं होंगी। ऐसा होगा तो विकास केवल कागजी होगा।

इस पाठ्यक्रम में हमें दो नजरिए से भूमिका निभाना है – एकः लोगों को उनके हक मिलें, वंचितपन को खतम करने के लिए हाशिए पर रहने वाले लोगों के पक्ष में खड़े होने के लिए युवाओं का एक समूह तैयार हो, योजनाओं का सही–जवाबदेह क्रियान्वयन हो; दो : हमारी व्यवस्था (पंचायत राज और शहरी निकाय व्यवस्था) को अपनी भूमिका निभाने का स्थान मिले, हम उसे सशक्त बनाएँ ताकि सामाजिक बदलाव और विकास की प्रक्रिया स्थानीय स्तर से उभार ले।

परिवर्तन के संकेतक

जब हम समुदाय के साथ काम करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम किन मुद्दों पर काम करना चाहते हैं और समुदाय में किस तरह के अपेक्षित बदलाव की उम्मीद करते हैं। इन बदलाओं के लिए हम जो गतिविधियां या हस्तक्षेप समुदाय के बीच करेंगे, उनका असर समुदाय में किस तरह दिखायी देगा। सामुदायिक विकास के कामों में किये गये सभी कामों व गतिविधियों का प्रत्यक्ष रूप से सीधा असर नहीं दिखायी देता है, कई कामों एवं गतिविधियों के दूरगामी परिणाम होते हैं जिसे समझने के लिए शोधपरक विधियों का सहारा लेना पड़ता है। पर इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि हम सामुदायिक काम के नतीजों का आकलन नहीं कर सकते। कुछ कामों एवं गतिविधियों के नतीजे साफतौर पर दिखायी पड़ते हैं एवं यह मापनीय भी होते हैं।

जिन बदलावों को हम माप सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ संकेतकों को उपयोग करना होगा ताकि हम उन संकेतकों के आधार पर मजबूती से कह सकें कि यह बदलाव हमारे द्वारा की गयी गतिविधियों या कामों को नतीजा है। यह संकेतक कुछ इस तरह से हो सकते हैं –

प्रायोगिक/क्षेत्र कार्य के पहले एवं बाद की स्थिति

क्र.	बदलाव के संकेतक	हस्तक्षेप के पूर्व की स्थिति	हस्तक्षेप के बाद की स्थिति	क्या परिवर्तन हुआ
1	कितने बेघर या आवासहीन परिवारों को आवास मुहैया कराया गया			
2	पहुंच विहीन गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना			
3.	कितने जरूरतमंद या काम की मांग करने वाले मजदूरों को काम दिलाना			
4.	कितने मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया गया			
5.	कितनी असिंचित जमीन को सिंचित क्षेत्र में विस्तार किया गया			
6.	कितने ग्रामीण लोगों/परिवारों को रोजगार/कुटीर एवं लघु उद्योगों से जोड़ा गया			
7.	कितने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया			
8.	कितने घरों में मल का सुरक्षित निपटान यानि शौचालय निर्माण एवं उपयोग सुनिश्चित हुआ			
9.	समस्याग्रस्त बसाहटों में पेयजल हेतु हैंडपंप या नलजल योजना का लाभ कितने परिवारों को मिला			
10.	कितने सोलर पंप की स्थापना हुई			
11.	कितने परिवारों को दीदयाल उपाध्यान ग्राम ज्योति योजना से जोड़ा गया			
12.	ग्राम समितियों एवं ग्राम पंचायत की नियमित बैठकें			
13.	ग्रामसभा में भागीदारी बढ़ाना			

14.	गांव की विकास योजना एवं उसमें लोगों के मुद्दे शामिल होना			
15.	अन्य			

उपरोक्त बिंदुओं को अपनी रिपोर्ट में शामिल करें एवं किये गये कार्यों को मजबूती से रखने के लिए साक्ष्य (बैठकों या संवाद के फोटो, मीटिंग रजिस्टर एवं प्रस्तावों, आवेदनों की प्रति आदि) भी प्रस्तुत करें। इनके अलावा भी कुछ संकेतक आप अपने अनुभव एवं कार्य के आधार पर भी बना सकते हैं एवं प्रतिवेदन में शामिल कर सकते हैं

पुस्तिका का उपयोग – जब आप पंचायत राज व्यवस्था और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर आधारित इस पुस्तक का उपयोग करेंगे, तब आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस पुस्तक में कुछ कार्यक्रमों का उल्लेख विस्तार में है, किन्तु कुछ कार्यक्रमों–कानूनों की जानकारी बहुत विस्तार में नहीं दी गयी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने इस पाठ्यक्रम की अन्य मैदानी और प्रायोगिक कार्यपुस्तिकाओं में ऐसे कार्यक्रम, योजनाएं और कानून दर्ज हैं, जिनका जुड़ाव पंचायत राज व्यवस्था से है। जब आप अन्य कार्यपुस्तिकाएँ पढेंगे, तब उन्हें पंचायत राज व्यवस्था के सन्दर्भ में भी पढ़ें। उदाहरण के लिए मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग करता है, किन्तु हमने उसका उल्लेख बच्चों के अधिकारों से सम्बंधित पुस्तिका में किया है। इसी तरह आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था (पेसा कानून) का उल्लेख अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति समाज के लिए बनी व्यवस्थाओं वाली पुस्तिका में किया गया है। वास्तविकता यह है कि हमें अब विकास को विभागीय ढांचों से बाहर निकल कर समग्रता में देखना होगा। हमारा सबसे ज्यादा जोर आपसी समन्वय (विभागों, समाज के संगठनों, संस्थाओं और शिक्षा) स्थापित करने पर होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन

प्रस्तावना एवं उद्देश्य

टिकाऊ विकास लक्ष्यों में पहला ही मुख्य लक्ष्य है हर तरह की गरीबी को खत्म करना चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। हर नागरिक एवं परिवार को आवास एक बुनियादी एवं अहम जरूरत है, यह कल्याणकारी सरकार के लिए जरूरी है कि वह ऐसी नीति बनाये कि कोई बेघर न रहे। मध्यप्रदेश में सभी को आवास उपलब्ध कराना एक बड़ा लक्ष्य है और चुनौती भी है। वास्तव में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास की जरूरत है। साथ ही इस काम में समुदाय को जोड़ना और समुदाय द्वारा निगरानी करना बेहद जरूरी है। इसी क्रम में जब हम हर परिवार के लिए आवास की बात करते हैं तब सरकार लोगों को सस्ता आवास उपलब्ध करवाकर आवास समस्या को दूर करने की बात करती है। इसी मकसद से मुख्यमंत्री आवास मिशन बनाया गया है।

मध्यप्रदेश में लगभग 37 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार आवासहीन हैं अथवा अर्द्धपक्के/कच्चे आवासों में निवासरत हैं। इंदिरा आवास योजना में प्रदेश को प्राप्त होने वाली प्रतिवर्ष लगभग 70 हजार आवासों की स्वीकृति हमारी आवासीय आवश्यकता की तुलना में नगण्य रही है एवं इससे आवास समस्या को दूर करने में पूरी तरह से मदद नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण आवासीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर विधानसभा में 2010 में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन का आरम्भ करने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा 22 फरवरी, 2011 को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन का शुभारंभ किया गया था, तब से यह मिशन लगातार संचालित है।

यह एक पूर्णतः मांग आधारित स्वभागीदारी ऋण–सह–अनुदान योजना है। इस मिशन के अंतर्गत हितग्राही द्वारा विभिन्न अभिन्यासों के अनुरूप स्वयं आवास का निर्माण किया जाता है। हितग्राही को पात्रतानुसार ऋण पुनः भुगतान क्षमता के आधार पर बैंक द्वारा 10, 12 एवं 15 वर्षीय ऋण प्रदान किया जाता है।

पात्रता

- ऐसे परिवार जिनके पास अधिकतम एक हेक्टेयर तक कृषि भूमि हो।
- ऐसे ग्रामीण परिवार जिनकी कुल वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये तक हो।
- ऐसे हितग्राही जिसके पास मकान बनाने के लिए भू–खण्ड उपलब्ध है अथवा वह भू–खण्ड प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं।
- ऐसे निवासरत वयस्क परिवार जिनका स्वयं का कोई आवास सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में न हो।

आवेदन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता निर्धारण

- पात्र हितग्राही द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
- प्राप्त आवेदन का निम्न तीन सदस्यीय समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा।

  (1) ग्राम पंचायत सचिव

  (2) पटवारी

  (3) पंचायत समन्वय अधिकारी

- प्राप्त आवेदनों में से उपरोक्त समिति के द्वारा प्राथमिकता सूची तैयार करके ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेगी।
- ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण अंतिम रूप से किया जावेगा एवं सूची का अनुमोदन किया जायेगा।
- ग्राम सभा द्वारा तय की गई प्राथमिकता बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति में बंधनकारी नहीं होगी, यानि कि ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित प्राथमिकता सूची में से बैंक सभी को ऋण स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है।

आवास निर्माण हेतु भू–खण्ड

- आबादी भूमि स्थित भू–खण्ड (जिसका पट्टा तहसीलदार/सरपंच/सचिव द्वारा दिया गया हो) **अथवा**

  02 अक्टूबर, 1959 के पूर्व से आबादी में उपलब्ध भू–खण्ड (जिसका भू–खण्ड धारक प्रमाण–पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो) पर आवास निर्माण किया जा सकेगा।

- हितग्राही अपनी स्वामित्व की कृषि भूमि पर भी आवास निर्माण कर सकेगा।
- स्वयं का भू–खण्ड उपलब्ध नही होने की स्थिति में ग्राम पंचायत/तहसीलदार को भू–खण्ड आवंटन हेतु आवेदन दिया जा सकेगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्धता अनुसार 600 से 900 वर्गफुट क्षेत्रफल का भू–खण्ड आवंटित किया जा सकेगा।
- बैंक, उक्त प्रमाण–पत्र के आधार पर हितग्राही के भू–खण्ड को बंधक रखकर आवास ऋण स्वीकृति/वितरण करेगा।

आवासीय इकाई का आकार एवं लागत

- आवासीय ईकाई का आकार न्यूनतम यानि कुर्सी क्षेत्रफल 225 वर्गफुट होगा।
- आवास में एक कमरा, रसोई का स्थान, बरामदा एवं शौचालय/स्नानागार होगा।
- आवास की लागत रूपये 1,20,000 होगी, जिसमें हितग्राही का अंशदान रूपये 20,000 होगा।
- बैंक द्वारा हितग्राही को रूपये 1 लाख मात्र (एक लाख मात्र) का ऋण स्वीकृत किया जावेगा। इसमें से

बैंक को रूपये 50,000 के ऋण का ब्याज सहित पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा समान मासिक किश्तों में किया जावेगा।

- बैंक, हितग्राही की ऋण पुनर्भुगतान क्षमता का निर्धारण कर तदनुसार उसे अधिकतम रूपये 30,000 मात्र का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत कर सकेगा किन्तु इसमें शासन की कोई भूमिका नहीं होगी।

हितग्राही को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था

- बैंक द्वारा आवास ऋण के साथ अनुदान की राशि भी स्वीकृत की जायेगी।
- चरणवार भुगतान/समाशोधन आधार पर राशि जारी की जावेगी। मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।
- ऋण स्वीकृति के उपरांत हितग्राही द्वारा आवास की नींव खुदाई पूर्ण करने पर निम्नानुसार राशि जारी की जावेगी : –

प्रथम किश्त :– नीव खुदाई के पश्चात, नीव पिल्थ एवं 50 % दीवारों का कार्य पूर्ण करने के लिये

द्वितीय किश्त :– छत तथा दरवाजे–खिड़कियों का कार्य 40 % पूर्ण करने के लिये

तृतीय किश्त :– शेंष आवश्यक कार्य हेतु 10 %

पुनर्भुगतान या ऋण वापस करने की प्रक्रिया

- 50,000 रूपये ऋण पर लगभग 553 रूपये मासिक किश्त (ईएमआई) निर्धारित एवं हितग्राही द्वारा देय।
- 50,000 रूपये अनुदान पर लगभग 553 रूपये मासिक किश्त शासन द्वारा देय।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

मुख्यमंत्री आवास मिशन का मुख्य मकसद कमजोर एवं निम्न वर्ग के उन लोगों को आवास मुहैया कराना है जो किसी कारण वश प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभान्वित नहीं हो पाते। साथ ही इस मिशन के तहत नगरीय क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। अतः जब हम इस योजना के तहत प्रायोगिक कार्य करें तो यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इस योजना के तहत हितग्राहियों की कटेगरी अलग है। यह जरूरी नहीं है कि हितग्राही का नाम गरीबी रेखा सूची में हो या वह बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हो।

इस योजना के तहत बैंक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंक द्वारा हितग्राहियों को लोन राशि उपलब्ध करायी जाती है। अतः यह देखना होगा कि हितग्राहियों को बैंक से सहजता से राशि प्राप्त हो रही है या नहीं, यदि नही तो किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं और उनके समाधान के लिए बैंक एवं जिला

स्तर के अधिकारियों से सहयोग लेना होगा। हमें समुदाय, शासकीय तंत्र एवं बैंक के बीच एक सहज समन्वय बनाने की जरूरत होगी ताकि लोगों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कहीं भटकना न पड़े।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें ?
यह जानने का प्रयास करना होगा कि मुख्यमंत्री आवास मिशन के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त जानकारी है या नहीं, यदि नही, तो लोगों की जानकारी बढ़ाने की जरूरत है।	लोगों से योजना एवं उसके कियान्वयन के बारे में पूछताछ करें यदि लोगों का पता नहीं है तो योजना के बारे में प्रचार प्रसार के अन्य तरीकों के अलावा यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि योजना के बारे में ग्रामसभा में जरूर चर्चा हो। योजना के बारे में तैयारी के साथ ग्रामसभा में एवं गांव में लोगों से संवाद करें।
समुदाय के साथ मिल कर एक प्रक्रिया चलाएं और सब मिल कर यह जानने की कोशिश करें कि हमारे गांव/बस्ती/समुदाय में कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है ? और क्यों नहीं हैं ?	हमें यह पता करना चाहिए कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है या कच्ची झोपड़ी में रहते हैं। हमें यह बात सामने लाने की कोशिश करना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह के वंचितपन का सामना कर रहा हो, उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी यानि समुदाय की ही होना चाहिए ?
क्या बेघर लोगों के हकों के बारे में समुदाय में चर्चा होती है?	ग्राम सभा में इन लोगों के बारे में चर्चा करें और सुनिश्चित करें कि समुदाय इनके हकों के प्रति संवेदनशील हो और उन्हें आवास योजना का लाभ मिले।
योजना का जरूरतमंदों को लाभ दिलाना	हमें यह पता करना होगा कि कितने पात्र परिवार ऐसे हैं जिन्हें मकान की जरूरत है और उनका आवेदन पंचायत में कराना सुनिश्चित करना होगा
ग्रामसभा में पात्रता सूची का अनुमोदन किया जाना जरूरी है।	हमें यह देखना होगा कि कितने लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया है और कितने लोग पात्र हैं। पात्र लोगों की सूची को ग्रामसभा के समक्ष रखना होगा एवं ग्रामसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि किसे प्राथमिकता के आधार पर आवास मिलना चाहिए।

	ग्रामसभा में सूची को अनुमोदित किया जाये। ग्रामसभा आयोजन के समय गांव के सभी वर्गों के लोग उपस्थित हों, इसके लिए ग्रामसभा के पूर्व लोगों को जोड़ना होगा ताकि लोग ग्रामसभा में आयें।
भूमिहीन.परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराना	हमें यह देखना होगा कि जिन परिवारों के पास आवास बनाने के लिए भूखंड नहीं है आवास के लिए भूखंड उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत/तहसीलदार को आवेदन कराना होगा ताकि समय से भूखंड उपलब्ध हो सके। गांव के किस हिस्से में आवास के लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध है, इसकी जांच पहले से कर लें।
बैंक द्वारा लोन	हमें यह देखना होगा कि आवास के लिए बैंक को आवेदन किया गया या नहीं एवं बैंक से समय से लोन राशि स्वीकृति हो एवं हितग्राही के खाते में राशि आ जाये, यह सुनिश्चित हो। बैंक में किसी तरह की दिक्कत हितग्राहियों को न आये इसके लिए गांव स्तर पर ऐसे कामों के लिए किसी युवा एवं शिक्षित व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह भी देखना होगा कि किसी हितग्राही की किश्त रूकी तो नहीं है?
आवास निर्माण एवं ग्रामसभा में सोशल आडिट	यह देखना कि जितने परिवारों ने आवास योजना का लाभ लिया उनके मकान पूर्ण रूप से बन गये या नहीं? बने आवासों के बारे में भी ग्रामसभा में चर्चा करायी जानी चाहिए ताकि योजनाओं के कियान्वयन के बारे में लोगों को पता चल सके।

प्रायोगिक/मैदानी काम की रिपोर्ट

अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि मुख्यमंत्री आवास मिशन एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण मिशन है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने गांव, पंचायत और समुदाय में इसे सही रूप में लागू करवाएं। आप अपने प्रायोगिक/मैदानी काम पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसका खाका प्रायोगिक कार्य पुस्तिका – एक परिचय में विस्तार से दिया गया है।

मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी अधिनियम 2017

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में निम्न आय वर्ग एवं बेघर लोगों को आवास मुहैया कराने हेतु एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के द्वारा सभी के लिए आवास का सपना साकार हो सकेगा। आइये देखें कि इस अधिनियम में क्या खास बातें हैं –

परिचय

सतत विकास लक्ष्य 2030 में 11वां लक्ष्य सुरक्षित, लचीले और टिकाउ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना है। इस लक्ष्य के प्रति सरकार सजग है। सबके लिए आवास एक बुनियादी जरूरत है, और साथ ही रहने के लिए छत न होना गरीबी का एक बड़ा सूचक है। मध्यप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को किफायती दर पर आवास एवं निशुल्क आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्व है। इसके लिए राज्य सरकार अपने संसाधनों के भीतर मुनासिब विधायी तथा अन्य उपाय करके समस्त पात्र हितग्राहियों को किफायती आधार पर आवास उपलब्ध कराने के व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिए आवास के विकास को बढ़ावा दे रही है। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने मार्च 2017 में ''मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक 2017'' पारित किया।

इस अधिनियम के तहत मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर या निम्न आय वर्गीय लोगों को किफायती मूल्य पर आवास उपलब्ध कराया जायेगा। किफायती मूल्य राज्य सरकार द्वारा समय समय पर तय किया जायेगा। इस कानून के तहत आवास की पात्रता उसी व्यक्ति को होगी जिसमें स्वयं के नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम आवास या आवासीय भूखंड नही है। परिवार में पति एवं पत्नी तथा 25 साल की उम्र के अविवाहित बच्चे के साथ ही विधवाएं, तलाकशुदा पुत्री, बहन, पुत्रवधु, माता एव पिता, सास/ससुर, विकलांग भाई, बहन, पुत्र, पुत्री जो पूर्ण रूप से आश्रित हों एवं एक छत के नीचे निवास कर रहे हों, परिवार में माने जायेंगे।

आवास का आकार

इस अधिनियम के तहत उपलब्ध कराये जाने वाले आवासों का अधिनिर्मित क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर होगा जिसमें शौचालय भी शामिल है। यह आवास एक मंजिला एवं बहुमंजिला अधोसंरचना हो सकती है। उपलब्ध कराये जाने आवासों का निर्माण ग्रामीण व नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल या विकास बोर्ड करेगा। आवासीय भूखंड नगरीय क्षेत्र में 45 वर्गमीटर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 60 वर्गमीटर का होगा जिस पर मकान बनाने की अनुमति दी जायेगी।

आवास या निशुल्क भूखंड प्राप्त करने के लिए पात्रता

राज्य सरकार हर पात्र व्यक्ति को किफायती दर पर आवास या निशुल्क आवासी भूखंड उपलब्ध कराने की गारंटी देती है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर या निम्न आय वर्ग का व्यक्ति

आवास या भूखंड पाने के लिए पात्र होगा। आवास या भूखंड आवंटित करने का अधिकार क्रियान्वयन अभिकरण के पास होगा। इस संबंध में शिकायतों का निराकरण जिला आवास समिति द्वारा किया जायेगा।

पात्र व्यक्ति का पंजीयन

किसी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति यदि सर्वे में आवास या भूखंड प्राप्त करने के लिए पात्र पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति का पंजीयन प्राधिकृत अधिकारी (डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष अधिकारी) द्वारा किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी ऐसे व्यक्तियों का ही पंजीयन करेंगे जिनके पास पात्रता को साबित करने के दस्तावेज मौजूद होंगे। प्राधिकृत अधिकारी हितग्राहियों का रजिस्टर संधारित करेंगे एवं हितग्राहियों की सूचना जिला स्तरीय आवास समिति को देंगे।

आवास एवं आवासीय भूखंड का आवंटन

नगरीय एवं ग्रामीण स्थानीय निकाय आवास एवं आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए भूमि जुटाने के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकेंगे चाहे परिस्थितियां अन्य कानूनों के द्वारा समावेशित एवं प्रतिकूल क्यों न हों।

जिला आवास समिति का गठन एवं कार्य

राज्य सरकार बनाये गये नियम के अनुसार जिला आवास समिति का गठन करेगी यह समिति पात्र व्यक्तियों की जानकारी के आधार पर आवास की जरूरतों का आकलन करेगी एवं उस के क्षेत्र में पंजीकृत पात्र व्यक्तियों को किफायती मूल्य पर आवास या निशुल्क भूखंड उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी को निर्देश दे सकेगी। साथ ही यह समिति राज्य द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो को करेगी।

प्राधिकृत अधिकारी के विरूद्ध अपील

किसी पात्र व्यक्ति को शामिल करने या हटाने के मामले में लिये गये निर्णय के विरूद्व जिला कलेक्टर के समक्ष अपील की जा सकेगी। जिला कलेक्टर 60 दिन के अंदर अपील का निराकरण करेंगे।

नियम बनाने का अधिकार

राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनायेगी। इसके अंतर्गत बनाये गये सभी नियम विधानसभा के समक्ष रखे जायेंगे। राज्य सरकार बनाये गये नियमों को अमल में लाने के लिए समय समय पर आवश्यकतानुसार दिशानिर्देश जारी करेगी। यदि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई आती है तो राज्य सरकार इन कठिनाइयों को कानून के अनुसार दूर करेगी।

उपरोक्त अधिनियम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है जिससे हजारों बेघर, बेसहारा एवं कमजोर वर्ग के लोगों को घर दिलाने में मदद मिलेगी। अभी इस कानून को लागू करने के लिए जरूरी नियम नहीं बने हैं। शीघ्र ही सरकार आवश्यक नियम बनायेगी एवं निर्देश जारी करेगी ताकि कानून का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिल सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि टिकाऊ विकास लक्ष्यों में पहला ही मुख्य लक्ष्य है हर तरह की गरीबी को खत्म करना चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। भारत में कई दशकों से इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं पर गरीबी का स्वरूप अलग अलग रूपों में दिखायी देता रहा है चाहे वह भूख व अभावग्रस्तता के रूप में विद्यमान हो या गैरबराबरी के रूप में दिखायी देती हो या रहने के लिए घर के न होने के रूप में जान पड़ती हो। सबके लिए आवास आज एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। इसी कड़ी में इंदिरा आवास योजना लम्बे समय से चलाई जा रही थी। इस योजना को 2016 में बंद करके अब भारत सरकार के निर्णय दिनांक 25 मार्च 2016 के अनुसार "सब के लिए आवास 2022" के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) प्रारंभ की गई है।

> पूर्व में संचालित की जा रही इंदिरा आवास योजना 2016 में बंद कर दी गयी है। इस योजना के तहत अब केवल पूर्व में स्वीकृत इंदिरा आवासों की ही राशि उपलब्ध करायी जा रही है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

इस योजना का मुख्य मकसद यही है कि सभी खासकर गरीब तबके को मूलभूत जरूरतों यानि आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। इस योजना से गरीबी को दूर करने में मदद मिलेगी एवं गरीब परिवारों को आवास जैसी वंचनाओं को दूर करेगी। अब इस योजना के स्वरूप में बदलाव किया गया है तथा मनरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन के साथ इसे जोड़कर अधिक लाभदायक बनाया गया है, साथ ही यह भी कि कोई हितग्राही इस योजना के तहत व्यक्तिगत ऋण लेकर अधिक सुविधाजनक आवास बना सकता है।

योजना का संक्षिप्त परिचय

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में 1 करोड़ आवास का निर्माण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2016 से योजना प्रारंभ की गई है, मध्यप्रदेश में वर्ष 2016–17 से वर्ष 2018–19 तक तीन वर्षों में कुल 11 लाख 78 हजार आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुल लक्ष्य में से 60 प्रतिशत यानि 7 लाख 6 हजार 800 आवास अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के परिवारों को आवंटित करना अनिवार्य है।

हितग्राहियों का चयन

सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना– 2011 के आंकड़ों से आवास सॉफ्ट में दर्ज किये गये डाटा के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाना है, चयन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी।

- पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार करना
- प्राथमिकता क्रम अनुसार हितग्राहियों की सूची तैयार करना

- ग्रामसभा में तैयार सूची का सत्यापन करना
- शिकायत का निराकरण अपीलीय समिति द्वारा करना
- प्राथमिकता क्रम में अंतिम सूची का प्रकाशन
- तैयार सूची से वार्षिक लक्ष्य अनुसार हितग्राहियों का चयन करना

वर्ष 2016–17 में सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना–2011 के अनुसार समस्त आवासहीन एवं शून्य कक्ष कच्चा आवास श्रेणी में दर्ज हितग्राहियों को लाभान्वित किया जावेगा। शेष लक्षित हितग्राहियों को एक कक्ष कच्चा आवास में वर्गीकृत परिवारों से लिया जायेगा।

स्वतः सम्मिलित परिवार

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे परिवार स्वतः ही आवास की पात्रता में शामिल किये गये हैं जो नितांत कमजोर एवं जरूरतमंद श्रेणी में आते हैं। ये परिवार हैं —

1. आश्रय विहीन परिवार।
2. बेसहारा/भिक्षा मांगने वाले परिवार।
3. मैला ढोने वाले।
4. आदिम जनजातीय समूह।
5. कानूनी रूप से मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर।

उपरोक्त परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराये जायेंगे।

आवास की डिजाइन

आवास की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 09 अंचलों हेतु अलग–अलग आवास की डिजाईन तैयार की गई है। हितग्राही इन 09 डिजाइनों में से किसी एक अथवा स्थानीय परिवेश एवं अपनी आवश्यकतानुसार डिजाइन का चयन कर सकता है, बशर्ते नवीन आवास निर्माण का कुर्सी क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर से कम न हो एवं किसी भी स्थिति में अतिरिक्त राशि की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। आवास पति एवं पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर स्वीकृत किया जावेगा। एकल सदस्य की स्थिति में ही महिला अथवा पुरूष के नाम स्वीकृत किया जावेगा। भूमिहीन परिवार को आबादी पट्टा/भूखण्ड परिवार की वरिष्ठ महिला सदस्य के नाम पर दिया जा सकता है।

प्रति आवास लागत

- समतल क्षेत्र में रू. 1,20,000
- पहाड़ी क्षेत्रों एवं आई.ए.पी. जिलों में रू. 1,30,000

राशि कैसे दी जायेगी

आवास हेतु कुल राशि रू. 1.50 लाख (एस.बी.एम. एवं मनरेगा की प्रोत्साहन राशि सहित) निम्नानुसार 04 किश्तों में जनपद पंचायत स्तर से एफटीओ के माध्यम से हितग्राही के खातों में कार्य की प्रगति के आधार पर जमा होगी :–

- प्रथम किश्त — रू. 40,000 — कार्य प्रारंभ होने के साथ
- द्वितीय किश्त — रू. 40,000 — प्लिंथ स्तर तक का कार्य पूर्ण होने पर
- तृतीय किश्त — रू. 40,000 — लिंटर (छज्जा) स्तर तक का कार्य पूर्ण होने पर
- चतुर्थ किश्त — रू. 30,000 — कार्य पूर्ण होने पर

चतुर्थ व अंतिम किश्त के रूप में स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) के अंतर्गत 12,000 व मनरेगा के अंतर्गत 18,000 की सहायता राशि दी जाएगी।

आवास निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हितग्राही का आवास के सामने खड़ी हुई स्थिति का geotag फोटो मोबाईल एप से लिया जाकर आवास सॉफ्ट पर दर्ज किया जाना अनिवार्य है। आवास निर्माण का कार्य यथा संभव 6 माह में पूर्ण किया जाना है।

हितग्राही के पास बैंक से 70,000 रूपये तक ऋण लेकर आवास निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि जुटाने का विकल्प भी उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत में संपर्क करें।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनायी गयी है ताकि हर बेघर व बेसहारा परिवार व व्यक्ति को धर मिल सके। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रियान्वयन पर प्रायोगिक कार्य करेंगे, तो हमें सबसे पहले उस नजरिए को दोहराना होगा कि इस योजना का मकसद समाज में मौजूद आवास की कमी एवं बेघर लोगों को घर दिलाना है। यह योजना केवल गरीबी की रेखा या अनुसूचित जाति–जनजाति वर्गों के हितों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि योजना में आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा/भिक्षा मांगने वाले परिवार, मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, कानूनी रूप से मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर बिना किसी अनिवार्यता के स्वतः ही आवास के लिए पात्र होंगे।

इस दृष्टि से जब हम प्रायोगिक/मैदानी कार्य की शुरुआत करें तो सबसे पहले इन वर्गों के लोगों की स्थितियों को जाने एवं प्राथमिकता के आधार पर इन वर्गों को आवास दिलाने के लिए प्रयास करें।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें ?
प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी बढ़ाना	यह नयी योजना है, प्रयास किया जाना चाहिए कि गांव के सभी समुदायों के परिवारों को योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाये ताकि वे योजना के लाभ लेने के लिए आगे आ सकें।
योजना के तहत पात्र लोगों की पहचान करना, ऐसे लोगों की पहचान करना जो स्वतः ही पात्रता की श्रेणी में आते हैं।	हमें यह पता करना चाहिए कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है या कच्ची झोपड़ी है। साथ ही कितने परिवार ऐसे हैं जो भीख मांगते हैं, कितने परिवार हैं जो मैला ढोने की प्रथा से जुड़े रहे हैं, कितने परिवार ऐसे हैं जो बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराये गये हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने परिवार हैं।
समुदाय के साथ मिल कर एक प्रक्रिया चलाएं और सब मिल कर यह जानने की कोशिश करें कि हमारे गांव/बस्ती/समुदाय में कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है ? और क्यों नहीं हैं ?	हमें यह पता करना चाहिए कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है या कच्ची झोपड़ी में रहते हैं। हमें यह बात सामने लाने की कोशिश करना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह के वंचितपन का सामना कर रहा हो, उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी यानि समुदाय की नहीं होना चाहिए ?
क्या बेघर लोगों के हकों के बारे में समुदाय में चर्चा होती है?	ग्राम सभा में इन लोगों के बारे में चर्चा करें और सुनिश्चित करें कि समुदाय इनके हकों के प्रति संवेदनशील हो और उन्हें आवास योजना का लाभ मिले।
योजना का जरूरतमंदों को लाभ	हमें यह पता करना होगा कि कितने परिवार ऐसे हैं जिन्हें मकान की तत्काल जरूरत है और उनका आवेदन पंचायत में कराना होगा खासतौर स्वतः पात्रता की श्रेणी में आने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवेदन कराना होगा

ग्रामसभा में पात्रता सूची का अनुमोदन	हमें यह देखना होगा कि कितने लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया है और कितने लोग पात्र हैं। पात्र लोगों की सूची को ग्रामसभा के समक्ष रखना होगा एवं ग्रामसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि किसे प्राथमिकता के आधार पर आवास मिलना चाहिए। ग्रामसभा में सूची को अनुमोदित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराना	हमें यह देखना होगा कि कितने परिवार/व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है। ऐसे परिवारों/व्यक्तियों को आवास के लिए भूखंड उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत/तहसीलदार को आवेदन कराना होगा ताकि योजना का लाभ पाने के लिए जमीन उपलब्ध हो सके।
आवास निर्माण एवं सोशल आडिट	हमें यह देखना कि जितने परिवारों ने आवास योजना का लाभ लिया उनके मकान पूर्ण रूप से बन गये या नहीं? बने हुए मकानों की गुणवत्ता कैसी है? सभी योजना के अंतर्गत लाभान्वित लोगों के आवासों के बारे में ग्रामसभा में चर्चा करायी जानी चाहिए एवं उन परिवारों के अनुभवों को भी ग्रामसभा में साझा किया जाना चाहिए

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पृष्ठभूमि

ग्रामीण क्षेत्र में सड़क संपर्क गांवों के विकास का मुख्य आधार है। इससे आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ती है और उत्पादक एवं आयबर्धक गतिविधियों का सृजन होता है, साथ ही यह गरीबी को दूर करने वाले कार्यक्रमों का एक मुख्य हिस्सा है। पिछले सालों में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये राज्य एवं केन्द्र स्तरों पर किये गये अनेकों प्रयासों के बावजूद अभी भी 40 प्रतिशत बसाहटें बारहमासी सड़कों से नही जुड़ी हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूवात की। यह योजना पूरी तरह से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है।

कार्यक्रम का उद्देश्य

- सामान्य क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 तथा इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना
- आईएपी जिलों में संपर्क विहीन ग्रामों (आबादी 250 तक) को पक्की सड़क से जोड़ा जाकर बारहमासी पक्की सड़क की उपलब्धता
- योजना के अंतर्गत अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन
- योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर गठित प्राधिकरण द्वारा योजना के अंतर्गत निर्मित मार्गों के रखरखाव का कार्य राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि से पूर्ण

कार्यक्षेत्र

इस योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य है।

विशेषताएं

- कोर नेटवर्क पर आधारित योजना, गुणवत्ता नियंत्रण के कड़े मापदंड एवं निर्माण के बाद 5 वर्षों का रखरखाव भी योजना में शामिल
- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कार्यों की निगरानी के लिए परिवीक्षक की व्यवस्था
- योजना से संबधित कार्यों में समपूर्ण पारदर्शिता, आनलाइन निगरानी

ध्यान रखने वाली बातें

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क से न जुड़ी बसाहटों को बेहतर बारहमासी सड़कें प्रदान करना है। अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सड़क संपर्क में सड़क से न जुड़ी बसाहटों को वरीयता दी जाये
- बसाहटों के आकार को निर्धारित करने के लिए जनगणना 2001 को आधार बनाया जायेगा।
- सड़की से जुड़ी बसाहट वह है जो सड़क से जुड़ी बसाहट से 500 मीटर दूर या पहाड़ी क्षेत्र में 1.5 किमी. पैदल दूरी पर स्थित है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी केवल उन्हीं ग्रामीण सड़कों को लिया जायेगा जो पहले ही अन्य जिला सड़कों तथा ग्राम सड़कों के रूप में वर्गीकृत थीं। अन्य जिला सड़कें ऐसी सड़कें हैं जो उत्पादन वाले ग्रामीण क्षेत्रों में काम में आती हैं और बाजार केन्द्रों, तालुका (तहसील) मुख्यालयों, ब्लाक मुख्यालयों या अन्य मुख्य सड़कों तक जाने का मार्ग देती हैं।
- ग्राम सड़कें ऐसी सड़के हैं जो गांवों/बसाहटों या बसाहट के समूहों को एक दूसरे से तथा उच्च श्रेणी की समीपवर्ती सड़क से जोड़ती हैं। इस योजना के तहत मुख्य जिला सड़कों, राज्यमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग को शामिल नहीं किया जा सकता है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों में ही आती हों।
- सड़कों से न जुड़ी बसाहटों के लिए सड़क संपर्क का प्रावधान नए सड़क संपर्क के रूप में माना जायेगा। नए सड़क संपर्क में मिट्टी कार्य स्तर से वांक्षित विशेष उल्लेख तक सड़कों का निर्माण समाविष्ट है इसलिए इसमें कुछ मिट्टी कार्य शामिल होगा। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में काट छांट भी शामिल होगा। ऐसी सड़कें जिस पर केवल मिट्टी कार्य किया गया है (ग्रेबल सड़क नहीं) संबंधी कार्य को नए सड़क संपर्क के रूप में माना जायेगा।
- बारहमासी सड़क वह है जो सभी मौसम में प्रयोग के लायक होती है। इसका मतलब यह है कि सड़क के अंतर्गत उपयुक्त आरपार नालियों जैसे पुलिया, छोटे पुलों और सेतुओं का निर्माण किया गया हो। पैदल पथ पर हर मौसम में काम में आने लायक होना चाहिए पर उसमें यह आवश्यक नहीं है कि इस पर खड़ंजा लगाया जाए या चौरस बनाया जाये या तारकोल विछाकर पक्का किया जाये।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तारकोल विछी या सीमेंट से बनी सड़कों की मरम्मत करने की अनुमति नहीं है, भले ही सतह की स्थिति खराब हो गयी हो।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनायी गयी सड़कें तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप होनी चाहिए।

कार्यक्रम कियान्वयन ईकाई

जिला स्तर पर योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक समर्पित कार्यान्वयन ईकाई बनायी जाती है। इस ईकाई में काम करने वाले कर्मचारियों का समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस कार्यक्रम के तहत शुरू किये गये कामों को लिए कोई एजेंसी प्रभार स्वीकार नहीं होगा। इसके बावजूद परियोजना के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए संसद सदस्यों द्वारा प्रति समारोह कुछ व्यय किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी परियोजनाओं को कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा। इस परियोजना में लागत बृद्धि की व्यवस्था नहीं है। एक बार कार्य शुरू हो जाने पर इसे निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित तकनीकी विशेषताओं के साथ पूरा किया जाना चाहिए। कार्य आदेश के जारी होने के 15 दिन के अंदर सड़क कार्य के नींव रखने के समय कार्यस्थल पर साइनबोर्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लोगों लगाया जाना चाहिए, जिसमें सड़क का नाम, सड़क बनाने वाले ठेकेदार का नाम एवं उसकी निगरानी करने वाली पंचायतराज संस्था के नाम का उल्लेख होना चाहिए। सड़क के दोनों ओर फलदार व अन्य उपयुक्त पेड़ों के लगाने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। सड़क के कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरका. की होगी।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण स्तर पर अधोसंरचना के विकास का एक मुख्य आधार है एवं यह लोगों के आर्थिक विकास के आधार को मजबूत बनाती है। गांवों के मुख्य सड़क से जुड़ने से न केवल ग्रामवासियों को आवागमन के लिए सुविधा होगी बल्कि अंदर के गांवों के उत्पादनों को बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी एवं लोगों को आर्थिक लाभ भी पहुंचेगा। जब हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में प्रायोगिक कार्य करें तो इस बात पर खास ध्यान दें कि उन गांवों का प्राथमिकता मिले जो सदियों से सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं। आदिवासी व पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे कई गांव होंगे जहां मुख्य सड़क से पहुंच मार्ग के अभाव में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका से जुड़ी अनेक सेवाओं एवं सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें ?
ऐसे गांवों को चिन्हित करें जो पक्की सड़क से नहीं जुड़ सकें हैं	गांव के लोगों के साथ चर्चा करके ऐसी बसाहटों व गांवों की सूची बनाएं जो मुख्य सड़क से नहीं जुड़ सके हैं यानि गांव या ऐसी बसाहटें जो मुख्य सड़क से 500 मीटर से अधिक दूर स्थित है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाने हेतु पैरवी करें	• गांव के लोगों के साथ मिलकर ग्रामसभा में चर्चा करें एवं गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु जिला स्तरीय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना ईकाई को अर्जी भिजवायें • यद्यपि कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिला ईकाई स्वतः ही संपर्क विहीन गांवों को चिन्हित करके उसे योजना में शामिल करती है पर अर्जी भेजने से जिला ईकाई पर काम शुरू करने का दबाव कायम होगा • जिला योजना ईकाई से निरंतर संपर्क बनाये रखना चाहिए ताकि योजना के तहत काम की शुरूवात जल्दी की जा सके एवं गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जा सके
सड़क के काम की गुणवत्ता का आकलन करें एवं सड़क की गुणवत्ता में कमी आने पर शिकायत करवायें	• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित की गयी है। लोगों को प्रेरित करें कि वे सड़क बनते समय उसकी गुणवत्ता पर नजर रखें। • यदि किसी तरह की खामी नजर आती है तो सड़क बनाने वाली एजेंसी से बात करें एवं उसमें आवश्यक सुधार करने के लिए कहें • यदि सड़क की गुणवत्ता में सुधार फिर भी न हो तो जिला परियोजना ईकाई में तत्काल कार्रवाई हेतु लिखित शिकायत दर्ज करायें। यदि वहां भी शिकायत का निराकरण न हो तो जिला कलेक्टर से संपर्क करें एवं शिकायत करें एवं साथ ही 181 पर शिकायत भी दर्ज कराये। • शिकायत की एक प्रति विकास आयुक्त, विंध्याचल भवन, ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन को भेजें।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मध्यप्रदेश

पृष्ठभूमि

वर्ष 2006 में संसद ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सभी परिवारों को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया। इस कानून का नाम है – महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा)। इसमें लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति या परिवार काम की मांग करेगा, उन्हें मांग करने के 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से रोजगार दिया जाएगा। इस कानून को लागू करने के लिए ही मनरेगा योजना बनी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें गरीबी की रेखा, किसी खास सामाजिक वर्ग का होने की कोई शर्त लागू नहीं है।

> यह रोजगार की कोई सामान्य योजना नहीं है, यह एक कानून है। इसका मतलब है कि काम मिलना ही है और काम देना ही है। काम न देने की स्थिति में कानून का उल्लघन माना जायेगा ।

मनरेगा देश की ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अभाव और संसाधनों की उत्पादकता में सीमितता के कारण पनपने वाली गरीबी और भुखमरी से सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभाता है। शर्त एक है, कानून का उसकी मंशा के मुताबिक ईमानदार क्रियान्वयन हो। यह कानून एवं योजना देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण जिसके दूरगामी लाभ होंगे।

योजना के लाभ

1. गांव से शहरों की और बदहाली के कारण होने वाले पलायन में कमी आएगी। अगर गांवों में काम उपलब्ध हो और सही समय पर उचित मजदूरी मिले तो कई परिवार शहर आने के बजाए, अपने गांव में ही रुकना चाहेंगे।
2. रोजगार का आश्वासन महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाता है। अनुभव यह है कि इस कानून के तहत काम मिलने से श्रम में महिलाओं की पहचान और मौजूदगी बढ़ी है।
3. इससे गांव में सड़क, खेतों–जंगल का सुधार, पानी–पर्यावरण का संरक्षण, बच्चों के लिए खेल के मैदानों का विकास जैसी परिसम्पत्तियां निर्मित हो सकती हैं।
4. इससे ग्रामीण समाज में सत्ता समीकरणों और प्रशासनिक ताने–बाने के कामकाजी तौर तरीकों में बदलाव आएगा।
5. पारदर्शिता बढ़ेगी।

6. श्रमिकों की स्थिति में बदलाव आएगा। एक समय ऐसा रहा है, जब श्रमिकों को बेहद कम मजदूरी दी जाती थी, पर मनरेगा ने न्यूनतम मजदूरी के मानक स्थापित करके, बड़ा बदलाव लाने में मदद की है।

कुछ मायनों में यह एक बदलाव लाने वाला कानून है। जब इसकी व्यवस्था बनी तो इसमें दो नजरिए उभर कर आए –

अ. **पहला नजरिया** – ग्रामीण परिवार को काम की गारंटी मिली। गारंटी का मतलब है कि मांग करने पर काम दिया जाना। यदि निर्धारित समय में काम न दिया जाए, तो उन परिवारों (जिन्होंने काम की मांग की है) को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना होगा। अगली बात है काम दे दिए जाने के बाद यदि 7 से 15 दिन में मजदूरी का भुगतान नहीं होता है तो इस देरी से भुगतान के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें लोगों के हक के साथ–साथ सरकार की ठोस जिम्मेदारी भी तय की गई है।

आ. **दूसरा नजरिया** – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के क्रियान्वयन के लिए जो ढांचा और व्यवस्थाएं बनीं, उसमें समाज को महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका मिली। कानून कहता है कि मनरेगा के तहत जो काम होंगे, उनके बारे में निर्णय ग्रामसभा और पंचायतें करेंगी, यानि विकास की योजना लोग खुद बना सकेंगे। मनरेगा के तहत होने वाले कामों की निगरानी लोग खुद करेंगे। हर छह महीने में सामाजिक अंकेक्षण होगा, जहाँ खर्चे, काम की गुणवत्ता, लोगों को मिले रोजगार–भत्ते पर खुली चर्चा होगी। इसमें सहभागिता, जवाबदेहिता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों के अकुशल श्रम (मजदूरी) करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को श्रम मूलक रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना है। प्रदेश के समस्त 51 जिलों में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है।

योजना के पात्र

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य इस योजना के पात्र हैं।

योजना क्रियान्वयन प्रक्रिया

इस योजना के तहत अकुशल काम करने के इच्छुक परिवार को ग्राम पंचायत में परिवार का पंजीयन कराना होगा। पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत निःशुल्क जॉबकार्ड प्रदान करेगी। जॉबकार्ड धारक द्वारा

रोजगार का आवेदन करने पर 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

योजना के तहत मजदूरी

मजदूरी, श्रमायुक्त द्वारा कृषि श्रमिकों के लिये निर्धारित दर से अथवा केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिये निर्धारित दर से बैंक अथवा पोस्ट आफिस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मजदूरी का भुगतान योजना अंतर्गत जितना काम उतना दाम के आधार पर 15 दिवस में किया जाता है। योजना के अन्तर्गत पुरूषों एवं महिलाओं की मजदूरी दर समान है।

योजना की विशिष्टता–बेरोजगारी भत्ता

यदि किसी आवेदक को काम मांगने पर 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ते की पात्रता होगी। बेरोजगारी भत्ता पहले 30 दिनों के लिये न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई तथा शेष दिनों के लिये न्यूनतम मजदूरी के आधे की दर से दिया जायेगा।

कार्यस्थल पर सुविधायें

इस योजना के तहत काम करने वाले सदस्यों के लिए पीने के पानी, छाया की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा तथा कार्यस्थल पर मजदूरों के 06 वर्ष से कम आयु के न्यूनतम 05 बच्चे होने पर झूलाघर की व्यवस्था की जाती है।

दुर्घटना क्षतिपूर्ति

यदि कार्यस्थल पर दुर्घटना में कोई मजदूर घायल होता है तो उसे निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे मजदूरों की मृत्यु अथवा अस्थायी रूप से अपंग होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 25 हजार रुपये तक का भुगतान किया जाता है।

योजना के कार्यो का स्वरूप

योजनान्तर्गत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लक्षित वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करने के साथ ही स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु (ए) हितग्राहीमूलक और (बी) समुदाय मूलक उपयोजनाएं संचालित एवं क्रियान्वित की जा रही हैं।

हितग्राहीमूलक उपयोजनाएं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत हितग्राहीमूलक उपयोजनाएं

इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना के हिताधिकारियों की स्वयं की कृषि भूमि या लघु एवं सीमांत कृषकों के लिये सिंचाई सुविधा, बागवानी और भूमि विकास सुविधा

के कार्य किये जायेंगे। जनवरी 2012 से ग्राम कोटवार को प्रदाय शासकीय सेवा भूमि के विकास हेतु लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

1. कपिल धारा उपयोजना

कपिलधारा उपयोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निजी भूमि पर सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु कार्य किये जाते हैं। इसके तहत नवीन सिंचाई हेतु कुए एवं दोबारा पानी भरने हेतु कुए, खेत तालाब, लघु तालाब मेसनरी चेकडेम, स्टॉप–डेम, आएएमएस का निर्माण कराया जाता है। कपिल धारा कुए हेतु पात्र हितग्राहियों के पास न्यूनतम एक एकड़ असिंचित भूमि होना चाहिए।

2. नंदन फलोद्यान उपयोजना

इस उपयोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यानिकी के पौधे का रोपड़ कर फलोद्यान विकसित किए जाते हैं, जो पर्यावरणीय स्थिरता और परिस्थितिकी संतुलन बनाने के साथ–साथ ग्रामीण लोगों को आय सृजन का स्थायी स्रोत भी उपलब्ध कराते हैं। इस योजना के तहत लाभ हेतु हितग्राही के पास सिंचाई सुविधा होना आवश्यक है। यदि सिंचाई सुविधा नहीं है तो कपिल धारा उपयोजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। इस उपयोजना में आम, आंवला, अमरूद, संतरा, नीबू, मौसंबी इत्यादि फलदार पौधे रोपित किये जाते हैं। एक हेक्टेयर के स्थान पर एक एकड़ भूमि धारकों को नंदन फलोद्यान उपयोजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान अगस्त 2014 से किया गया है।

3. भूमि–शिल्प

भूमि शिल्प उपयोजना कृषि उत्पादन में वृद्वि के लिए भूमि सुधार के कार्यों से संबंधित है। इसके तहत अनुपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाने में सहायता प्रदान की जाती है। योजना में भूमि विकास के कार्य जैसे समतलीकरण और मेढ़ बंधान आदि कराए जाते हैं।

4. रेशम उपयोजना

इस उपयोजना के तहत निजी एवं शासकीय भूमि पर शहतूत के पौधे लगाने की बहुउद्देशीय गतिविधि को शामिल किया गया है। मध्यप्रदे ा रेशम संचालनालय द्वारा रेशम उत्पादन के लिए अनुशंसित जिलों बैतूल, गुना, धार, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, सीधी, देवास, झाबुआ, खंडवा, खरगौन, बडवानी, मंडला, डिण्डौरी, सिवनी, बालाघाट, हरदा, छिंदवाड़ा, कटनी एवं बुरहानपुर में यह उपयोजना संचालित है।

5. वनवासी संवर्धन

इस उपयोजना में सुदूर वन अंचलों में निवास करने वाले वन अधिकार अधिनियम के तहत वनाधिकार प्रमाण–पत्र धारक ग्रामीण परिवारों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक कार्यों का लाभ देने हेतु वनवासी संवर्धन उपयोजना निर्मित की गई है।

6. **मेरा खेत–मेरी माटी उपयोजना**

इस उपयोजना के तहत आगामी 5 वर्षों में मनरेगा के अंतर्गत पात्र हितग्राही किसानों के लिये किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग तथा उद्यानिकी विभाग के सहयोग से बड़े स्तर पर भूमि सुधार एवं भूमिक समतलीकरण के कार्य किये जाते हैं। इसके अंतर्गत मेढ़ बंधान, कपिल धारा कूप, खेत तालाब, नाला बंधान/लघु स्टाप डेम निर्माण, कृषि उद्यानिकी, कृषि वानिकी, नाडेप, टांका, बायोगैस, वर्मी कम्पोस्ट, गाय–भैंस, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन के लिये शेड निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों हेतु सामुदायिक शेड निर्माण आदि काम किये जाते हैं।

7. **पशुधन विकास उपयोजना**

महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की स्वयं की भूमि पर योजनान्तर्गत पशु शेड, बकरी शेड, मुर्गी शेड, शूकर पालन हेतु शेड, पशुओं के चारे के लिये अजोला पिट एवं चारागाह विकास निर्माण कार्य कराये जाते हैं। पशुपालन विभाग के द्वारा अजोला पिट निर्माण एवं चारागाह विकास कार्य में तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जाता है। पशुधन जैसे गाय–भैंस, बकरी एवं शूकर हेतु पशुपालन विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है।

सामुदायिक कार्य उपयोजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मध्यप्रदेश के अंतर्गत हितग्राही मूलक कामों के अलावा कुछ सामुदायिक हितों से संबंधित कार्य भी किये जाते हैं। यह कार्य मनरेगा एवं अन्य विभागों की योजनाओं के मिलेजुले सहयोग से कराये जाते हैं। इन योजनाओं में कोई एक व्यक्ति या परिवार हितग्राही नहीं होता है, बल्कि समाज का एक बड़ा समूह या पूरा समुदाय ही इन योजनाओं से लाभ पा सकता है।

रेशम उपयोजना (हितग्राहीमूलक भी है), शैलपर्ण वन्या उपयोजना, शहस्त्र धारा, निर्मल नीर, नदी–नालों पर श्रंखलाबद्ध जल संरचनाओं का निर्माण, लघु सिंचाई तालाब एवं माईनर नहरों का रखरखाव, ग्रामीण क्रीडांगन शांतिधाम, कामधेनु , आंतरिक पथ निर्माण, नर्मदा समग्र प्रकल्प, नर्मदा परिक्रमा पथ, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (पंचायत भवन) आंगनवाडी भवन, सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेल सड़क उपयोजना, अनाज गोदाम निर्माण एवं समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट उपयोजनाओं के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य विभागों/योजनाओं के अभिसरण से सामुदायिक कार्य कराये जाते हैं।

1. **शैलपर्ण उपयोजना**

शैलपर्ण उपयोजना ग्रामीण क्षेत्रों की वनस्पति विहीन पहाड़ियों के उपचार से संबंधित है। उपयोजना के तहत ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी एवं पशुचारा पत्ती उपलब्ध कराने के लिए पौधारोपण चरागाह विकास, वर्षा जल व मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए पहाड़ियों पर छोटे–छोटे गड्ढों का निर्माण

किया जाता है। पहाड़ी पर जलबहाव की नालियों पर पत्थर के अवरोधक व पहाड़ियों की तलहटी पर पशु को रोकने के लिए अवरोधक खंती निर्माण आदि के कार्य कराये जाते हैं।

2. **वन्या उपयोजना**

यह उपयोजना पौधे लगाने की गतिविधि को बहुउद्देशीय बनाने और तसर पौधों के अतिरिक्त अन्य वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। ग्राम पंचायत द्वारा अर्जुन तथा साज/साल के वृक्ष के पौधों की उपलब्धता कराई जाती है। यह योजना रेशम संचालनालय द्वारा तसर उत्पादन के लिए अनुशंसित जिलों बैतूल, शहडोल, उमरिया, देवास, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, मण्डला, डिण्डौरी, सिवनी, बालाघाट, हरदा एवं छिंदवाड़ा में लागू है।

3. **सहस्त्र धारा**

सहस्त्र धारा उपयोजना के अंतर्गत जल संसाधन/कृषि/ग्राम पंचायत विभाग की समस्त सिंचाई परियोजनाओं पर इस योजना के तहत कार्य किए जाते हैं। योजना में सिंचाई नहरों, एन बरहा एवं उस पर आवश्यक पक्की संरचना निर्माण, खेत रूपांकित सिंचाई क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र को विभाजित करने के लिए नालियों का निर्माण, जाल निकास नालियों का निर्माण और जल निकासी हेतु आवश्यक पक्की संरचना निर्माण के कार्य कराए जाते हैं।

4. **निर्मल नीर**

निर्मल नीर उपयोजना ग्रामीण क्षेत्र की जल आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता से संबंधित है। पेय जल, निस्तार एवं पशु पेयजल सुविधाओं के विकास के कार्य, जल स्रोत्रों एवं संरचनाओं के पुनरुद्धार के कार्य, जल संग्रहण क्षेत्र में जल संवर्धन के कार्यों के लिए इस योजना में सोख्ता गड्ढे, रिचार्ज पिट और पशु पेयजल टंकी/हौदी का निर्माण किया जाता है।

5. **नदी–नालों पर श्रृंखलाबद्ध जल संरचनाओं का निर्माण**

इस उपयोजना के तहत वर्षात के पानी को रोकने के लिए नदी–नालों पर श्रृंखलाबद्ध जल संरचनाएँ बनाने एवं उनके संबर्धन का कार्य किया जाता है ताकि व्यर्थ बह जाने वाले वर्षात के पानी को संग्रहित किया जा सके। इस उपयोजना में ऐसे नदी–नाले चयनित किए जाते है जिनमें उपलब्ध पानी क्षेत्र की फसल की सिंचाई की आवश्यकता के 50 प्रतिशत से कम नहीं हो, साथ ही जिनमें अपेक्षाकृत मध्यम एवं कम ढाल रहता है। ऐसे नदी–नालों का चुनाव नहीं किया जाता है जिनके तल में अत्यधिक गहराई पर नींव के लिए उपयुक्त चट्टान या परत होती है।

6. **लघु सिंचाई तालाब एवं माईनर नहरों का रखरखाव**

इस उपयोजना के तहत लघु सिंचाई तालाव एवं माईनर नहरों के रखरखाव, पूर्व निर्मित सिंचाई नहरों एवं तालाबों के रखरखाव का कार्य किया जाता है। कृषि विभाग एवं ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्व

में निर्मित कई तालाब एवं नहरें रखरखाव के अभाव में क्षमता से कम उपयोगी रह गये हैं। ऐसे तालाबों एवं नहरों का रखरखाव इस उपयोजना के अंतर्गत किया जाता है, जिससे उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा सके।

7. **ग्रामीण क्रीडांगन**

इस उपयोजना का उद्देश्य दैनिक रोजगार के कार्यों से मूलभूत सुविधाओं का विकास करते हुए स्थानीय संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विकास करना है। इसमें खेल मैदान विकसित किये जा सकते हैं ताकि ग्रामीण परिवेश में खेलों के प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहन मिले। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को विकास के नए अवसर प्राप्त हों। राजीव गांधी खेल अभियान (आर.जी.के) के सहयोग से ग्राम पंचायत स्तर के खेल मैदान हेतु रूपये पांच लाख तक की खेल सामग्री उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

8. **शांतिधाम**

इस उपयोजना का उद्देश्य श्मशान भूमि/ कब्रिस्तान में मूलभूत सुविधाओं जैसे–पानी, छाया, सूखी लकड़ी, प्लेटफार्म, स्वच्छ व पवित्र वातावरण आदि की व्यवस्था करना है। शांतिधाम उपयोजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि समतलीकरण के कार्य, श्मशान भूमि/कब्रिस्तान के चारों ओर छायादार वृक्ष जैसे–नीम, बरगद, पीपल, गुलमोहर, गूलर, पाकड़ आदि तथा फूल वाले जैसे– बोगनबेलिया, कन्हेर आदि तथा शांतिधाम स्थल के चारों कोने पर बॉस का वृक्षारोपण आदि के कार्य शामिल हैं। इसके अलावा शांतिधाम के प्रस्तावित स्थल के अंदर या समीप पानी की व्यवस्था न होने पर कुआं अथवा स्थल के समीप नदी/नाला होने पर स्टापडेम/चेकडेम का निर्माण करना, शामिल है।

9. **कामधेनु**

इस उपयोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की गौशालाओं का विकास करना है। गौशालाओं के विकास हेतु उपयोजना अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों में ग्राम से गौशालाओं तक जी.एस.बी. स्तर पर पहुँच मार्ग, पशु अवरोधक बोल्डर दिवार, पेयजल व्यवस्था हेतु कूप निर्माण/लघु तालाब निर्माण, गौशाला की भूमि पर वृक्षारोपण, चारागाह विकास आदि प्रमुख है। इसके अलावा गोबर की खाद तैयार करने हेतु खंती का निर्माण कार्य भी किया जाता है।

10. **आंतरिक पथ निर्माण**

ग्रामों में आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए अभिसरण द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा–आंतरिक पथ निर्माण उपयोजना का निर्माण किया गया है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र .की राशि के साथ अन्य मद की राशि के अभिसरण से सीमेंट कांक्रीट रोड, नाली निर्माण – जल निकायों की उपयुक्त व्यवस्था के साथ कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं एवं जिनमें महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र के कार्यों हेतु मजदूरी सामग्री अनुपात 60

– 40 की सीमा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मजदूरी सामग्री अनुपात राशि से अधिक व्यय होने पर शेष विधायक निधि या अन्य किसी शासकीय मद से व्यय होगी।

11. **नर्मदा परिक्रमा पथ**

प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी में परिक्रमा पथ को सुविधाजनक बनाने एवं पर्यावरण की दृष्टि से नर्मदा नदी के विकास हेतु नर्मदा परिक्रमा पथ उपयोजना निर्मित की गई है।

12. **भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (पंचायत भवन)**

इस उपयोजना का मुख्य उद्दे य कार्य अनुदान (परफार्मेंस ग्रांट) या अन्य योजनाओं के अभिसरण (सम्मिलन) से मनरेगा की गतिविधियों के प्रदर्शन आदि के लिए भवन निर्माण एवं अन्य ग्राम पंचायतों में ई–पंचायत कक्ष का निर्माण करना है।

13. **आंगनबाड़ी भवन**

इस उपयोजना का मुख्य उद्देश्य महिला एवं बाल विकास/कार्य अनुदान (परफार्मेंस ग्रांट) एवं मनरेगा के अभिसरण (सम्मिलन) से भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनवाड़ी भवन निर्माण करना है।

14. **सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना**

इस उपयोजना का उद्देश्य ऐसे ग्राम एवं मजरे टोले जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (CMGSY) में शामिल नहीं हैं, उन्हें बारहमासी सड़क से जोड़ने तथा खेत समूह को जोड़ने हेतु ग्रेवल सड़कों का निर्माण करना है। यह सड़कें पुल–पुलियों सहित मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (CMGSY) के मापदण्ड के अनुसार ही बनाई जाती हैं। मजदूरी एवं सामग्री अनुपात 60 – 40 ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित नहीं होने पर अन्य मदों से अभिसरण का विकल्प रखा गया है।

15. **अनाज गोदाम**

इस उपयोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित वितरण प्रणाली केन्द्रों पर, सहकारिता विभाग द्वारा चयनित स्थल पर अनाज भण्डार हेतु 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण करना है।

हितग्राहीमूलक कार्यों से लाभान्वित होने वाला पात्र वर्ग

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
2. गरीबी रेखा से नीचे के परिवार
3. भूमि सुधार के हितग्राही

4. इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारी

5. महिला मुखिया वाले परिवार या विकलांग मुखिया वाले परिवार

6. वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि पर हक प्रमाण पत्र धारक परिवार

7. ऋण अधित्यजन अधिनियम 2008 के तहत तथा परिभाषित लघु एवं सीमांत कृषक परिवार

8. जनवरी 2012 से ग्राम कोटवार को प्रदाय शासकीय सेवा भूमि के विकास हेतु लाभ

9. एक वित्तीय वर्ष में किसी भी अवधि में 100 दिवस एवं वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत हक प्रमाण–पत्र धारक जाबकार्डधारी परिवारों को 150 दिवस का रोजगार

10. कार्य नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का पात्रता।

11. कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार।

नवाचार

प्रिय मित्र पत्र से रोजगार की दस्तक, हर ग्रामीण घर तक (MITR - Main Streaming is Their Right)

मनरेगा के तहत हर जॉबकार्डधारी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रिय मित्र पत्र की पहल की गयी है। इसके तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों के बारे में प्रतिमाह प्रिय मित्र पत्र देकर ग्रामीणों को बताया जा रहा है। जिससे जॉबकार्डधारी परिवार को इस बात की जानकारी मिल सके कि ग्राम पंचायत में कौन–कौन से कार्य चल रहे हैं। इस जानकारी से जॉबकार्डधारी परिवार काम करने के लिये आ सकता है। साथ ही उसे रोजाना मिलने वाली मजदूरी की दर, ग्रामीण परिवार द्वारा साल में किये जाने वाले कार्य दिवस तथा मजदूरी पर मिलने वाली राशि आदि की जानकारी दी जा रही है।

रोजगार संवाद कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक नियत दिनांक को प्रत्येक माह ग्राम संवाद दिवस एवं ग्रामीणों को योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाना एवं योजना के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों को दूर कर योजना को बेहतर क्रियान्वित कराना है। रोजगार संवाद दिवस के दिन योजना के क्रियान्वयन से संबंधित अधिकारी–कर्मचारी उपस्थित रहकर मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण कराना सुनिश्चित करते हैं। इसी दिन अन्य विभागों के अधिकारी भी अपने विभाग की योजनाओं का प्रचार–प्रसार भी करते हैं।

हितैषी (HITEISHI-Hitgrahi Enabled to Invest and Suggest Household for Implementation)

मनरेगा अंतर्गत पात्र हितग्राही अपने खेत एवं आवासीय परिसर में मनरेगा की जिन उपयोजनाओं का लाभ लेना चाहिते हैं, हितैषी आवेदन पत्र दे सकते हैं। हितैषी आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के पात्र हितग्राहियों को मुहैया कराये गये हैं। इस कार्यवाही से हितग्राहियों को अपने खेत एवं आवासीय परिसर में मनरेगा की उपयोजनाओं का लाभ लेना आसान हुआ है।

फाईल ट्रेकिंग साफ्टवेयर– उत्तरा

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् में आवेदकों द्वारा दिये गए पत्रों पर अविलंब कार्यवाही एवं प्रचलित फाईलों के ट्रेकिंग के लिए उत्तरा (UTTRA) साफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है।

इलेक्ट्रानिक निधि प्रबंधन प्रणाली (EFMS-Electronic Fund Management System) एवं एक ही खाते से भुगतान

मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल, 2014 से प्रणाली लागू की गयी जिसके तहत काम करने वाले मजदूरों की इंट्री आनलाईन मनरेगा पोर्टल पर की जाती है तथा ई–मस्टर रोल निकाला जाता है। एक सप्ताह के पश्चात् इस ई–मस्टर के मूल्यांकन उपरांत पोर्टल में इंट्री की जाती है तथा मजदूरी (एफटीओ) फण्ड ट्रांसफर आर्डर जारी करके मजदूरों के खातों में राशि ई ट्रांस्फर की जाती है। यह सारी प्रक्रिया मनरेगा के पोर्टल पर प्रदर्शित होती है जिससे समय सीमा में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित होता है एवं क्रियान्वयन की निगरानी करना आसान होती है। मध्यप्रदेश में मनरेगा में प्रदेश स्तर पर एक ही एकाउंट 1 अप्रैल 2015 से संधारित किया जा रहा है। इस अकाउण्ट से ही पूरे प्रदेश में मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान किया जा रहा है।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/ मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें ?
यह देखें कि किसी का पंजीकरण छूटा तो नहीं है?	यदि छूटा है तो पंचायत से मिलकर उनका पंजीयन करवाएं।
क्या सभी को जॉब कार्ड मिल गए हैं?	यदि किसी को नहीं मिले हैं, तो उन्हें जॉब कार्ड दिलवाएं।
नियमानुसार जॉब कार्ड रोजगार हकधारक के नियंत्रण में ही होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी/दफ्तर, पंचायत, सरपंच या पंचायत सचिव सहित किसी और के पास नहीं होना चाहिए।	यदि लोगों के जॉब कार्ड किसी और के नियंत्रण में हैं, तो इस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी या कलेक्टर के साथ मिलकर कार्यवाही की प्रक्रिया में जाएं।
पंचायत में मनरेगा के तहत जो काम चल रहे हैं, क्या उनके लिए लोगों ने काम की मांग की थी ? यदि बिना मांग के काम चल रहे हैं और रोजगार दिया जा रहा है, तो उसे रुकवाएं नहीं। समुदाय को बताएं कि काम की मांग करना जरूरी ताकि हमें पावती मिले और कानून में दिए गए अन्य हकों की सुरक्षा हो सके।	जॉब कार्ड हक धारक के पास की होना चाहिए और यह निःशुल्क मिलता है। यदि ऐसा न हो तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कलेक्टर से मिलकर जवाबदेहिता सुनिश्चित करने वाली प्रक्रिया चलाएं।
जॉब कार्ड किनके पास है ?	जॉब कार्ड बनाने के लिए किसी ने कोई धनराशि तो नहीं ली?
मनरेगा के तहत वार्षिक और पंचवर्षीय योजना ग्राम सभा में बनना और अनुमोदित होना चाहिए।	समुदाय के साथ मिलकर सुनिश्चित करें और अपने संसाधनों, जरूरतों के मुताबिक समूह में बैठकर योजना का निर्माण करवाएं, ग्राम सभा में चर्चा हो और पंचायत उसके मुताबिक प्रक्रिया चलाए।
मनरेगा के तहत कुछ हितग्राही मूलक योजनाएं भी हैं। जैसे – कपिलधारा में निजी भूमि पर कुएं, खेत तालाब, चेक डेम, स्टाप डेम, लघु तालाब बनाए जाते हैं। नंदन फलोद्यान में फलों के पेड़ लगाने, भूमि शिल्प में भूमि सुधार, रेशम योजना, निर्मल वाटिका आदि।	यह देखें कि इन योजनाओं में गांव/समुदाय में किन लोगों को लाभ मिल रहा है? क्या उन्हें पूरा लाभ मिला? कौन लोग हैं, जो वंचित रह गए हैं? जो भी पात्र हैं उन्हें ग्राम सभा और पंचायत के जरिए हक दिलाना।

मनरेगा के तहत निगरानी समिति बनना चाहिए।	पंचायत में निगरानी समिति बनी है। उसमें कौन लोग संदस्य हैं ? उसके रजिस्टर में जानकारियां दर्ज हैं ?
कानून के मुताबिक मनरेगा के कामों का सामाजिक अंकेक्षण होना।	हर छह माह में ग्राम सभा में मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण करवाना। इसमें केवल खर्चे के हिसाब किताब की बात ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह देखना भी जरूरी है कि लोगों के जाब कार्ड बने हैं ? कितने लोग काम की मांग कर रहे हैं? जो नहीं कर रहे हैं, वे क्यों नहीं कर रहे हैं ? मनरेगा में होने वाले कामों की गुणवत्ता जांचना, सड़क की लम्बाई, कुएं का पूरा बनना, पूरी मजदूरी मिलना, बेरोजगारी भत्ता–मुआवजा मिलना सरीखे कई पक्षों पर सामाजिक जांच–पड़ताल करवाना है।
मनरेगा से आया बदलाव	इस कानून का मकसद है लोगों को रोजगार का अधिकार देना, गरीबी में कमी लाना, पलायन रोकना और महत्वपूर्ण उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करवाना। इस बात का समुदाय के साथ बैठ कर विश्लेषण करें कि क्या इनमें से कुछ लक्ष्य हासिल हुए? जो कुछ भी सकारात्मक हुआ है, उसके बारे में सबसे बात करें।

प्रायोगिक/मैदानी काम की रिपोर्ट

अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि मनरेगा एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण कानून है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने गांव, पंचायत और समुदाय में इसे सही रूप में लागू करवाएं। आप अपने प्रायोगिक/मैदानी काम पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसका खाका प्रायोगिक कार्य पुस्तिका – एक परिचय में विस्तार से दिया गया है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

देश में आधे से ज्यादा लोगों की आजीविका खेती पर आधारित है। पर किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। खेती के क्षेत्रों में जलग्रहण विकास के सिद्वांत के आधार पर जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विकास विभाग ने वर्ष 2009 में एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी) प्रारंभ किया था, जिसे जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में समाहित कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बहुआयामी दृष्टिकोण नवीन जलस्रोतों के सृजन, प्रभावी जल परिवहन, जल के समुचित वितरण एवं दक्षतापूर्ण उपयोग को समाहित कर अभिकल्पित किया गया है। जलग्रहण विकास की अवधारणा इस दृष्टिकोण की पूर्ति करती है। जलग्रहण विकास एक ऐसी योजना है जिसमें कम लागत से नवीन जलस्रोतों का सृजन किया जा सकता है तथा स्वस्थाने संरक्षण के कारण जल के परिवहन में निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही जल का वितरण और संरचनाओं का प्रबंधन ग्रामीण समुदाय द्वारा स्वयं किये जाने के कारण दक्षतापूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित होता है।

योजना के उद्देश्य

- हर खेत को पानी उपलब्ध कराना
- वर्षा जल को सहेजकर सतही जल संग्रहण एवं भूजल संवर्धन के द्वारा सिंचाई सामर्थ्य में विस्तार करना
- पड़त भूमि को विकसित कर इसे उत्पादन हेतु उपयोग में लाना
- उन्नत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों को अपनाकर कृषि उत्पादन में बृद्धि करना
- संसाधनहीन ग्रामीणों की आजीविका उन्नयन हेतु आय के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन

योजना की विशेषताएं

मध्यप्रदेश में लगभग 55 प्रतिशत कृषि क्षेत्र असिंचित है। इन क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भरता, असमय सूखा और भूजल में गिरावट के कारण खेती में उत्पादन कम होता है। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल को सहेजकर सतही जल संग्रहण एवं भूजल संवर्धन के द्वारा संरक्षित सिंचाई से खेती में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है तथा जरूरत के अनुसार प्रौद्योगिकी एवं अन्य आदानों को बढ़ाकर खेती को बढ़ाया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में जलग्रहण विकास की योजना सिंचाई का विकास करके कृषि उत्पादन में बढोतरी एवं ग्रामीण समृद्वता के लिए उपयोगी योजना है। इस योजना की रणनीति जनसहभागिता केन्द्रित है तथा कार्यप्रणाली सामुदायिक संगठन आधारित है। ग्राम स्तर पर कृषकों के उपयोगकर्ता दल, संसाधनहीन एवं गरीब ग्रामीण गरीबों के

स्वसहायता समूहों और जलग्रहण समिति गठित कर उन्हें परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन जनित परिसम्पत्तियों के रखरखाव तथा अनुश्रवण संबंधी महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गये हैं।

कार्यक्षेत्र

यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। वर्तमान में कुल 494 परियोजनाएं प्रदेश में संचालित हैं।

योजना के तहत किये जाने वाले काम

- मिट्टी के संरक्षण हेतु कंटूर ट्रेंच, मेड़ बंधान, गली प्लग, लूज बोल्डर चेक आदि का निर्माण
- सतही जलसंग्रहण हेतु स्टापडेम, चेकडेम, नाला बंधान, तालाब, फार्म पौंड, डग आउट, पोंड एवं बोरी बंधान आदि का निर्माण
- भूजल संवर्धन हेतु परकोलेशन टैंक, कुंडी, कुइया, कुआ/नलकूप रिचार्ज, भूमिगत डाइक आदि
- वानस्पतिक आवरण में बृद्धि हेतु वृक्षारोपण व घास विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन
- संसाधनहीन ग्रामीणों की आजीविका उन्नयन हेतु आयमूलक गतिविधियों का क्रियान्वयन

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/ मैदानी कार्य के लिए कुछ बिन्दु	क्या कार्यवाही करें ?
यह देखना होगा कि इस योजना के बारे में ग्रामीण लोगों को जानकारी हो	• योजना के बारे में स्थानीय स्तर पर लोगों की जानकारी बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है ग्रामसभा में चर्चा करना। • ग्रामसभा के अलावा गांव स्तर पर किसानों व महिलाओं के स्वसहायता समूहों में चर्चा करायें
• यह देखें कि गांव में कितनी जमीन ऐसी हैं जिसमें सिंचाई की सुविधा नहीं है? • जे जमीन असिंचित है उनमें क्या सिंचाई के तरीकों की संभावनाएं हैं, क्या वहां तालाब या खेत तालाब बनाया जा सकता है या किसी छोटे नाले पर बंधान या बोरी बंधान बनाया जा सकता है या फिर कुए की खुदाई हो सकती है।	• जरूरतमंद लोगों के स्वसहायता समूह या किसान उपयोगकर्ता दल, जल ग्रहण समिति बनाकर सिंचाई के तरीकों पर उनसे चर्चा करें एवं योजना से जोड़ें • ग्राम पंचायत की योजना में लोगों की मांग के अनुरूप योजना शामिल करायें एवं उसका फालोअप किया जाये।

सिंचाई की उन्नत तकनीकों का उपयोग करना	• पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए टपक या फब्बारा पद्वति का उपयोग उपयोगी होता है, इस पद्वति के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जा सकता है
भूजल संवर्धन के लिए परकोलेशन टेंक, कुआ/कुइया, कुंडी आदि का निर्माण	गांव स्तर पर पानी को भूमि सतह के नीचे रिचार्ज करने के लिए छोटै टेंक, कुआ एवं कुइया, कुंडी आदि के निर्माण के लिए ग्रामसभा में चर्चा की जाना चाहिए एवं लोगों की राय के अनुसार इन तरीकों पर अमल किया जाना चाहिए।

प्रायोगिक/मैदानी काम की रिपोर्ट

अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – वाटरशेड विकास एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण योजना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने गांव, पंचायत और समुदाय में इसे सही रूप में लागू करवाएं। आप अपने प्रायोगिक/मैदानी काम पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसका खाका प्रायोगिक कार्य पुस्तिका – एक परिचय में विस्तार से दिया गया है।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

टिकाऊ विकास के पहले लक्ष्य में गरीबी को हटाने की बात कही गयी है साथ ही कई अन्य लक्ष्यों में भी गरीबी एवं आजीविका के बारे में कहा गया है। मध्यप्रदेश में लम्बे समय से गरीब एवं वंचित परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की जरूरत महसूस की जाती रही है। प्रदेश में करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं। वंचित लोगों के लिए गरीबी का अर्थ केवल भौतिक जरूरतों एवं इच्छाओं को पूरा करना नहीं है बल्कि उनकी बुनियादी जरूरतों एवं सुविधाओं एवं सेवाओं तक उनकी पहुंच भी जरूरी है। गरीबी के इन गैर भौतिक पहलुओं के कारण सीमावर्ती समूहों खासकर महिलाओं एवं बच्चों की पहुंच विकास कार्यक्रमों तक नहीं हो पाती और वे गरीबी एवं भूख तथा अन्य वंचनाओं का शिकार हो जाते हैं। अतः जब हम सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में बात करेंगे तो इन पहलुओं को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा।

समय समय पर गरीबी को हटाने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं, पर गरीबी दूर करने के अब तक ये प्रयास जरूरतों के अनुरूप पर्याप्त नहीं साबित हुए हैं। मध्यप्रदेश में गरीबी दूर करने के अनेकों कार्यक्रम एवं योजनाओं के बावजूद अभी गरीबी का स्तर पूरी तरह से बदलाव की ओर इशारा नहीं करता है। इसी कड़ी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्थापित किया गया है ताकि मजबूत बुनियादी ढांचे के तहत लोगों की आजीविका में सुधार हो सके और उसे अधिक स्थायी बनाया जा सके।

आजीविका विकास के मुख्य सिद्वांत

- गरीबों में गरीबी से निजात पाने की तीव्र इच्छा एवं इस संबंध में उनमें क्षमता होती है।
- गरीबों की क्षमता के उपयोग के लिए सामाजिक एकजुटता एवं मजबूत संस्थागत ढांचा महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक एकजुटता एवं अधिकारिता के लिए एक बाहरी समर्पित एवं संवेदनशील सहायता ढांचा की जरूरत होती है।
- इस बेहतरी के लिए जानकारी का प्रचार प्रसार कोशल विकास, ऋण एवं बाजार एवं अन्य आजीविका सेवाओं की जरूरत होती है।
- हमारा यह विश्वास है कि सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने व गरीबी दूर करने के लिए समुदाय को खुद विकास कार्यक्रमों एवं गरीबी दूर करने के उपायों में स्वयं नेतृत्व करना जरूरी है। इन्हीं सिद्वांतों को ध्यान में रखते हुए गरीबों को स्थायी रूप से आजीविका के अवसर मुहैया कराने के मकसद से उनकी क्षमता बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत है ताकि वे तेजी से हो रहे बाहरी बदलाव के अनुसार स्वयं को ढाल सकें। साथ ही टिकाऊ आजीविका के साधनों के विकास में मजबूत भूमिका निभा सकें।

मिशन का उद्देश्य

प्रदेश में ग्रामीण गरीब परिवारों (बीपीएल) में सामुदायिक संस्थाओं का विकास कर उन्हें आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने एवं उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित कराने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के रूप में वर्ष 2012 में पुनर्गठित किया गया है, जिसे मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र

मिशन वर्ष 2012 –13 से 10 जिलों में गहन कार्य एवं शेष जिलों में गैर गहन कार्य हेतु लागू हुआ है। वर्ष 2015 –16 में 29 जिलों के 164 विकासखण्डों में सघन रूप से कार्य किया गया। मिशन अंतर्गत सभी ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्व–सहायता समूह के रूप में संगठित किया जा रहा है। इन समूहों को आवश्यकतानुसार उच्च स्तरीय एवं गतिविधि आधारित फेडरेशन का गठन कर उन्हें सशक्त किया जाता है।

मिशन के मुख्य उद्देश्य:

- [illegible] ग्रामीण निर्धन [illegible] पर मिशन की पहुंच [illegible] किया [illegible]
- [illegible] का क्रियान्वयन [illegible] के आधार पर किया जाना।
- [illegible] ग्रामीण [illegible] को स्वसहायता के [illegible] के रूप में [illegible] किया जाना।
- [illegible] ग्रामीण निर्धन [illegible] संस्थाओं का निर्माण [illegible] महिलाओं के [illegible] समूह एवं [illegible] पर विशेष ध्यान [illegible]
- [illegible] तकनीकी [illegible] सेवाओं [illegible] पहुंच [illegible]
- [illegible] युवाओं [illegible] एवं कौशल निर्माण [illegible] रोजगार के [illegible] कराना।
- [illegible] ग्रामीण निर्धन [illegible] सामाजिक आर्थिक [illegible] में सुधार के [illegible] किया जाना।
- [illegible] ग्रामीण निर्धन [illegible] सहायता तब तक [illegible] उबर न सकें।

योजना के अंतर्गत रिवाल्विंग फण्ड (परिकामी निधि)

गरीब परिवारों के स्व–सहायता समूहों को ग्रेडिंग के आधार पर प्रति समूह कम से कम 10,000 रूपये तथा अधिकतम 15,000 रूपये तक का रिवाल्विंग फण्ड प्राप्त होगा।

सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.)

समूहों के गरीब सदस्यों की जरूरतों के लिये बजट की उपलब्धता के अनुसार ग्राम संगठन के माध्यम से समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई जाती है। यह राशि प्रति समूह अधिकतम रूपये 1,10,000 के मान से ग्राम संगठन के 50 प्रतिशत समूहों की संख्या के अनुसार दी जाती है।

ब्याज अनुदान

स्व–सहायता समूहों / व्यक्तिगत लाभार्थियों के द्वारा बैंकों से प्रति सदस्य 3 लाख रूपये तक के लिए गए ऋण के लिये 7 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक ब्याज पर तुरन्त पुनर्भुगतान पर आधारित ब्याज अनुदान का

लाभ मिलेगा। स्व–सहायता समूह/लाभार्थी जिन्हें पूर्व में पूंजीगत अनुदान प्राप्त हुआ है, उन्हें ब्याज अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

रोजगारोन्मुखी कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

ग्रामीण गरीब परिवारों के युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिलाया जाकर नियोजन की उपलब्धता कराई जावेगी।

आर–सेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) द्वारा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण

ग्रामीण गरीब परिवारों के युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार स्थापित करने के अवसर प्राप्त होंगे।

रोजगार मेले

ग्रामीण गरीब परिवारों के युवाओं को सार्वजनिक एवं निजी संगठनों में नियोजन के अवसर रोजगार मेलों के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

पात्र हितग्राही

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले चयनित परिवार इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र होंगे।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कमजोर वर्ग के परिवारों को गरीबी से उबरने का एक आधार प्रदान करता है ताकि लोगों को गरीबी से निजात मिले एवं उनके जीवन स्तर में सुधार हो। जब हम इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रायोगिक कार्य करें तो ध्यान रखें कि कोई गरीब परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। सभी जरूरतमंद परिवारों की सूची बनायी जाये एवं योजना से जोड़ने के लिए संपर्क किया जाये। यह परिवारों एवं समुदाय पर छोड़ा जाना चाहिए कि वे अपने परिवार की आजीविका को मजबूत करने के लिए किस तरह की गतिविधियों को प्राथमिकता देते हैं। किसी परिवार को किसी गतिविधि को अपनाने के लिए थोपा नहीं जाना चाहिए। परिवार की क्षमता एवं कौशल बढ़ाने व उसकी इच्छा के अनुरूप ही आजीविका गतिविधियों को नियोजित करना चाहिए एवं उसमें सहयोग दिया जाना चाहिए।

प्रायोगिक/ मैदानी कार्य के लिए कुछ बिन्दु	क्या कार्यवाही करें ?
परिवारों की आजीविका को मजबूती देने वाली इस योजना की घर घर तक पहुंच को बढ़ाना	गांव के सार्वजनिक स्थानों पर योजना के बारे में दीवार लेखन, ग्रामसभा में योजना के बारे में जानकारी दी जाये, ग्रामसभा या सामुदायिक सभाओं में योजना का लाभ लेने वाले परिवारों के बारे में बताया जाये।

गरीब व वंचित परिवारों का चयन करना एक बड़ी चुनौती है, कई मामलों में असली गरीब का हक उन्हें मिलने में अनेक कठिनाइयां आती हैं।	यह देखना जरूरी है कि कितने परिवार गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें आजीविका के साधनों से जोड़ना होगा। ताकि वे गरीबी से लड़ने की ताकत हासिल कर सकें एवं गरीबी के प्रभाव से बाहर आ सके। ग्रामसभा में गरीबी व अभाव का जीवन जी रहे लोगों की पहचान करने के लिए चर्चा करायी जानी चाहिए एवं सही गरीब की पहचान व प्राथमिकता तय करने के लिए गरीबी रेखा के अलावा समुदाय के संकेतकों पर भी चर्चा की जाना चाहिए।
यह जानने का प्रयास करें कि गांव में आजीविका से संबंधित कठिनाइयां क्या हैं, किन वर्गों में आजीविका के साधन कमजोर हैं या नहीं हैं, इन समुदायों की समस्याएं क्या हैं। इन समस्याओं को वर्गीकृत करें और इनके समाधान का साझा दृष्टिकोण विकसित करें।	• लोगों से चर्चा कर पानी, कृषि भूमि, पशुपालन, अन्य आजीविका के साधन, ऋण की समस्या, संपर्क सड़क, आंतरिक संसाधनों जैसे मुद्दों पर समुदाय की प्राथमिकता क्या है। • आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सी समस्या को सबसे पहले सुलझाना होगा। • इसके बाद देखें कि कौन इन मुद्दों के प्रति चिंतित है और कौन से लोग स्थिति में बदलाव चाहते हैं। • यह भी देखें कि कौन इन परिवर्तनों के रास्ते में आड़े आएगा और उन्हें रोकने की कोशिश करेगा।
गरीबी रेखा के नीचे रह रहे जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ दिलाना	यह देखना होगा कि कितने परिवारों में आजीविका के साधन निश्चित नहीं हैं और ऐसे परिवारों को इस मिशन से जोड़ना है। गांव में मिशन के तहत संचालित स्वसहायता समूहों में इस विषय पर चर्चा की जाना चाहिए एवं उनकी क्षमता एवं चाहत के अनुसार आय बढ़ाने वाली गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए।
स्थानीय परिस्थितियों एवं स्थानीय संसाधनों तथा लोगों की क्षमताओं के अनुरूप आजीविका के साधनों का विकास जरूरी है	यह देखना कि स्थानीय स्तर पर किस तरह की आर्थिक गतिविधियां कारगर हो सकती हैं? किस तरह की गतिविधियों से लोगों को लाभ मिल रहा है? ऐसी ही आर्थिक गतिविधियों के लिए आजीविका मिशन के तहत कार्य किया जाना चाहिए ताकि लोग बिना किसी रूकावट के आर्थिक गतिविधियों को कर सकें एवं उससे लाभ उठा सकें। उदाहरण के लिए खेती के विकास, पशुपालन एवं घरेलू एवं छोटे उद्योगों से जुड़ी गतिविधियां ज्यादा

	प्रभावकारी साबित होती हैं। समुदाय के साथ इसी तरह के कामों पर चर्चा करायी जानी चाहिए। ऐसी गतिविधियां नहीं थोपी जानी चाहिए जिन पर समुदाय की तैयारी नहीं है।
कानून के मुताबिक राज्य आजीविका मिशन के कामों का सामाजिक अंकेक्षण ।	हर छह माह में ग्राम सभा में स्वरोजगार एवं अन्य गरीबी दूर करने वाली योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण करवाना चाहिए। इसमें यह देखना भी जरूरी है कि लोगों को रोजगार के कितने अवसर मिले एवं पूरा लाभ मिला या नहीं। जो लाभ प्राप्त हुआ उसमें किसी तरह की कमी तो नहीं है।
राज्य आजीविका मिशन से आया बदलाव	इस कानून का मकसद है लोगों को रोजगार का अधिकार देना, गरीबी में कमी लाना, पलायन रोकना और महत्वपूर्ण उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करवाना। इस बात का समुदाय के साथ बैठकर विश्लेषण करें कि क्या इनमें से कुछ लक्ष्य हासिल हुए? जो कुछ भी सकारात्मक हुआ है, उसके बारे में सबसे बात करें।

प्रायोगिक/मैदानी काम की रिपोर्ट

अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि राज्य आजीविका मिशन एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण मिशन है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने गांव, पंचायत और समुदाय में इसे सही रूप में लागू करवाएं। आप अपने प्रायोगिक/मैदानी काम पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसका खाका प्रायोगिक कार्य पुस्तिका – एक परिचय में विस्तार से दिया गया है।

राज्य आजीविका फोरम

- विकासखण्ड स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। सभी बेरोजगार युवा जो बाहर जाकर निजी कम्पनियों/ संस्थाओं में कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे युवाओं को प्रशिक्षण उपरान्त नियोजन का लाभ मिलता है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को रूपये 20 हजार से दस लाख तक का ऋण दिलाया जाता हे। मार्जिन मनी सहायता सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख व बी.पी.एल./अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा (क्रीमीलेयर को छोड़कर) महिला, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत व अधिकतम 2 लाख रु. है। ब्याज राशि 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों तक अधिकतम 25 हजार है।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 20.000 तक का ऋण दिलाया जाता है जिसमें ऋण राशि का 50 प्रतिशत अथवा रू. 10.000 अधिकतम राशि का लाभ म.प्र. शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें ?
मुख्यमंत्री युवा रोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजना के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी बढ़ाना	यह प्रयास किया जाना चाहिए कि गांव के सभी समुदायों के युवाओं को योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाये ताकि वे योजना के लाभ लेने के लिए आगे आ सकें।
युवाओं को चिन्हित करना एवं योजना के बारे में प्रेरित करना	ऐसे युवाओं को चिन्हित करना चाहिए जो बेरोजगार हों एवं किसी स्वरोजगार को करने के लिए इच्छुक हों। साथ ही वे किस प्रकार का रोजगार शुरू करना चाहते हैं एवं इस रोजगार के लिए कितनी राशि की जरूरत होगी।
युवाओं को योजना का लाभ दिलाना	इच्छुक युवाओं को योजना के तहत जरूरी दस्तवेजों के साथ आवेदन कराया जाना चाहिए एवं योजना को लाभ मिलने तक इसका निरंतर फालोअप किया जाना चाहिए ताकि युवाओं को योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके।

स्वच्छ भारत अभियान

टिकाऊ विकास लक्ष्य एवं स्वच्छ भारत अभियान

टिकाऊ विकास के छठवें लक्ष्य में सबके लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उसके प्रबंधन पर जोर दिया गया है। सार्वभौमिक स्वच्छता के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तथा इस प्रयास में तेजी लाने के लिए भारत में 2 अक्टोबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया गया है। साफ सफाई के वर्तमान स्तर में सुधार लाना इस लक्ष्य का मुख्य मकसद है। यह लक्ष्य सतत विकास की चुनौतियों के संदर्भ में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, इससे न केवल व्यवस्था पर दबाव बनता है बल्कि व्यक्तियों, संगठनों, सरकारों को इस दिशा में सहमत होने व इस पर ध्यान केन्द्रित करने में मदद मिलती है। साथ ही यह सोचने में भी मदद मिलती है कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, स्वच्छता हमारे लिए किस तरह जरूरी और अहम है।

इस अभियान से सामुदायिक व्यवहार, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक सुझावों एवं सिफारिशों के लिए लोग एक साथ आते हैं। इसका नतीजा यह होता कि समुदाय, स्वयंसेवी संगठन, दाता संगठन, युवा आदि सामान्य हितों एवं उद्‌देश्यों के लिए एक साथ आने को प्रेरित होते हैं। सतत विकास लक्ष्य की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए और सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए इस प्रकिया का होना बहुत आवश्यक है।

स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उद्देश्य दिसम्बर, 2018 तक संपूर्ण मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को खुले में शौच की प्रथा से पूरी तरह मुक्त करना है। यह व्यक्ति विशेष का न होकर जन–समुदाय का अभियान है। जब ग्राम समुदाय के लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तब समुदाय खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करता है। समुदाय का एक व्यक्ति भी इसका उल्लंघन करता है तो खुले में शौच के नुकसान पूरे समुदाय को उठाना पड़ता है। अतः खुले में शौच से मुक्ति तभी संभव है, जब पूरा समुदाय एकजुटता दिखाकर अभियान का क्रियान्वयन करता है।

रणनीति

- स्थानीय प्रशिक्षित प्रेरकों द्वारा समुदाय को अभिप्रेरित कर उन्हें सामुदायिक नेतृत्व प्रदान करने की गतिविधि को सूचना शिक्षा संचार के अंतर्गत प्रमुखता
- गुणवत्तापूर्ण शौचालयों के निर्माण सहित खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों के निर्माण पर जोर
- प्रत्येक वर्ष एक निश्चित संख्या में ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने में प्राथमिकता अनुसार चयन एवं सघन गतिविधियों के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति
- ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक सशक्त निगरानी एवं बाह्य निकाय द्वारा प्रगति का सत्यापन

- अभियान से जुड़े समस्त क्रियान्वयन कार्यकर्ताओं का सघन प्रशिक्षण कर क्षमताबर्धन
- खेल, कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा एवं उद्योग आदि क्षेत्रों के ख्यात व्यक्तियों की मिशन में सक्रिय भागीदारी
- स्थानीय शासकीय अमले, जनप्रतिनिधियों, जनसमुदाय, प्रेरकों को प्रशिक्षित कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन डीपीआर तैयार एवं क्रियान्वयन
- रणनीति भागीदार–राज्य में यूनिसेफ रणनीति क्रियान्वयन में भागीदार है जो कि तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है।

क्षेत्र

स्वच्छ भारत मिशन सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है एवं इसके तहत व्यक्तिगत भौचालयों एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट के उचित निपटान आदि पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्य घटक

1. व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग

इस अभियान के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के शौचालयों के निर्माण हेतु रूपये 12,000 प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्वच्छ शौचालय के साथ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पानी की टंकी तथा हाथ धुलाई हेतु वाश–बेसिन निर्मित करना अनिवार्य होता है। स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण में अतिरिक्त अंशदान करने के लिए लाभार्थी को प्रोत्साहित किया जाता है।

इस योजना के तहत वे सभी लोग पात्र हैं जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार हैं। साथ ही ऐसे गैर बी.पी.एल. परिवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा/परित्यक्ता, निशक्त/दिव्यांग, लघु/सीमांत कृषक/भूमिहीन परिवार से हों, परिवार का मुखिया महिला हो, योजना का लाभ ले सकते हैं। यह लाभ इन्दिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को भी उपलब्ध होगा।

> स्वच्छता व्यवहार बदलाव से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है अतः जब हम स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय की बात करते हैं तो ध्यान रखना होगा कि केवल शौचालय बनाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि शौचालय का उपयोग सुनिश्चित किया जाना जरूरी है एवं इसे सामुदायिक स्तर पर संवाद एवं सामुदायिक संकल्प से ही किया जा सकता है।

2. टूटे फूटे शौचालयों का निर्माण

ऐसे अपूर्ण शौचालय जिनका निर्माण मनरेगा सहयोजन से प्रारंभ किया गया था एवं ऐसे अपूर्ण/टूटे–फूटे/अनुपयोगी/शौचालय जिनका निर्माण निर्मल भारत अभियान से पूर्व की योजना के अंतर्गत कराया गया था। यदि किसी हितग्राही को पूर्व से किसी अन्य योजना या कार्यक्रम के तहत शौचालय के लिए लाभान्वित किया गया है तथा वर्तमान में वह शौचालय अनुपयोगी पाया गया है तो पूर्व में प्रदाय की राशि को 12000 से कम करते हुए शेष राशि राशि की सीमा में आवश्यक स्वीकृति दी जा सकेगी ताकि शौचालय उपयोगी बन सके।

3. समुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण

सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण केवल तब किया जायेगा जब पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए गांव में जगह की कमी हो और समुदाय/ग्राम पंचायत उनके परिचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी ले तथा उसके लिए विशिष्ट मांग करे। ऐसे परिसरों का निर्माण उन सार्वजनिक जगहों, बाजारों, बस पड़ावों आदि जगहों पर किया जा सकता है जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं। परिसर निर्माण के लिए मिशन के तहत अधिकतम 2 लाख राशि निर्धारित है जिसमें केन्द्रांश, राज्यांश एवं समुदाय/ग्राम पंचायत का अंशदान क्रमशः 60:30:10 के अनुपात में प्रावधानित है।

4. ठोस एवं तरल कूड़ा करकट का निर्माण

ठोस एवं तरल अपशिष्टों के निपटान के लिए ग्राम पंचायतों में विशेष रूप से प्रावधान है। इसके अंतर्गत्त 150 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रू 7 लाख, 300 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 12 लाख, 500 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 15 लाख तथा 500 से अधिक परिवार वाली पंचायतों को 20 लाख राशि का प्रावधान किया गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों में प्राथमिक रूप से परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है।

5. सूचना, शिक्षा एवं संचार(आईईसी) क्षमता बर्धन

सूचना शिक्षा एवं संचार इस कार्यक्रम का मुख्य घटक है। सूचना शिक्षा एवं संचार समुदाय स्तर पर व्यवहारगत बदलाव लाने, परिवारों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों एवं ठोस तथा सरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की मांग सृजित करने के लिए किया जाता है।

6. नवाचार

- 1 जुलाई 2016 से हितग्राहियों को सरलता से शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि रू. 12000 भुगतान के लिए www.swachh.mp.gov.in पोर्टल से सीधे संबंधित हितग्राही के खाते में

प्रेषण किया जा रहा है। इस सुबिधा में हितग्राही खुद अपना शौचालय बनाकर प्रोत्साहन राशि के लिए आनलाइन पात्रता जानकर आवेदन कर सकता है अथवा अपने भुगतान की स्थिति भी जान सकता है। रासज्य स्तर से यह भी सुविधा है कि यदि हितग्राही चाहे तो प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में ले सकता है।

- स्मुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता प्रशिक्षण सभी 51 जिलों में कराया गया जिसके अंतर्गत 5500 से ज्यादा प्रेरकों का चयन कर समुदाय अभिप्रेरण के माध्यम से समुदाय को स्वच्छता अभियान में जोड़ा गया है जिससे प्रत्येक ग्राम पंचायत में पदस्थ कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक पंचायत, स्वसहायता समूह, ग्राम कोटवार, महिला एवं बाल समूह को जोड़ा गया। संपूर्ण स्वच्छता के कार्यक्रम में समुदाय स्वयं अपने ग्राम को खुले में शौच मुक्त करने के लिए लोगों को प्रेरित कर निगरानी समिति अथवा दंड का प्रावधान रखता है।

सम्पर्क

योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत में संपर्क किया जा सकता है एवं ग्राम स्वच्छता संबंधी आधारभूत सर्वे के आधार पर व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

प्रायोगिक / मैदानी कार्य

जब हम स्वच्छता के मुद्दे पर समुदाय के साथ प्रायोगिक कार्य करेंगे तो हमें यह देखना होगा कि पानी एवं स्वच्छता के संबंध में समुदाय का अपना एक नजरिया रहा है जो परम्परागत तौर तरीकों एवं सांस्कृतिक परिदृश्य से बना है। समुदाय में स्वच्छता के व्यवहारों को अपनाने की एक पद्वति रही है जो समुदायों के रीति रिवाजों, त्योहारों, धर्मों में भी दिखायी देती है। लोगों की इन पद्वतियों में एक विश्वास बना हुआ है। हम कोई नयी तकनीक एवं एवं नये व्यवहारों को लेकर समुदाय में जाते हैं तो समुदाय उसे बिना जांचे परखे स्वीकार नही करता है। हमें समुदाय के साथ मिलकर पुराने व नये व्यवहारों का विश्लेषण करना होगा एवं यह समुदाय पर छोड़ना होगा कि उसे क्या तौर तरीके अपनाने की जरूरत है। यदि समुदाय नये व्यवहारों को स्वीकार करने में पहल करता है तो हमें उस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए एंव योजनाएं किस तरह से नये व्यवहारों को अपनाने के लिए मददगार हैं, उसकी चर्चा करना चाहिए।

प्रायोगिक / मैदानी कार्य के लिए कुछ बिन्दु	क्या कार्यवाही करें ?
स्वच्छ भारत मिशन के बारे में लोगों में जानकारी बढाना	यह सुनिश्चित करना होगा के मिशन के उद्देश्यों के बारे में समुदाय को पर्याप्त जानकारी है।
गांव में स्वच्छता की वर्तमान स्थिति को समझना एवं	यह जानना होगा कि समुदाय में स्वच्छता की वर्तमान स्थिति कैसी हैं यानि समुदाय के कुछ युवाओं एवं पंचायत के साथ मिलकर स्वच्छता का

<table>
<tr>
<td>समुदाय के साथ मिलकर ग्राम स्वच्छता योजना बनवाना</td>
<td>सामाजिक मानचित्रण किया जाना चाहिए एवं रंग संकेतकों आधार पर मकानों की स्थिति को वर्गीकृत करना चाहिए जैसे –
<table>
<tr><th>श्रेणी क्रम</th><th>घरों की श्रेणी</th><th>रंगों का निशान</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>वे परिवार जिनके पास शौचालय है और वे शौचालय उपयोग कर रहे हैं।</td><td>हरा</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>वे परिवार जिनके पास शौचालय है परन्तु वे खुले में शौच करते हैं।</td><td>हरा एवं काला घेरा</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वे परिवार जिनके पास शौचालय नहीं है और खुले में शौच करते हैं।</td><td>लाल</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>वे परिवार जो शौचालय का निर्माण करवा रहे है परन्तु अभी खुले में शौच करते हैं।</td><td>लाल एवं नीला घेरा</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>वे परिवार जिनके शौचालय क्षति ग्रस्त हैं उनकी मरम्मरत या नये निर्माण की जरूरत है।</td><td>नारंगी</td></tr>
</table>
उक्त जानकारी का समुदाय एवं पंचायत के साथ विश्लेषण करके एक समय आधारित योजना बनाई जा सकती हैं एवं उस पर नजर रखी जाए। समुदाय के सभी परिवार एक निर्धारित समय में स्वच्छता का व्यवहार अपनाने लगें, यही मिशन का अंतिम लक्ष्य है। कुछ परिवारों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रोत्साहन राशि का लाभ लेकर भी व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया जा सकता है।</td>
</tr>
<tr>
<td>व्यक्तिगत शौचालयों के लिए प्रोत्साहन राशि हेतु पात्रता रखने वाले परिवारों की पहचान करना एवं राशि दिलाना</td>
<td>यह देखना होगा कि व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि के लिए कितने परिवार पात्र हैं एवं पात्र परिवारों को योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के लिए ग्राम पंचायत या जनपद में आवेदन कराया जाना चाहिए एवं राशि दिलायी जानी चाहिए।</td>
</tr>
<tr>
<td>लोगों को स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा</td>
<td>यह देखा जाता है कि अधिकांश घरों में शौचालय बने होने के बावजूद लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं यानि यह लोगों के व्यवहार परिवर्तन से जुड़ा अहम पहलू हैं, ऐसे परिवारों व लोगों को स्वच्छता के फायदे व अस्वच्छता</td>
</tr>
</table>

	के नुक्सान के बारे में जानकारी देते हुए प्रेरित करना चाहिए कि उनके स्वच्छता व्यवहार को अपनाने से न केवल वे बल्कि पूरे समुदाय को बीमारियों से बचाया जा सकता है। लोगों को बतायें कि 1 ग्राम मानव मल खुले में छोड़ने से उसमें 10 लाख बैक्टीरिया पनपते हैं जो समुदाय को उल्टी दस्त व कालरा जैसी बीमारियों की तरफ धकेलते है। हम इन स्थितियों से सामुदायिक स्वच्छता के जरिये बच सकते हैं।
लोगों को स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना	यह देखना कि लोगों को स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने में किस तरह की कइिनाइयां आती हैं, इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, समुदाय इन कठिनाइयों को कैसे दूर कर सकता है।
गांव को स्वच्छ करना सामुदायिक जिम्मेदारी हैं, इसे समुदाय के मिलेजुले प्रयासों से ही पाया जा सकता है।	यह भी देखना होगा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने परिवार जुड़कर मल निपटान के उपाय कर रहे हैं, और कितने परिवार अभी भी खुले में मल त्याग रहे हैं। खुले में शौच जाने वाले परिवारों से केवल वे परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समुदाय असुरक्षित होता है अतः इस योजना का लाभ लेने के लिए समुदाय को आगे आना होगा एवं मिलकर प्रयास करना होगा। समुदाय को इस कार्य के लिए जोड़ना होगा एवं प्रेरित करना होगा।
ग्राम स्वच्छता कार्ययोजना की निगरानी एवं सोशल आडिट	ग्राम स्वच्छता योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इस पर निरंतर नजर भी रखनी होगी एवं साथ कार्ययोजना के पूर्ण होने के बाद इस पर ग्रामसभा में चर्चा होनी चाहिए कि गांव में स्वच्छता के कौन से उपाय कारगर साबित हो रहें हैं? कितने घरों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ है? शौचालयों के उपयोग की स्थिति क्या है? लोगों को स्वच्छता का व्यवहार अपनाने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं?

प्रायोगिक/मैदानी काम की रिपोर्ट

अब तक यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण मिशन है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने गांव, पंचायत और समुदाय में इसे सही रूप में लागू करवाएं। आप अपने प्रायोगिक/मैदानी काम पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसका खाका प्रायोगिक कार्य पुस्तिका – एक परिचय में विस्तार से दिया गया है।

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्ग दर्शिका के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि के समतुल्य राशि (50:50) राज्य शासन द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार द्वारा जारी नई मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन द्वारा बसाहटों में पेयजल प्रदाय का स्तर हैण्डपम्प योजनाओं से जलप्रदाय हेतु 55 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन एवं नलजल योजनाओं के माध्यम 70 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन निर्धारित किया गया है। प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं भू–गर्भीय जल स्त्रोतों (मुख्यतः नलकूपों) पर आधारित हैं। नवीन दिशा–निर्देशों के अनुरूप अब विभाग द्वारा अधिकाधिक मात्रा में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि नलजल योजनाओं से पेयजल प्रदाय के वर्तमान स्तर 30 प्रतिशत को बढ़ीकरण 50 प्रतिशत तक लाया जा सके।

बसाहटों में जलप्रदाय व्यवस्था के मानदण्ड

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका में लाभान्वित समुदाय को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह स्वयं के लिये जलप्रदाय का स्तर स्वयं निर्धारित कर सके, इस प्रावधान के अनुसार बसाहट को पूर्णतः आच्छादित श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:–

(क) ऐसी बसाहटें जिनमें प्रत्येक परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ख) प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 500 मीटर की परिधि में सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 30 मीटर की ऊँचाई या निचाई पर पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(घ) ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

बसाहटों में कार्य की प्राथमिकता

प्राथमिकताएं निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं :–

1. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था।

2. ऐसी बसाहटें जिनमें जनसंख्या के मान से निर्धारित मापदण्डानुसार सुरक्षित पेयजल व्यवस्था नही है। (अनु.जाति/अनु.जनजाति बाहुल्य बसाहटों को प्राथमिकता)
3. 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय।
4. शासकीय भवनयुक्त ग्रामीण शालाओं/आँगनवाड़ियों में पेयजल की व्यवस्था।
5. आदिम जाति आश्रम/छात्रावासों में पेयजल व्यवस्था का सुदृ

नलजल योजना

राज्य शासन द्वारा नलजल योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. नलजल योजना का प्रस्ताव ग्राम पंचायत/तदर्थ स्वस्थ ग्राम समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से ग्राम की सर्वसहमति के आधार पर लेना होगा।
2. नलजल योजना का संचालन एवं संधारण तदर्थ स्वस्थ ग्राम समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से किया जावेगा, इस आशय की लिखित सहमति आवश्यक होगी।
3. नलजल योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।
4. नलजल योजना से घरों में निजी कनेक्शन लेने हेतु कम से कम 75 प्रतिशत परिवारों द्वारा लिखित सहमति देनी होगी।
5. सामान्य परिवारों के बाहुल्य वाले ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 3.00 प्रतिशत अंशदान तथा अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 1.00 प्रतिशत अंशदान जन सहयोग के रूप में एकत्र करना होगा।
6. अंशदान के रूप में एकत्रित राशि सावधि जमा के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी करा कर विभाग द्वारा जमा कराई जावेगी।
7. जिन समितियों द्वारा नलजल योजना सफलतापूर्वक चलाई जावेगी उन योजनाओं में एकत्रित अंशदान की राशि में से 20.00 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष के मान से प्रोत्साहन राशि के रूप में आने वाले 5 वर्षों में उस समिति को वापस कर दी जावेगी।
8. पानी का वितरण ग्राम के सभी परिवारों में समान रूप से हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
9. विभिन्न उपभोक्ताओं हेतु देय जलकर की राशि का निर्धारण ग्राम की जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जावेगा। अत्यन्त कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को समिति द्वारा जलकर जमा करने से पूर्ण अथवा आंशिक छूट भी दी जा सकती है।

प्रायोगिक/ मैदानी कार्य के लिए कुछ बिन्दु	क्या कार्यवाही करें ?
पेयजल की कमी वाली बसाहटों/मोहल्लों/गांवों को चिन्हित करना	• हमें यह देखना होगा कि पानी की कमी वाली बसाहटें कौन सी हैं और यहां कितने परिवारों पर हैंडपंप है यानि कुल कितने परिवार हैं जो एक हैंडपंप से पानी भरते हैं • यदि लगातार हैंडपंप चलता रहे तो क्या प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी वहां से प्राप्त हो सकता है • हैंडपंप की स्थिति घरों से कितनी दूर है यानि क्या कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर से हैंडपंप 500 मीटर से अधिक दूर है • यदि नलजल योजना उपलब्ध है तो कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास नलजल कनेक्शन नहीं है • हमें यह भी देखना होगा कि कितने घरों/परिवारों में पेयजल की आपूर्ति सुचारू ढंग से नहीं हो पा रही है।
ऐसे परिवारो से पेयजल की कमी को दूर करने के संबंध में चर्चा करना एवं सहभागी तरीके से निदान तलाशना एवं ग्रामसभा में प्रस्ताव देना	• पानी की कमी को दूर करने के लिए चर्चा एवं संवाद करना एवं सामुदायिक निर्णय करना • इस संबंध में ग्रामसभा में भी चर्चा कराने हेतु सरपंच को एजेंडा भेजना
हैंडपंप या नलजल योजना के तहत नये कनेक्शन हेतु आवेदन देना	• जिन परिवारों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है उन परिवारों द्वारा नये हैंडपंप या नलजल कनेक्शन हेतु आवेदन कराना
यदि हैंडपंप या जलजल योजना में खराबी के कारण पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही तो उसके सुधार के लिए प्रयास करना	• ऐसे हैंडपंप एवं जलजल योजना को चिन्हित करना जो बंद पड़ी हें एवं उसके सुधार के लिए जनपद के उपयंत्री को आवेदन करना

पेयजल कार्यक्रम के तहत दी जानी वाली सेवाओं के लिए लोकसेवा गारंटी के तहत समयसीमा एवं कार्य पूर्ण करने की निम्न तरह से गांरटी दी गयी है –

आवेदन कहां करें – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, हैंडपंप सुधार हेतु उपयंत्री जनपद पंचायत

क.	अधिसूचित सेवा	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गयी समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम एवं पता	प्रथम अपील के निराकरण के लिए निश्चित की गयी समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पद नाम एवं पता
1	नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों जहां तकनीकी रूप से साध्य हो, वहां नवीन जल कनेक्शन के लिए मांग प्रस्तुत किया जाना	1. सम्पत्ति / समेकित कर के भुगतान की अद्यतन रसीद 2. भवन / परिसर स्वामित्व संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति अथवा किरायेदार की स्थिति में किरायानामा / किराये की रसीद / किरायेदार होने का शपथपत्र 3. अधिकृत प्लम्बर द्वारा तैयार स्थल मानचित्र (साइट प्लान) यदि निकाय द्वारा प्लम्बर अधिकृत किये गये हों	15 कार्यदिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	30 कार्यदिवस	कलेक्टर / जिला दंडाधिकारी

2	नलजल योजना के तहत मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन कनेक्शन प्रदाय करना	1. नवीन जल कनेक्शन के लिए मांग पत्र आवेदन में उल्लेखित शुल्क के निकाय में जमा करने की रसीद 2. मांग पत्र आवेदन की प्रतिलिपि	15 कार्यदिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	30 कार्यदिवस	कलेक्टर/ जिला दंडाधिकारी
3	विभागीय हैंडपंप के जमीन के उपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार	—	7 कार्यदिवस	सहायक यंत्री	7 कार्यदिवस	कार्यपालन यंत्री
4	विभागीय हैंडपंप के जमीन के निचले भाग में हैंडपंप के लाइन एसेंबली व सिलेंडर की गंभीर खराबी का सुधार	—	15 कार्यदिवस	सहायक यंत्री	15 कार्यदिवस	कार्यपालन यंत्री

नोट – 1. प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा पदाभिहित अधिकारी के विनिश्चय से 30 दिन के भीतर

2. द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के लिए समय–सीमा प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय से 60 दिन के भीतर

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना

परियोजना का उद्देश्य

1. उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना
2. जिन क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता नहीं है, वहां सिंचाई की व्यवस्था करना
3. डीजल से सिंचाई करने पर किसानों पर आने वाली वित्तीय भार से उन्हें बचाना
4. सिंचाई हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दिये जाने वाले अस्थाई विद्युत कनेक्शनों में कमी लाना
5. किसानों को सक्षम बनाने के लिए उच्च मूल्य बागवानी को बढ़ावा देना
6. कुशल सिंचाई विधियों के माध्यम से भूतल का संरक्षण
7. डीजल पंप से होने वाले प्रदूषण को कम करना

उपरोक्त के अतिरिक्त सिंचाई के लिए उपयोग न होने पर और उसके साथ भी सौर उर्जा का उपयोग विभिन्न वैकल्पिक उपयोगों जैसे लाइटिंग बैटरी चार्जिंग एवं सूक्ष्म ग्रिड आदि के लिए किया जा सकता है।

इसके दृष्टिगत (क) मध्यप्रदेश शासन और (ख–1) नवीन एवं नवकरणीय उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, (ख–2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा देय अनुदान के माध्यम से सिंचाई प्रयोजन के लिए सोलर पंप स्थापना की योजना ''मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना'' प्रस्तावित की जा रही है।

इस योजना के तहत लघु कृषक (1 हेक्टेयर से कम भूमि धारित) व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को विशेष रूप से लाभान्वित किया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के साथ किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जिले स्तर पर किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा प्रकरण तैयार किये जायेंगे तथा उनकी सूचना पर उर्जा निगम द्वारा स्थल पर सोलर पंपों की स्थापना की जायेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत हितग्राहियों के साथ ही किसानों के समूहों को संयुक्त हितग्राही के रूप में लाभान्वित किया जायेगा।

मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम के द्वारा पेयजल योजना के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं सिंचाई हेतु वन विभाग व कृषि विभाग के लिए लगभग 2700 सोलर पंपों की स्थापना की गयी है।

प्रायोगिक / मैदानी कार्य के लिए कुछ बिन्दु	क्या कार्यवाही करें ?
बिजली की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करना एवं सोलर पंप के विकल्प के बारे में लोगों को जानकारी देना	• यह देखना होगा कि कौन सी बसाहटें बिजली की कमी का सामना कर रही हैं। • कितने परिवार बिजली की कमी की वजह से पानी के संकट का सामना कर रहे हैं • हमें लोगों को बिजली के विकल्प के रूप में सोलर पंप एवं उसके उपयोग व रखरखाव के बारे में बताना होगा
सोलर पंप की स्थापना के बारे में संबंधित विभाग से संपर्क	हमें दूरदराज के ऐसे क्षेत्रों का चयन करके जहां बिजली की पहुंच नहीं है, लोगों की कृषि विभाग से बातचीत करवानी होगी ताकि सोलरपंप स्थापित हो सकें

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन (डीसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन –डीडीजी) कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के अविद्युतीकृत/आंशिक अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरे टोलों को अपारंपरिक उर्जा स्त्रोतों से विद्युतीकृत किया जाता है। डी.डी.जी. कार्यक्रम के तहत ग्रामों को अपारंपरिक उर्जा स्त्रातों से विद्युतीकृत करने हेतु डीपीआर तैयार कर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन (ग्रमीण विद्युतीकरण निगम) जोनल कार्यालय भोपाल के माध्यम से नई दिल्ली की ओर स्वीकृति हेतु भेजी जाती है। भारत सरकार से योजना स्वीकृत होने के पश्चात अपारंपरिक उर्जा स्रोत आधारित विद्युत संयत्र स्थापित किया जाकर ग्राम का विद्युतीकरण किया जाता है।

इस योजना के मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं –

1. योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम में नवीकरणीय उर्जा स्त्रोत आधारित विद्यृत संयत्र स्थापित किया जाकर स्थानीय ग्रिड के माध्यम से घर घर विद्युत प्रदाय की जाना प्रस्तावित है।
2. योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किये जाने वाले प्रत्येक घर में 11 या 18 वाट की दो सीएफएल आधारित बल्ब तथा 60 वाट का पावरप्वाइंट सहित कुल 100 वाट का विद्युत भार प्रदान किया जाता है।
3. ग्राम में आटा चक्की एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों हेतु विद्युत व्यवस्था, सामुदायिक भवन हेतु विद्युत व्यवस्था एवं सार्वजनिक स्थानों हेतु स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की जाती है।
4. विद्युत उर्जा का उत्पादन ग्राम में सुगमता से उपलब्ध संसाधन के आधार पर नवीन उर्जा स्त्रोत जैसे बायोमास, बायोफ्यूल, मिनी हाइड्रो, सोलर अथवा बायोगैस से किया जा सकता है।
5. ग्राम में ग्रिड के समान (220 वोल्ट) विद्युत उर्जा की आपूर्ति की जाती है।
6. योजना के अंतर्गत परियोजना की कुल लागत (संयत्र की कुल लागत, 5 साल तक उपयोग किये जाने वाले स्पेयर्स तथा डीपीआर एवं सोशल इंजीनियरिंग सहित) का 75 प्रतिशत भारत शासन द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। शेष 25 प्रतिशत राशि की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जाती है।
7. योजना के अंतर्गत ग्रामों/मजरों/टोलों के चयन के पूर्व यह प्रमाणीकरण प्राप्त किया जाना आवश्यक है कि चयनित ग्राम/मजरा/टोला डूब एवं विस्थापन में नहीं है तथा अविद्युतीकृत है। साथ ही वर्तमान में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किसी योजना में सम्मिलित नहीं है।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिन्दु	क्या कार्यवाही करें ?
ऐसी बसाहटों/मजरों/टोलों को चिन्हित करना जहां बिजली नहीं पहुंची है	• यह देखना कि कौन से मजरे/टोले या बसाहटे हैं जहां बिजली नहीं है, ऐसी बस्तियों का चयन करें जो अन्य किसी योजना में शामिल नहीं हैं
उर्जा के वैकल्पिक साधनों द्वारा लोगों को उर्जा उत्तपादन प्रक्रिया से जोड़ना	• ऐसी बस्तियों/मजरों/टोलों की ओर से प्रस्ताव तैयार कराकर राज्य शासन को भेजना • यह प्रस्ताव ग्राम पंचायत के जरिये राज्य शासन को भेजा जाना चाहिए

अन्य कार्यक्रम एवं योजनाएं

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना है जो 15 अगस्त 1995 से लागू है। इस योजना का मुख्य मकसद शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में बृद्धि करने एवं उनकी उपस्थिति में सुधार लाना है। साथ ही बच्चों के पोषण में सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों और सरकार से सहायता प्राप्त सभी स्कूलों के आठवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को दोपहर का भोजन दिए जाने का कानूनी प्रावधान है। भारत सरकार के स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है। इस योजना के निम्न फायदे हैं –

स्कूलों में भागीदारी बढ़ेगी – मध्यान्ह भोजन का स्कूलों में भागीदारी पर भारी असर पड़ता है। इससे न केवल अधिक बच्चों का नामांकन संभव होता है बल्कि बच्चों की नियमित उपस्थिति भी सुनिश्चित होती है।

कक्षा में भूख से बचाव – कई बच्चे खाली पेट स्कूल आ जाते हैं और अक्सर कुछ घंटे बाद वे भूखे हो जाते हैं। इससे उनकी ध्यान देने की क्षमता कम हो जाती है और सीखने की प्रक्रिया भी धीमी होती है। दोपहर का खाना कक्षा में बच्चों के भूखे होने की समस्या से भी बचाता है।

बच्चों की स्वास्थ्य वृद्धि में मदद – मध्यान्ह भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण का नियमित स्त्रोत बन सकता है और इस तरह उनकी सही बढ़त में मददगार बन सकता है। उदाहरण के लिए अगर मध्यान्ह भोजन में लोहे की मात्रा अधिक हो तो बच्चों को खून की कमी (एनीमिया) से बचाया जा सकता है। खून की कमी से बच्चों में कमजोरी बढ़ती है और उनकी सही बढ़त भी नहीं हो पाती।

शैक्षणिक महत्व – सुव्यवस्थित मध्यान्ह भोजन का उपयोग बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए किया जा सकता है। (जैसे – खाने के पहले और बाद में हाथ धोना)। उन्हें स्वच्छ पानी, साफ–सफाई का महत्व व अन्य बातों की शिक्षा भी दी जा सकती है।

सामाजिक समानता की भावना को मजबूत करना – मध्यान्ह भोजन द्वारा स्कूलों में समता की भावना का प्रसार किया जा सकता है। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इससे वर्ग और जाति के बंधन टूटते हैं। दलित समुदाय के लोगों को रसोइयों के रूप में चुनने से भी जातिगत पूर्वाग्रह तोड़े जा सकते हैं।

लैंगिक समानता को बढ़ावा – स्कूलों में आने वाले बच्चों में लड़के–लड़कियों की संख्या में अंतर नजर आता है, अर्थात् लड़कियों की संख्या अमूमन लड़कों से कम होती है। मध्यान्ह भोजन प्रारंभ करने पर लड़के–लड़कियों की संख्या में यह अंतर कम हो जाता है। मध्यान्ह भोजन महिलाओं के लिए रोजगार का

साधन बनते हैं, साथ ही बच्चों को दोपहर में घर पर खाना उपलब्ध करवाने की ज़िम्मेदारी से भी स्त्रियां बच जाती हैं। इस अर्थ में स्त्रियों और बालिकाओं का मध्यान्ह भोजन में बहुत कुछ दांव पर लगा है।

कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शाला के बच्चों के भोजन में 450 कैलोरी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए एवं माध्यमिक शाला के बच्चों के भोजन में 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए।

मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन पकाने की जिम्मेदारी सांझा चूल्हा के तहत स्थानीय स्वयं सहायता समूहों को दी गयी है। जुलाई 2010 से सरकार द्वारा खाना बनाने वाली महिला को 1000 रुपए की राशि मानदेय के रूप में दी जाएगी। यह राशि 1 से लेकर 25 बच्चों के भोजन बनाने के लिए है। यदि किसी शाला में 25 से 100 बच्चे है तो ऐसी स्थिति में 2 रसोइयों को खाना बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी जिसमें दोनों को रुपए 1000/– प्रतिव्यक्ति के मान से दिया जाएगा। इसके बाद हर 100 बच्चों पर एक अतिरिक्त रसोईये की नियुक्ति होगी।

मध्यान्ह भोजन योजना बारे में "बच्चों के अधिकार पुस्तिका" में विस्तार से दिया गया है। देखें पुस्तिका कमांक ....

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

समाज के कुछ तबकों/लोगों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देने के मकसद से सरकारें समाजिक सुरक्षा और सहायता कार्यक्रम चलाती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम अपनी पहल से अपने कार्यक्षेत्र में सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा का हक दिलाएं। इन योजनाओं में कुछ आर्थिक सहायता मिलती है जो सामाजिक न्याय का प्रतीक है। यदि वंचित तबकों को सामाजिक सुरक्षा का हक नही मिल पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। समजिक सुरक्षा योजनाओं में मुख्य रूप से इनकी बात होती है –

1. बुजुर्ग
2. विधवा व परित्यक्त महिलाएं
3. विकलांगता (निःशक्त) से प्रभावित लोग
4. आर्थिक गरीबी में रह रहे परिवार

इन तबकों/समूहों के लिए कुछ योजनाएं संचालित हो रही हैं –

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
4. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
5. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

उक्त योजनाओं के बारे में अनुसूचित जाति, जनजाति और उपेक्षित तबकों के अधिकार – कानून एंव योजनाएं नामक पुस्तिका में विस्तार से दिया गया है। देखें पुस्तिका कमांक ....

ग्रामीण विकास योजनाएं एवं पंचायतराज

ग्रामीण विकास योजनाएं त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत बनाये गये ढांचे के तहत ही लागू की जाती हैं। ग्रामीण विकास विभाग त्रिस्तरीय पंचायतों के साथ मिलकर काम करता है। तीनों स्तर की पंचायतों का ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने एवं उस पर नजर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां समझना जरूरी है कि पंचायत व्यवस्था क्या है, यह कैसे काम करती है।

पंचायत राज व्यवस्था

हमारे संविधान की मंशा है कि पंचायतराज संस्थाओं के माध्यम से ऐसा समाज बने जहां सामाजिक न्याय व तरक्की हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन किया गया जिसके जरिये गांव के आम लोगों, वंचित तबकों व महिलाओं को सत्ता में भागीदारी बनाया गया। पंचायतराज व्यवस्था कायम होने के बाद अब सत्ता केन्द्र व राज्य स्तर से नीचे स्थानीय स्तर पर भी आ गयी है। इस व्यवस्था के तहत न केवल चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिये गये हैं बल्कि गांव के आम लोगों को भी सत्ता में भागीदार बनाया गया है। गांव के लोगों को ग्रामसभा के जरिये महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार दिया गया है। आइये देखते हैं कि 73 वें संविधान संशोधन की खास बातें क्या हैं–

- पंचायतराज व्यवस्था के तहत स्थानीय स्तर पर पंचायतें संवैधानिक ईकाई बन गयी हैं यानि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया है। तीनों स्तर जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत को संविधान के तहत मान्यता दी गयी है।
- पंचायतों का कार्यकाल 5 साल के लिए नियत कर दिया गया है एवं अब कोई राज्य सरकार पंचायतों के चुनाव को रोक नही सकती है। पंचायत के कार्यकाल समापत होने के 6 माह के अंदर पंचायतों का चुनाव करना आवश्यक है।
- केन्द्र व राज्य सरकारों की तरह ही पंचायतों का भी हर पांच साल में चुनाव होना जरूरी है और पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया है।
- सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है ताकि समाज के हर तबके एवं महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा सभी वर्गों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गयी हैं।
- पंचायतों को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्त आयोग बनाया गया है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों को धनराशि उपलब्ध करायेगा।

मध्यप्रदेश में 73 वें संविधान संशोधन के बाद इसके अनुरूप ही 25 जनवरी 1994 को मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम लागू किया जिसे 26 जनवरी 2001 में संशोधित करके मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामस्वराज अधिनियम के रूप में मान्यता दी गयी। प्रदेश में त्रि–स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था कायम की गयी है।

- गांव व गांवों के समूह स्तर पर ग्राम पंचायत
- विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत
- जिला स्तर पर जिला पंचायत

मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामस्वराज अधिनियम के तहत ग्रामसभा को अधिक सशक्त बनाया गया हैं एवं ग्रामसभा को योजनाओं के कियान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गयी है। हम गांव स्तर पर ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा की विस्तृत विवेचना आगे करेंगे। इससे पूर्व हम जिला व जनपद पंचायतों के स्वरूप एवं उनकी भूमिका के बारे में जानेंगे।

जिला पंचायत

पंचायतराज व्यवस्था में जिला पंचायत एक महत्वपूर्ण ईकाई है। जिला पंचायत का गठन जिले स्तर पर किया जाता है। यह केन्द्र व राज्य सरकार तथा निचले स्तर की पंचायतों के साथ समन्वय बनाने के साथ हीं जिले के विकास की योजना बनाती है। जिला पंचायत का गठन करने के लिए जिले को 10 से 35 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक जिला पंचायत का सदस्य चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 50000 होती है। जिला क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों के चुने हुए जनप्रतिनिधि सांसद एवं विधायक तथा जिले की सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। चुने हुए जिला पंचायत सदस्यों के बीच में से ही जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जिला पंचायत की हर माह बैठक आयोजित की जाती है एवं बैठक के लिए एक तिहाई सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होता है।

जिला पंचायत के गठन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण किया गया है। जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम है वहां पिछड़े वर्गों के लिए 25 प्रतिशत पदों का आरक्षण किया जायेगा। सभी वर्गों में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण रहेगा।

जिला पंचायत की स्थायी समितियां

जिला पंचायत को जिले के विकास कामों में सहयोग करने के लिए स्थायी समितियां बनायी जाती हैं। यह समितियां हैं –

1. सामान्य प्रशासन समिति
2. कृषि समिति
3. शिक्षा समिति
4. संचार व संकर्म समिति
5. सहकारिता व उद्योग समिति

समितियों का गठन जिला पंचायत की बैठक में किया जाता है। सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर सभी समितियों में 5 से 10 सदस्य होते हैं। इन समितियों में दो विशेषज्ञों को भी रखा जा सकता है। सांसद जो जिला पंचायत के सदस्य हों, उन्हें किन्हीं दो समितियों में सदस्य बनाया जा सकता है। इसी तरह विधायक भी समितियों में सदस्य हो सकते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होते हैं एवं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। अन्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव जिला पंचायत सदस्यों में से ही किया जाता है। सामान्य प्रशासन समिति के सचिव मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत होते हैं एवं अन्य समितियों के सचिव का चयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जाता है।

हर स्थायी समिति की माह में एक बार बैठक होती है एवं जरूरत पड़ने पर कम से कम तीन सदस्यों की मांग पर विशेष बैठक बुलायी जा सकती है। जिला पंचायत के कामों योजनाओं को लागू करने में सहयोग करना स्थायी समितियों का मुख्य काम होता है।

जिला पंचायत के काम एवं अधिकार

जिला पंचायत को जिले के विकास के लिए कुछ काम एवं अधिकार सौंपे गये हैं एवं समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अन्य काम भी सौंपे जाते हैं। मुख्य काम निम्न हैं –

- जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए पूरे साल की योजनाएं तैयार करना
- जिले की पूरे साल की योजना को लागू करना
- कानून द्वारा जिला पंचायत को सौंपी गयी अन्य योजनाओं की वार्षिक योजना बनाना
- जनपद एवं ग्राम पंचायत के कामकाज का समन्वय, जांच और निगरानी करना
- केन्द्र या राज्य शासन द्वारा सौंपी गयी योजनाओं को लागू करना

- जिला पंचायत को दी गयी राशि को जनपद व ग्राम पंचायतों में बांटना
- जनपद पंचायत से मिले खास प्रस्तावों को इकट्ठा करके राज्य सरकार के पास भेजना
- विकास संबंधी कामकाज, पर्यावरण के बचाव, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, असहाय, बेसहारा, महिलाओं, युवाओं, बालकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना।
- पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारियों का प्रशासन एवं नियंत्रण करना

जिला पंचायत को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विकास के कामों के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिये राशि दी जाती है। इसके अलावा जिला पंचायतराज निधि बनायी गयी है जिसमें विकास करों के माध्यम से राशि जमा होती है।

जनपद पंचायत

पंचायतराज व्यवस्था में जनपद पंचायत एक महत्वपूर्ण ईकाई है और यह जिला व ग्राम पंचायत के मध्य एक कड़ी है। जनपद पंचायत का गठन ब्लाक स्तर पर किया जाता है। जनपद पंचायत के क्षेत्र में प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर कुल 20 से 25 जनपद निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाते हैं। हर जनपद निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा एक जनपद सदस्य का चुनाव किया जाता है। चुने हुए जनपद सदस्यों में से जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्याक्ष का चुनाव किया जाता है। जनपद पंचायत क्षेत्र से चुने गये विधायक जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, साथ ही जनपद क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों के 20 प्रतिशत सरपंच हर साल बारी बारी से जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत की हर माह बैठक होती है जिसमें एक तिहाई सदस्यों का होना जरूरी है।

जनपद पंचायत के गठन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण किया गया है। जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से कम है वहां पिछड़े वर्गों के लिए 25 प्रतिशत पदों का आरक्षण किया जायेगा। सभी वर्गों में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण रहेगा।

जनपद पंचायत की स्थायी समितियां

जनपद पंचायत को जनपद के विकास कामों में सहयोग करने के लिए स्थायी समितियां बनायी जाती हैं। यह समितियां हैं –

1. सामान्य प्रशासन समिति
2. कृषि समिति

3. शिक्षा समिति
4. संचार व संकर्म समिति
5. सहकारिता व उद्योग समिति

समितियों का गठन जनपद पंचायत की बैठक में किया जाता है। सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर सभी समितियों में 5 से 10 सदस्य होते हैं। इन समितियों में दो विशेषज्ञों को भी रखा जा सकता है। विधायक जो जनपद पंचायत के सदस्य हों, उन्हें सभी समितियों में पदेन सदस्य बनाया जाता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होते हैं एवं जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। अन्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव जनपद पंचायत सदस्यों में से ही किया जाता है। सामान्य प्रशासन समिति के सचिव मुख्य कार्य पालन अधिकारी जनपद पंचायत होते हैं एवं अन्य समितियों के सचिव का चयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जाता है।

हर स्थायी समिति की माह में एक बार बैठक होती है एवं जरूरत पड़ने पर कम से कम तीन सदस्यों की मांग पर विशेष बैठक बुलायी जा सकती है। जनपद पंचायत के कामों व योजनाओं को लागू करने में सहयोग करना स्थायी समितियों का मुख्य काम होता है।

जनपद पंचायत के काम एवं अधिकार

जनपद पंचायत को जनपद क्षेत्र के विकास के लिए कुछ काम एवं अधिकार सौंपे गये हैं एवं समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अन्य काम भी सौंपे जाते हैं। मुख्य काम निम्न हैं –

- जनपद पंचायत क्षेत्र में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत जिला पंचायत व राज्य सरकार के द्वारा सौंपे गये कामों को करना
- सौंपी गयी योज़नाओं की पूरे साल की योजना तैयार करके जिला पंचायत की योजना में शामिल कराना
- सभी ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायत की योजनाओं के संदर्भ में पूरे साल की योजना पर विचार एवं जिला पंचायत को प्रस्तुत करना
- जनपद पंचायत निधि में से हाथ में लिए जाने वाले कार्यों और विकास कामों की योजना तैयार करना
- जनपद पंचायत के भीतर की क्षेत्रीय योजना और अधोसंरचना विकास को हाथ में लेना
- जनपद पंचायत निधि में से विकास योजनाओं के कार्यों को मंजूर करना, उनकी देखरेख और इंतजाम करना। खासतौर पर सौंपी गयी योजनाओं को लागू करना

- जो योजना या कार्य ग्राम पंचायत, ग्रामसभा या अन्य एजेंसी को सौंपे गयें हों उनकी देखरेख और इंतजाम करना
- ग्रामीण विकास, खेती–बाड़ी, पेड़–पौधे लगाना, पशुपालन, मछली पालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, संचार और लोक संपर्क, सहकारिता, छोटे धंधे, महिला, युवा और बाल कल्याण, निःशक्त और बेसहारा लोगों की सहायता, परिवार नियोजन एवं खेलकूद कार्यक्रमों की व्यवस्था करना
- आपातकाल (जैसे आग, बाढ़, सूखा, अकाल, टिड्डी दल या महामारी) में बचाव आदि की तैयारी करना
- स्थानीय तीर्थ यात्राओं और त्योहारों के लिए जरूरी इंतजाम करना
- सार्वजनिक बाजारों, सार्वजनिक मेलों, प्रदर्शनियों आदि का इंतजाम करना
- जनपद पंचायत के नियंत्रण में आने वाली सड़कों में बदलाव, मरम्मत आदि करना। इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत की सड़कों एवं भूमियों पर गैरकानूनी कब्जे हटाने का अधिकार

जनपद पंचायत को केन्द्र व राज्य सरकार तथा जिला पंचायत द्वारा विकास के कामों के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिये राशि दी जाती है। इसके अलावा जनपद पंचायत द्वारा विभिन्न करों, फीस, जुर्माने आदि के माध्यम से राशि जमा होती है।

ग्राम पंचायत

त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण निचली ईकाई है। ग्रामीण विकास की अधिकतर योजनाओं का कियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है। ग्राम पंचायत का गठन गांव या गांवों के समूह के स्तर पर किया जाता है। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत का गठन कम से कम 1000 या उससे अधिक की जनसंख्या पर होता है। जिन गांवों की जनसंख्या एक हजार से कम होती है उन गांवों को पास के गांव में मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र को 10 से 20 वार्डों में विभाजित किया जाता है और हर वार्ड से एक पंच का चुनाव एवं पूरी पंचायत के मतदाता मिलकर एक सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव विधि से करते हैं। उपसरपंच का चुनाव चुने गये पंचों में से किया जाता है।

ग्राम पंचायत के कामकाज के सुचारू संचालन के लिए एक सचिव की नियुक्ति की जाती है। ग्राम पंचायत का सचिव लिखापढ़ी का काम करता है एवं ग्राम पचांयत एवं ग्रामसभा के द्वारा लिए गये निर्णयों को लागू करता है।

ग्राम पंचायत के पंच पदों पर चुनाव में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में उतने प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिये जाते हैं। यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति के लिए आधे से कम पद आरक्षित होते हैं तो 25 प्रतिशत पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर दिये जाते हैं। यदि अनुसचित जाति व अनसूचित जनजाति के लिए आधे से अधिक पद आरक्षित होते हैं तो पिछड़े वर्गों के

लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होता है। हर वर्ग की कुल सीटों में से आधे स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाते हैं।

सरपंच पद के लिए सीटों का आरक्षण जनपद पंचायत क्षेत्र में अनुसचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। अगर उस जनपद पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आधे से कम पद आरक्षित होते हैं तो 25 प्रतिशत पद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर दिये जाते हैं। हर वर्ग के लिए आरक्षित आधे पदों पर आधे महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं।

ग्राम पंचायत की बैठकें

ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत के गठन के बाद सरपंच व पंच मिलकर पंचायत के विकास का कम कर सकें, इसके लिए मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामस्वराज अधिनियम के तहत कुछ तौर तरीके बनाये गये हैं। ग्राम पंचायत में कामकाज का तरीका लोकतांत्रिक हो, इसके लिए जरूरी है कि सरपंच एवं पंच मिलकर फैसला करें। पंचायत की हर माह बैठक होना जरूरी है एवं बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। सरपंच की सलाह से बैठक का एजेंडा सचिव द्वारा तैयार किया जाता है। सचिव एजेंडा एवं बैठक की सूचना सभी पंचों को एक सप्ताह पहले भेजता है। पंचायत की बैठकों में आधे सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, आधे से कम सदस्य होने पर बैठक स्थगित की जायेगी एवं दोबारा बैठक बुलाने पर कोरम की पूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जायेगी। सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगे।

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां

ग्राम पंचायत के कामकाज में सहयोग के लिए तीन स्थायी समितिया बनायी जाती हैं। यह समितियां ग्राम पंचायत के चुने हुए पंच एवं सरपंच में से ही बनती हैं। ये तीन समितियां हैं –

1. सामान्य प्रशासन समिति
2. निर्माण तथा विकास समिति
3. शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति

इन समितियों में 4 सदस्य पंचों में से होते हैं। कोई भी पंच दो से अधिक समितियों में सदस्य नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उपसरपंच तीनों समितियों में सदस्य होते हैं। सरपंच तीनों समितियों का सभापति होता है। ग्राम पंचायत का सचिव तीनों समितियों का सचिव होता है। समिति की हर माह सभापति द्वारा बैठक बुलायी जाती है। समिति के बैठक में आधे सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है और बहुमत से फैसले लिए जाते हैं। समिति के फैसलों को ग्राम पंचायत में रखा जाता हैं जिसे वह अनुमोदित करती है और आवश्यक निर्देश देती है।

ग्राम पंचायत के काम

- अपने पंचायत क्षेत्र की माली हालत व गांव की स्थिति में सुधार के लिए पूरे साल की योजना बनाना एवं जनपद में समय से भेजना
- केन्द्र व राज्य सरकार या जिला व जनपद पंचायत के द्वारा सौंपी गयी योजनाओं व कामों को सुचारू ढंग से लागू करना
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में आने वाली कालोनियों की स्थापना के लिए अर्जियों पर विचार करना
- स्थानीय साधनों एवं सुविधाओं तथा योजनाओं में हो रहे खर्चों की निगरानी और नियंत्रण करना
- ग्रामसभा द्वारा बनायी गयी समितियों के साथ बेहतर संबंध बनाना एवं उनके कामकाज की देखरेख और निगरानी करना और यह भी देखना कि समितियों ने कैसा काम किया है।
- ग्रामसभा को उनके कामों और योजनाओं के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा दी गयी राशि को बनायी गयी व्यवस्था के हिसाब से मुहैया करवाना

ग्राम पंचायत के अधिकार

- ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में घिनौनी एवं खतरनाक चीजों को बेचने और खरीदने पर रोक लगा सकती है याने खाने पीने की वस्तुओं पर नियंत्रण कर सकती है।
- पंचायत अपने क्षेत्र में विकास और उन्नति के लिए किसी ढांचे, इमारत और पेड़ों को हटा सकती है।
- साफ–सफाई व पानी के निकास की व्यवस्था करने और पानी के स्रोतों के बचाव का काम कर सकती है।
- पानी के उपयोग का इस तरह से इंतजाम कर सकती है कि सबको जरूरत के अनुसार पानी मिल सके।
- पंचायत के क्षेत्र में कारखानों एवं अन्य उद्योग धंधों को शुरू करने का इंतजाम कर सकती है।
- पंचायत क्षेत्र के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम एवं नियंत्रण कर सकती है।
- सार्वजनिक रास्तों एवं खुले स्थानों पर वाधा खाड़ी करने या अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना लगा सकती है। इस तरह की बाधाएं एवं अतिक्रमण हटाने का अधिकार पंचायत को है। इस काम में तहसीलदार पंचायत को मदद करता है।
- पंचायत अपने क्षेत्र में मार्गों एवं रास्तों के नाम रख सकती है।
- पंचायत क्षेत्र में अवैध तरीके से बनायी गयी कालोनी बनाने वालों पर जुर्माना लगा सकती है।

पंचायतराज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत को अपनी आय के जरिये बनाने एवं अपनी पंचायत की उन्नति के अवसर हैं। ग्राम पंचायत कर लगाकर, फीस, जुर्माना या अन्य तरीकों से अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। इसके अलावा केन्द्र व राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि, विभागीय कामों के खर्चे, सांसद व विधायक निधि आदि से भी पंचायत को राशि प्राप्त होती है।

ग्रामसभा

भारत में ग्रामसभा एक स्वनिर्मित व्यवस्था है और यह लोकतंत्र में एक हृदयस्थल की तरह है। यह देश की सबसे बड़ी सभा है और इस सभा के निर्णय को प्राचीनकाल से महत्ता मिलती आ रही है। ग्रामसभा एकजुटता और मिलकर काम करने की एक व्यवस्था है जो स्वयं में ही ताकत समाहित किये हुए है। ग्राम पंचायत अपने हर कामों के लिए ग्रामसभा के प्रति जवाबदेह है। ग्रामसभा का गठन गांव के 18 साल या उससे अधिक उम्र के उन नागरिकों को मिलाकर होता है जिनका नाम मतदाता सूची में हो यानि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले समस्त मतदाता ग्रामसभा के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का सरपंच ग्रामसभा का सभापति होता है एवं ग्राम पंचायत का सचिव ग्रामसभा का सचिव होता है।

प्रदेश के अनुसचित जनजाति क्षेत्रों में जहां आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, वहां राजस्व व वनग्रामों में एक से अधिक ग्रामसभा गठन किया जा सकता है। यानि मजरे, टोलों में भी ग्रामसभा का गठन किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में ग्रामसभा की अध्यक्षता सरपंच, उपसरपंच या पंच नहीं करते बल्कि सभा में उपस्थित किसी आदिवासी समुदाय के व्यक्ति के द्वारा की जाती है।

ग्रामसभा की बैठकें

ग्रामसभा में गांव के लोग मिलजुलकर गांव के विकास के बारे में विचार–विमर्श करते हैं एवं मिलकर जरूरी फैसले करते हैं। इसके लिए ग्रामसभा की बैठकें होना जरूरी है ताकि ग्रामसभा एवं उसके निर्णयों में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अनुसार साल में 4 बार यानि हर तिमाही ग्रामसभा की बैठकें होती हैं। यह ग्रामसभा आमतौर पर जनवरी, अप्रैल, अगस्त एवं अक्टोबर में होती हैं। ग्रामसभा के 10 प्रतिशत या 50 सदस्य जो भी कम हो, बैठक की मांग करें तो विशेष बैठक बुलायी जा सकती है। ग्राम सभा की सूचना डोंडी पीटकर एवं गांव के प्रमुख स्थानों पर सूचना चस्पा करके की जाती है। ग्रामसभा का एजेंडा सरपंच की सलाह से सचिव तैयार करता है। ग्राम पंचायत के पंच या ग्रामसभा सदस्य अपना एजेंडा सरपंच को दे सकते हैं। ग्रामसभा की अध्यक्षता सरंपच और उनकी अनुपस्थिति में उपसरपंच या अन्य पंच द्वारा की जाती है।

ग्रामसभा की बैठक में कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत का होना जरूरी है। यदि इतने सदस्य बैठक में नहीं आते तो ग्रामसभा सफल नहीं मानी जायेगी। यानि ग्रामसभा के निर्णय तभी मान्य होंगे जब ग्रामसभा की बैठक में कोरम पूरा हो। कोरम पूरा न होने पर वही तरीका दोबारा से बैठक के लिए अपनाया जायेगा।

ग्रामसभा की बैठक में सदस्य खर्चों का हिसाब किताब देख सकते हैं। पंचायत के रिकार्ड देख सकते हैं, योजनाओं के सबंध में पूछ परख कर सकते हैं व किसी कार्य को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकते हैं।

ग्रामसभा बैठक की पूरी प्रकिया बनायी गयी व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए। ग्रामसभा के समय बैठक में सबसे पहले उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया जाना चाहिए। इसके बाद ग्राम सभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाना चाहिए। अध्यक्ष चुने जाने के बाद अध्यक्ष द्वारा चर्चा का क्रम तय किया जाना चाहिए, साथ चर्चा के क्रम में सबसे पहले पिछली बैठक में हुई चर्चा एवं निर्णयों तथा हुई कार्रवाइयों का व्योरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिन निर्णयों में कार्रवाई नहीं हुई है उनके कारणों पर चर्चा करते हुए पुनः निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके बाद क्रमानुसार मुद्दों पर चर्चा करानी चाहिए, सबकों अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए एवं सबकी सहमति से निर्णय करना चाहिए। यदि असहमति होती हैं तो एकराय बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि आम राय न बने तो उस मुद्दे का अगली बैठक के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। इसी तरह हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए। चर्चा के साथ ही निर्णय एवं जिम्मेदारियों को भी तय कर लेना चाहिए, साथ ही समयसीमा भी निश्चित करना चाहिए। सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद आज के निर्णयों को सचिव को पढ़कर सुनाना चाहिए एवं अंत में अध्यक्ष द्वारा सबको धन्यवाद के बाद चर्चा समाप्त करना चाहिए।

ग्रामसभा की स्थायी समितियां

ग्रामसभा अपने आप में गांव के सभी लोगों की एक सभा है। ग्रामसभा द्वारा लिए गये फैसलों को लागू करने के लिए पूरी ग्रामसभा कभी सक्रिय नहीं हो सकती है अतः जरूरी है कि ग्रामसभा के फैसलों को अमल में लाने के लिए एक सहयोगी तंत्र हो। इसी मकसद से ग्रामसभा को सहयोग के लिए 2 स्थायी समितियों का गठन किया गया है। यह समितियां हैं –

- ग्राम विकास समिति
- ग्राम निर्माण समिति

ग्राम विकास समिति में अधिकतम 10 एवं ग्राम निर्माण समिति में अधिकतम 6 सदस्य होते हैं। इन समितियों के सदस्य ग्रामसभा सदस्यों के बीच से ही ग्रामसभा की बैठक में चुने जाते हैं। इन समितियों के सभापति सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं। इसके अलावा ग्रामसभा आवश्यकता के अनुसार समय समय पर तदर्थ या अस्थायी समितियों का गठन कर सकती है।

वर्तमान में ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति का गठन मध्यप्रदेश में किया गया है। इस समिति में 12 से 20 सदस्य होते हैं। कोई व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो तथा विषय के संबंध में हित रखता हो, इस समिति में सदस्य रह सकेगा। समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग से का कम से कम एक सदस्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से कम से कम एक महिला समिति में होगी। समिति में गांव की सभी

महिला पंच, आशा कार्यकर्ता, स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम, मातृ सहयोगिनी समिति की अध्यक्ष, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी स्व–सहायता समूह की अध्यक्ष और क्षेत्र का हैण्डपम्प मैकेनिक/सहायक मैकेनिक समिति के पदेन सदस्य होंगे। इस समिति की अध्यक्ष महिला होगी। समिति का सचिव ग्राम पंचायत का सचिव होगा एवं आशा कार्यकर्ता सहायक सचिव होगी।

ग्रामसभा समितियों की हर माह बैठक होती है एवं बैठक में आधे से अधिक सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होता है। कोरम पूरा न होने पर बैठक स्थगित कर दी जाती है। ग्रामसभा समितियां ग्रामसभा के कामकाज को सहयोग करने के लिए बनायी जाती हैं ताकि ग्रामसभा को योजना बनाने, योजना के क्रियान्वयन, लिए गये फैसलों को लागू करने में मदद मिल सके। समितियां अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुरूप ग्रामसभा में योजना प्रस्तुत करती हैं एवं ग्रामसभा की स्वीकृति अनुसार उसे लागू करती हैं।

ग्रामसभा के काम एवं अधिकार

मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत ग्रामसभा को अधिक अधिकार संपन्न बनाया गया है। ग्रामसभा गांव के विकास के लिए कई तरह के काम करती है एवं ग्रामसभा को गांव के निर्णय लेने के लिए अनेक अधिकार दिये गये हैं।

- ग्रामसभा का मुख्य काम गांव की तरक्की के लिए सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजना तैयार करना है ताकि गांव के हर जरूरतमंद तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे।
- गांव के विकास के योजनाओं के अनुसार बजट तैयार करना
- गांव के विकास के लिए आमदनी बढ़ाने हेतु करों एवं फीस का निर्धारण करना
- गांव स्तर पर किये जा रहे खर्चों एवं सेवाओं, सुविधाओं की निगरानी एवं देखरेख करना
- सार्वजनिक भूमि, वन व पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बेहतर व्यवस्था
- सार्वजनिक स्वच्छता संबंधी कार्य
- गांव के विकास हेतु अधोसंरचनात्मक निर्माण के कार्य

स्पष्ट है कि गांव स्तर पर विकास के कामों की योजना ग्रामसभा द्वारा ही बनायी जाती है। इस तरह ग्रामीण विकास योजनाओं के सबंध में क्रियान्वयन योजना बनाना एवं उसे लागू करना, उस पर नजर रखना ग्रामसभा की मुख्य भूमिका में है। गामसभा ही योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन करती है और हर जरूरतमंद व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रस्तावित करती है। अतः ग्रामसभा को मजबूत किये बिना गांव में स्वराज कायम नहीं हो सकता। ग्रामसभा को सशक्त करने से वंचित व कमजोर व अन्य जरूरतमंद लोगों के हितों में फैसले हो सकेंगे।

ग्रामसभा सशक्तीकरण

जब हम पंचायतराज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए खासकर ग्रामसभा सशक्तीकरण के लिए काम करेंगे तो हमें यह देखना होगा कि ग्रामसभा अपने आप में एक ऐसी ईकाई है जहां विभिन्न समुदायों के लोग एक ही भौगोलिक सीमा में रहते हैं और उनके आपसी रिश्ते व संबंध काफी जटिल होते हैं। इन समुदायों में जहां एक तरह का जुड़ाव होता हैं वहीं जाति, धर्म, वर्ग एवं लिंग आदि के आधार पर विभाजन भी स्पष्ट रूप से दिखायी देता है।

जब ग्रामसभा में मिलकर निर्णय लेने के मामले सामने आते हैं तो गांव की गतिशीलता परिलक्षित होती है। ऐसी स्थिति में ग्रामसभा में आमराय या सहमति नहीं बन पाती है और कई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पाते हैं। हमें यह देखना होगा कि गांव में लोगों व समुदायों में किस तरह के रिश्ते हैं एवं गांव के निर्णयों में किस समुदाय एवं व्यक्ति का दखल अधिक होता है। ऐसे समूहों एवं लोगों के साथ अलग से चर्चा करनी होगी और उन्हें गांव के विकास एवं सबके हित को ध्यान में रखते हुए विकासपरक माहौल बनाने में मदद करनी होगी।

हमें यह भी देखना होगा कि गांव में ऐसे जरूरतमंद एवं कमजोर तबके के लोगों की आवाज कैसे ग्रामसभा में पहुंचे एवं उस पर चर्चा हो। गांव में अति कमजोर तबके के लोगों खासतौर पर बेधर परिवार, आदिम जनजाति के परिवार, बंधुवा मजदूरों, बेसहारा एवं परित्यक्त लोग, विमुक्त एवं घुमक्कड़ परिवार, विकलांग लोग, मैला ढोने वाले परिवारों के लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले। ऐसे लोगों के पक्ष में बात रखने के लिए किसी तरह की अड़चन न आये।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य

जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि ग्रामसभा लोकतंत्र में सबसे अहम ईकाई है। यहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र की झलक हम देख सकते हैं। जब हम ग्रामसभा के साथ प्रायोगिक काम करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि ग्रामसभा में लोगों की अपनी राय एवं सोच विचार महत्वपूर्ण होते हैं। लोग एक दूसरे के विचारों पर असहमत होते हुए भी सामने नहीं रखते हैं। हमें ग्रामसभा में बेहतर निर्णय लेने के लिए लोगों को तैयारी कराना चाहिए ताकि उनकी सहभागिता ग्रामसभा में बन सके। हमें युवाओं, महिलाओं एवं कुछ सक्रिय लोगों को एक साथ लाकर एक सहयोगी समूह बनाना होगा जो ग्रामसभा को अपने गांव में ठीक ढंग से संचालित करने में मदद कर सके।

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें ?
• आमतौर पर ग्रामसभा के बारे में लोगों का जानकारी नहीं होती, हमें यह देखना होगा कि ग्रामसभा के बारे में लोगों को समय से सूचना मिले ताकि लोग ग्रामसभा में भागीदारी कर सकें • साथ ही ग्रामसभा का स्थान ऐसा हो जहां सहजता से ग्राम के सभी लोग एकत्र हो सकें • ग्रामसभा स्थल पर बुनियादी व्यवस्था जैसे विछात, सफाई, पीने का पानी आदि सुनिश्चित हो • यह सुनिश्चित हो कि महिलाओं के ग्रामसभा में बैठने में असुविधाजनक स्थिति न बने	• ग्रामसभा के पूर्व एक युवा एवं महिलाओं का कार्यदल/सहयोगी दल या समिति बनायी जा सकती है जो ग्रामसभा के आयोजन में पूरा सहयोग करे • ग्रामसभा की सूचना सभी गांव के लोगों तक पहुंचाने के लिए समिति अपनी निगरानी में डोंडी करवाये एवं सूचनाएं मुख्य स्थानों पर चस्पा करे। • ग्रामसभा के एक दिन पूर्व संध्या पर लोगों से संपर्क करके ग्रामसभा में आने के लिए आमंत्रित करे। • सरपंच व सचिव से मिलकर ग्रामसभा स्थल का मुवायना करे एवं सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करे। • सरपंच व सचिव से मिलकर ग्रामसभा की तैयारी के लिए ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का आग्रह करे ताकि ग्राम पंचायत सभी व्यवस्थाओं के लिए मिलकर जिम्मेदारी तय कर ले। सभी पंच मिलकर लोगों को ग्राम सभा में लाने व व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ले सकते हैं।
• यह भी देखना होगा कि ग्रामसभा में लोगों की भागीदारी केवल भौतिक ही न हो बल्कि लोग चर्चा व निर्णयों में हिस्सा लें • आमतौर पर ग्रामसभा में महिलाएं एवं वंचित व कमजोर वर्ग के लोग पहुंच तो जाते हैं पर चुप रहते हैं वे अपनी बात को रखने में हिचक व डर महसूस करते हैं	• लोगों को उनकी बात रखने के लिए सहयोगी दल प्रेरित करे। उनके मुद्दों को चिन्हित करने व उस पर बाते रखने के लिए सहयोगी दल के साथ ग्रामसभा की एक तैयारी बैठक पूर्व में कर ली जानी चाहिए ताकि उन्हे अपने मुद्दों पर बात करने के लिए व उस पर पैरवी करने के लिए तैयारी रहे। अपने मुद्दों को पहले से ग्रामसभा को लिखित में भेजा भी जा सकता है।

• कई बार गांव के ताकतवर लोग कमजोर वर्गों की आवाज को दबा देते हैं, लोगों को बोलने से हतोत्साहित करते हैं। इससे ग्रामसभा में सबकी भागीदारी नहीं हो पाती	• महिलाएं व कमजोर वर्ग के कौन लोग क्या बात रखेंगें इसकी तैयारी पूर्व से ही करा ली जाना चाहिए ताकि वे अपनी बात करने में डर न महसूस करें। • ग्रामसभा में अवरोध पैदा करने वाले लोगों को चिन्हित करके सहयोगी दल के लोग पहले से उनसे बात कर लें एवं उनको सहयोग करने के लिए प्रेरित करें।
• यह भी देखना होगा कि ग्रामसभा में जरूरी निर्णय हों एवं सबकी सहमति से हों • ग्रामसभा में चर्चा होती है एवं निर्णयों का पता नहीं चल पाता है • ग्राम सभा में पूरी प्रकिया बनायी गयी व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए	• यह जरूरी है कि ग्राम सभा में निर्णय कराने के लिए सहयोगी समूह के लोग ग्राम सभा में भागीदारी करें एवं अंतिम निर्णय क्या हुआ इसके बारे में पूछ परख करें। • ग्राम सभा के निर्णय को अंत में पढ़कर सुनाया जाना चाहिए ताकि ग्रामसभा में हुए फैसलों का सभी को पता चल सके। • ग्रामसभा की पूरी प्रकिया बनायी गयी व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित किया जाना चाहिए। इसलिए सहयोगी दल की ग्रामसभा पर लगातार नजर रहना चाहिए। • ग्रामसभा की शुरूवात अध्यक्ष के चयन से हो एवं उसके बाद पिछली ग्रामसभा के निर्णयों पर कितना अमल हुआ, उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद एजेंडा का कम एवं समय निर्धारण हो। हर मुद्दे/एजेंडे पर चर्चा के साथ ही निर्णय लिया जाये, साथ ही निर्णय को कियान्वित करने के लिए समयावधि एवं जिम्मेदारियां तय कर ली जायें। • सभी मुद्दों पर बातचीत समाप्त होने के बाद निर्णयों को पढ़कर सुनाया जाये, सभी के उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर हों। अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद के बाद ग्रामसभा समाप्त किया जाना चाहिए।

ग्रामसभा के निर्णयों को लागू कराने के लिए गांव के लोगों या सहयोगी समूह को फालोअप करना चाहिए।	ग्रामसभा द्वारा लिए गये निर्णयों को लागू कराने के लिए सक्रियि लोगों/सहयोगी समूह के लोगों को पंचायत से पूछ परख करना चाहिए ताकि निर्णयों पर समय से कार्रवाई हो सके।
ग्रामसभा के द्वारा लिए गये विधिसम्मत निर्णयों की अवहेलना नहीं की जा सकती	ग्रामसभा द्वारा लिए गये निर्णयों में आने वाली बाधाओं को समझकर उसका निराकरण किया जाना चाहिए ताकि लिए गये निर्णय का पालन हो सके। ग्रामसभा स्तर पर सहयोगी दल लिए गये निर्णयों को लागू करने में आ रही रूकावटों के बारे में निरंतर ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव से चर्चा करनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था द्वारा ग्रामसभा के निर्णय को लागू करने में अड़चन डाली जाती है तो उससे बातचीत करना चाहिए।
ग्रामसभा गांव स्तर पर काम कर रही संस्थाओं की निगरानी के तरीके बना सकती है	सामुदायिक समूह मिलकर इस संबंध में ग्रामसभा को सहयोग कर सकते हैं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के कामकाज में सहयोग एवं विचार विमर्श कर सकते हैं एवं उनसे पूछपरख भी कर सकते हैं।
ग्रामसभा के मजबूतीकरण से ही पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ेगी	• ग्रामसभा को जनसुनवाई का एक बेहतर मंच बनाया जा सकता है। जिन लोगों या परिवारों को किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे ग्रामसभा में अपनी शिकायत रख सकते हैं, ग्रामसभा उसका निारकरण करे या निराकरण के लिए अग्रेषित करे। • ग्रामसभा में गांव में लागू योजनाओं का सोशल आडिट किया जाना चाहिए। इससे लोगों में ग्रामसभा के प्रति विश्वास बढ़ेगा। • सोशल आडिट गांव के कुछ सामुदायिक समूह (युवा समूह, महिला समूह, किसान समूह आदि) ग्राम पंचायत द्वारा किये कामों एवं गांव में संचालित सार्वजनिक संस्थाओं से जानकारी लेकर ग्रामसभा के समक्ष रख सकते हैं जिस ग्रामसभा चंर्चा करे एवं जरूरत अनुसार स्वीकृति एवं सुझाव दे।

ग्राम स्तरीय स्थायी एवं तदर्थ समितियां

मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 2001 के अनुसार ग्रामसभा को कई अधिकार सौंपे गये हैं। ग्रामसभा के कामों को सुगम बनाने के लिए गांव स्तर पर विभिन्न अधिनियमों (पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 2001, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) कानून 2006, मनरेगा अधिनियम 2005 आदि) के तहत गांव स्तरीय समितियों का प्रावधान किया गया है।

ग्राम विकास समिति

ग्रामसभा के कामों में सुगमता लाने के लिए ग्राम विकास समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम विकास समिति में कुल 5 सदस्य होंगे। सरपंच–सभापति, उपसरपंच–उप सभापति, एक पंच–सबंधित ग्रामसभा, एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग, एक महिला सदस्य। यदि अनूसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो अनारक्षित वर्ग से पद भरा जायेगा। ग्रामसभा की स्थायी समितियों के गठन के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित (24 नवम्बर 2012) के अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव नतीजों के प्रकाशन के एक माह के भीतर ग्रामसभा की बैठक बुलायी जायेगी। संबंधित समिति के काम व जिम्मेदारियों को ग्रामसभा में स्पष्ट किया जायेगा। पूरी बात समझने के बाद सदस्यों की रूचि के अनुसार समिति का गठन होगा। ग्राम विकास समिति के सभापति एवं सदस्यों का कार्यकाल वही होगा जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल है।

ग्राम विकास समिति की शक्तियां एवं काम

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम एवं नियम के अनुसार तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन रहते हुए समितियों को निम्न अधिकार एवं काम करने होंगे –

1. ग्राम विकास कार्यक्रम
2. योजना, बजट, वित्त, लेखा एवं कर से संबंधित सभी मामले
3. सार्वजनिक संपत्ति एवं खेती संबंधी मामले
4. लोक स्वास्थ्य एवं ग्राम सुरक्षा
5. अधोसंरचना यानि संचार एवं आवास आदि
6. प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता से जुड़े विषय जो ग्राम निर्माण समिति के दायरे में न आते हों।
7. अन्य ऐसे मामले जो ग्रामसभा द्वारा ग्राम विकास समिति को सौंपे जायें।

ग्राम विकास समिति की बैठक में एजेंडा क्या होगा

ग्राम विकास समिति के सभापति जितनी बार भी जरूरत समझें समिति की बैठक बुला सकते हैं। समिति की महीने में कम से कम एक बार बैठक बुलाना आवश्यक है। समिति की बैठक की सूचना सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार बैठक के पांच दिन पहले सभी सदस्यों को दी जायेगी। स्थायी समिति का सभापति यदि मांग के अनुसार 10 दिन के अंदर बैठक नहीं बुलाते हैं तो सचिव द्वारा अगले कार्यदिवस में बैठक की तारीख घोषित कर दी जायेगी। स्थायी समिति की सभी बैठकों के सभापति सरपंच होंगे। सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच सभापति होंगे यानि बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

ग्राम विकास समिति की बैठक में फैसले कैसे होंगे

ग्राम विकास समिति की बैठक में शामिल किसी भी मामले पर फैसला सर्वसम्मति से लिया जायेगा। यदि किसी विषय पर सदस्यों में सर्वसम्मति नहीं है या भिन्न मत है तो फैसला बहुमत के आधार पर लिया जायेगा। इसके लिए मतदान कराया जायेगा।

ग्राम विकास समिति को कैसे प्रभावी बनायें

ग्राम विकास समिति गांव की विकास योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण समिति है। गांव के हर जरूरतमंद व्यक्ति को विकास योजनाओं का लाभ दिलाने गांव में सुविधाएं एवं सेवाओं का स्तर बेहतर बनाने के लिए ग्राम विकास समिति का मजबूत व प्रभावी होना जरूरी है। यह देखना जरूरी होगा कि समिति के सदस्यों में समिति के कामकाज को लेकर कितनी रूचि है एवं वे कितने सजग हैं।

- सभी सदस्यों को ग्राम विकास समिति के काम एवं शक्तियों के बारे में जानकारी दें। समिति की महत्ता एवं उनके योगदान के बारे में चर्चा करके बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करें।
- यदि कुछ सदस्य समिति के प्रति रूचि नही रखते तो समिति के पुनर्गठन के लिए ग्रामसभा में प्रस्ताव रखा जा सकता है और गांव के विकास में रूचि रखने वाले अन्य सदस्यों को नियमानुसार शामिल किया जा सकता है।
- हमें अपनी ग्राम विकास समिति को मजबूत बनाना है तो एक सहयोगी/समर्थन समूह बनाना होगा, जो ग्राम विकास समिति के कामों में सहयोग करे। ध्यान रहे ग्राम विकास समिति ग्रामसभा के प्रति जवाबदेह है और किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए ग्रामसभा में ही चर्चा की जायेगी।
- गांव के सक्रिय व्यक्ति जो गांव के प्रति सकारात्मक पहल एवं रूचि रखते हैं, उन्हें सभापति की सहमति से सदस्य न होते हुए भी बैठक में शामिल करें।
- गांव या क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के सदस्यों को भी सहयोग एवं सुझाव के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

- ग्राम विकास समिति की बैठक में गांव के विकास व सुविधाओं एवं सेवाओं की बेहतरी के बारे में चर्चा को केन्द्रित करें। गांव की स्थिति का विश्लेषण करें एवं स्थिति विश्लेषण से निकले बिंदुओं के आधार पर आवश्यकताओं को चिन्हित किया जाये।
- आवश्यकताओं की सूची अधिक होने पर प्राथमिकता का निर्धारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाये एवं तत्पश्चात् योजना का प्रारूप तैयार किया जाये। प्राथमिकता के आधार पर बनी योजना को ग्रामसभा के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाये।
- ग्राम विकास समिति के सदस्य ग्रामसभा में योजना को स्वीकृत कराने के लिए पंचों के साथ मिलकर गांव के लोगों को ग्रामसभा में आने के लिए प्रेरित भी करें।
- ग्रामसभा में समिति द्वारा बनायी गयी योजना को स्वीकृति के लिए पैरवी भी करें। इस तरह यदि समिति लोगों के साथ मिलकर काम करती है तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी एवं समिति सशक्त होगी।

शाला प्रबंधन समिति

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 (1) और नियम (संशोधन 2014) में नियम 12 के उपनियम 1 के अनुसार इस नियम के प्रकाशन के छः माह के अंदर शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा और हर दो साल बाद इसका पुनर्गठन किया जायेगा। इस नियम के मुताबिक प्राथमिक शाला के लिए 18 सदस्य और माध्यमिक शाला के लिए 16 सदस्यों का चुनाव किया जायेगा। समिति में तीन चौथाई सदस्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता–पिता या अभिभावक में से चुने जायेंगे। इस समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनग्राम के पट्टाधिकारी परिवार, वनाधिकार के अंतर्गत अधिकार प्राप्त परिवार, विकलांग बच्चे और कमजोर वर्ग के बच्चों के पालकों का प्रतिनिधित्व शाला में दर्ज बच्चों के अनुपात में होगा। दो सदस्य स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे यानि ग्राम पंचायत के पंच और नगरीय क्षेत्र में पार्षद सदस्य हो सकते हैं। शाला के प्रधान अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक समिति के सदस्य होंगे। समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी पर इससे अधिक भी हो सकती हैं। समिति के सचिव स्कूल के प्रधान शिक्षक सचिव होंगे।

शाला प्रबंधन समिति की बैठक

शाला प्रबंधन समिति की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है एवं यह महीने में कम से कम एक बार होती है। आपसी सहमति या जरूरत अनुसार विशेष बैठक बुलायी जा सकती है। समिति की बैठक का एजेंडा, दिन एवं समय समिति के सचिव द्वारा अध्यक्ष से परामर्श करके सदस्यों को भेजा जायेगा। समिति की बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष द्वारा की जायेगी, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

शाला प्रबंधन समिति की भूमिका एवं जिम्मेदारियां

स्कूली शिक्षा को बेहतर करने में शिक्षक, समुदाय, और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है। शिक्षक, समुदाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मिलकर गांव के स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं एवं स्कूल की सुविधाओं को बेहतर कर सकते हैं। शाला प्रबंधन समिति की मुख्य भूमिका शाला विकास की योजना बनाना है ताकि स्कूल की व्यवस्थाओं एवं पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार आये।

1. विद्यालय के कामकाज की देखरेख एवं निगरानी
2. विद्यालय के लिए शाला विकास की योजना तैयार करना
3. सरकार से, शिक्षा विभाग से या अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान (आर्थिक सहयोग/वित्तीय संसाधन) एवं उसके उपयोग की देखरेख करना।

- समिति निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करेगी कि –
  - ✓ सभी शिक्षक नियमित और समय पर शाला में उपस्थित हों।
  - ✓ माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें हों जिनमें कि हर बच्चे की शाला में उपस्थिति और नियमितता, उसके सीखने के स्तर, सीखने की प्रगति एवं अन्य बातों के बारे में माता–पिता और अभिभावकों को जानकारी दी जाए।
  - ✓ कोई शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण कार्य न करे।
- समिति देखेगी कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए। 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, लोकसभा, विधान सभा एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव और विभीषिका, राहत कार्य के अलावा शिक्षक को अन्य गैर–शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा।
- समिति सुनिश्चित करेगी कि शाला के आसपास क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे (बालक–बालिका) शाला में दर्ज किए गए हैं और वे रोज शाला आ रहे हैं।
- अधिनियम में शाला हेतु तय किए गए मान और मानकों के रख–रखाव हेतु देख–रेख
- बच्चों के अधिकारों की निगरानी रखना – बच्चों के अधिकारों का किसी तरह से हनन होने पर जैसे– मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, शाला में प्रवेश देने से इंकार करना, या धारा 3 (2) में बताए अनुसार छात्र से किसी तरह का फीस, शुल्क, व्यय या प्रभार मांगे जाने पर यह समिति इस विषय मे स्थानीय प्राधिकारी यानि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम को इस बारे में जानकारी देगी।
- 6 वर्ष से अधिक उम्र के बालकों को विशेष प्रशिक्षण, आवासीय या गैर आवासीय ब्रिज कोर्स में प्रवेश दिए जाने पर यह समिति उनकी जरूरतों को पहचानेगी, उसके अनुसार कार्ययोंजना तैयार करेगी और क्रियान्वयन की देखरेख (मानीटरिंग) करेगी।

- समिति दिव्यांग बालक–बालिकाओं की पहचान कर उनका शाला में नामांकन कराएगी। दिव्यांग बच्चों को उनकी शिक्षा हेतु प्राप्त होने वाली सुविधाओं को मानीटर करेगी और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी।
- यह समिति शाला में चलाए जा रहे मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की देखरेख (मानीटरिंग) करेगी।
- यह समिति शाला को प्राप्त हुए धन एवं उसके व्यय का वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करेगी।

  समिति द्वारा प्राप्त धन समिति के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। यह खाता समिति के अध्यक्ष और सचिव के संयुक्त नाम से खोला जाएगा। जब भी जरूरत हो इस खाते को आडिट के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

- इसके अंतर्गत किसी भी शाला में दर्ज बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की आवश्यकता और अतिरिक्त शिक्षकों की मांग, भौतिक अधोसंरचना जैसे अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, हर कक्षा के लिए सहायक शिक्षण सामग्री, खेल के सामान, एवं शाला की जरूरत के हिसाब से बजट का अनुमान भी शाला विकास योजना में किया जाएगा यह योजना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी।

शाला प्रबंधन समिति को कैसे प्रभावी बनायें

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार कानून बन जाने से हमारे बच्चों को अच्छी, सच्ची, गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का अधिकार नहीं मिल सकता है। शिक्षा के अधिकार का यह सपना तभी पूरा होगा जब समुदाय शिक्षा व्यवस्था की निगरानी खुद करेगा। समुदाय, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि एवं शिक्षकों के मिलेजुले प्रयास से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है।

- हमें यह देखना होगा कि शाला प्रबंधन समिति में कौन कौन लोग सदस्य हैं एवं उनसे स्कूल एवं बच्चों की शिक्षा के बारे में राय जाने एवं बच्चों की शिक्षा के बारे में वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श करें।
- सभी सदस्यों को समिति की बैठक में आमंत्रित करें एवं समिति में उनके उपस्थित रहने के महत्व पर चर्चा एवं प्रेरित करें।
- स्कूल के शिक्षक एवं समिति अध्यक्ष से बातचीत करके बैठक का समय सदस्यों के अनुरूप रखने के लिए अनुरोध करें।
- समिति में स्थानीय एनजीओ के सदस्यों एवं सक्रिय लोगों को भी समिति की सहमति से आमंत्रित करें ताकि उनके सुझाव एवं सहयोग मिल सके।

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति

ग्रामसभा के कामों को आसान बनाने व गांव स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ कामों में लोगों की भागीदारी मजबूत करने के लिए ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति का गठन किया गया है। ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति में कुल 12 से 20 सदस्य होंगे जो विषय के बारे में जानकार एवं रूचि रखते हों। गांव का कोई व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो तथा विषय के संबंध में हित रखता हो, इस समिति में सदस्य बन सकता है। समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग से कम से कम एक सदस्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से कम से कम एक महिला समिति में होगी।

समिति में गांव की सभी महिला पंच, आशा कार्यकर्ता, स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम, मातृ सहयोगिनी समिति की अध्यक्ष, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी स्व–सहायता समूह की अध्यक्ष और क्षेत्र का हैण्डपम्प मैकेनिक/सहायक मैकेनिक समिति के पदेन सदस्य होंगे।समिति के सदस्यों को पारस्परिक सहमति से ग्रामसभा द्वारा नामांकित किया जाएगा। समिति की कोई भी महिला सदस्य समिति की सभापति होगी। समिति का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के समान होगा।

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की बैठक

समिति का काम अच्छी तरह से चले, इसके लिए सदस्यों को बैठकें करनी होंगी। ये बैठकें जितनी असरदार और व्यवस्थित होंगी समिति का काम उतना ही अच्छा होगा। समिति की हर माह कम से कम एक बैठक करना अनिवार्य है। इसके अलावा समिति अपने कामकाज के लिए .सभापति एवं सदस्यों की सहमति से जब चाहे विशेष बैठक बुला सकती है। समिति की बैठक की तारीख, समय एवं स्थान की सूचना तथा एजेंडा अध्यक्ष के परामर्श से सचिव द्वारा सदस्यों को भेजा जायेगा। समिति के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों को बैठक में उपस्थित रहना जरूरी है।

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की शक्तियां एवं कार्य

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति को कार्यो की समीक्षा, पर्यवेक्षण, निगरानी तथा समन्वयन की भूमिका और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा पोषाहार कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान को चलाने के लिए सशक्त किया गया है। संबंधित विभाग, योजना को लागू करने में सदस्यों की भूमिका और समिति की जिम्मेदारियों के लिए अलग तथा संयुक्त रूप से प्रशासनिक निर्देश जारी करेंगे। ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों, योजनाओं में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं पर नियंत्रण होगा। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 (B) के अनुसार ग्राम सभा को ग्राम स्तर

के सभी शासकीय कर्मचारियों पर निगरानी करने की शक्ति दी गयी है जिसके अनुसार ग्राम सभा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन रोकने, आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने, कार्य की देखरेख एवं पर्यवेक्षण की शक्ति होगी।

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति को कैसे प्रभावी बनायें

ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति गांव की स्वास्थ्य योजना बनाने एवं उसे लागे करने के लिए महत्वपूर्ण समिति है। गांव के हर जरूरतमंद व्यक्ति को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सेवाओं का स्तर बेहतर बनाने के लिए इस समिति का मजबूत व प्रभावी होना जरूरी है। यह देखना जरूरी होगा कि समिति के सदस्यों में समिति के कामकाज को लेकर कितनी रूचि है एवं वे कितने सजग हैं। सभी सदस्यों को ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की महत्ता एवं उनके योगदान के बारे में चर्चा करके बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करें। यदि कुछ सदस्य समिति के प्रति रूचि नही रखते तो समिति के पुनर्गठन के लिए ग्रामसभा में प्रस्ताव रखा जा सकता है और गांव के स्वास्थ्य व्यवस्था में रूचि रखने वाले अन्य सदस्यों को नियमानुसार शामिल किया जा सकता है। ध्यान रहे ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति ग्रामसभा के प्रति जवाबदेह है और किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए ग्रामसभा में ही चर्चा की जायेगी। गांव के सक्रिय व्यक्ति जो गांव के प्रति सकारात्मक पहल एवं रूचि रखते हैं, उन्हें सभापति की सहमति से सदस्य न होते हुए भी बैठक में शामिल करें। गांव या क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के सदस्यों को भी सहयोग एवं सुझाव के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति

ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून और योजना से गांव के लोगों को रोजगार का कानूनी हक मिल गया है। यह योजना गांवों में सामाजिक बदलाव ला सकती है। इस योजना में लोगों की भागीदारी को खास महत्व दिया गया है। इसी दृष्टि से हर स्तर पर समितियों के गठन किये जाने का प्रावधान योजना के तहत किया गया है। मनरेगा के तहत गठित सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति गांव में काम कर रहे मजदूरों में से ही ग्रामसभा के द्वारा बनाई जाती है। इस समिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को खास रूप से शामिल किया जाता है। इस समिति में सदस्यों की संख्या कम से कम 5 एवं अधिकतम की कोई सीमा नहीं है।

समिति की बैठक

समिति गांव के विकास के लिए बेहतरी से काम करे इसके लिए जरूरी है कि समिति की बैठकें हर माह होना जरूरी है। यदि समिति आवश्यक समझे तो विशेष बैठक किसी भी नियत समय पर बुलाई जा सकती है। ये बैठकें जितनी असरदार और व्यवस्थित होंगी समिति का काम उतना ही अच्छा होगा।

समिति के काम

- निगरानी समिति मजदूरी के भुगतान के समय अपने सदस्यों को भुगतान स्थल पर भेज सकती है।
- काम में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है, समिति कार्यस्थल पर देखती है।
- पंचायत या कोई संस्था जो काम करवा रहा है उसे निगरानी समिति का प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है।
- जाब कार्ड मजदूरों के पास है या पंचायत के सरपंच या सचिव के पास है यह भी समिति देखती है।
- समिति यह भी देखती है कि काम के स्थान पर आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं।
- समिति चल रहे काम के बिल – बाउचर्स की भी जांच करेगी।

सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति को कैसे प्रभावी बनायें।

सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति गांव में मनरेगा के तहत योजना के क्रियान्वयन एवं उसे लागू करने के लिए महत्वपूर्ण समिति है। गांव के हर जरूरतमंद व्यक्ति को मनरेगा के तहत काम एवं मजदूरी के समय से भुगतान को बेहतर बनाने के लिए इस समिति का मजबूत व प्रभावी होना जरूरी है। यह देखना जरूरी होगा कि समिति के सदस्यों में समिति के कामकाज को लेकर कितनी रूचि है एवं वे कितने सजग हैं।

- सभी सदस्यों को मनरेगा की महत्ता एवं उनके योगदान के बारे में चर्चा करके बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करें।
- यदि कुछ सदस्य समिति के प्रति रूचि नही रखते तो समिति के पुनर्गठन के लिए ग्रामसभा में प्रस्ताव रखा जा सकता है और गांव के स्वास्थ्य व्यवस्था में रूचि रखने वाले अन्य सदस्यों को नियमानुसार शामिल किया जा सकता है। ध्यान रहे ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति ग्रामसभा के प्रति जवाबदेह है और किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए ग्रामसभा में ही चर्चा की जायेगी।
- गांव के सक्रिय व्यक्ति जो गांव के प्रति सकारात्मक पहल एवं रूचि रखते हैं, उन्हें सभापति की सहमति से सदस्य न होते हुए भी बैठक में शामिल करें।
- गांव या क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के सदस्यों को भी सहयोग एवं सुझाव के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
- सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में गांव में मनरेगा की बेहतरी के बारे में चर्चा को केन्द्रित करें। गांव की स्थिति का विश्लेषण करें एवं स्थिति विश्लेषण से निकले बिंदुओं के आधार पर मनरेगा में काम खोलने के लिए योजना बनायी जाये।
- काम के लिए बनी योजना को ग्रामसभा के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाये। समिति द्वारा बनायी गयी काम की योजना को स्वीकृति के लिए पैरवी भी करें। इस तरह यदि समिति लोगों के साथ मिलकर काम करती है तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी एवं समिति सशक्त होगी।

- मनरेगा के तहत काम की स्थितियों एवं भुगतान व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के लिए यह जरूरी है कि सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति के अलावा गांव के अन्य लोगों का भी सहयोग मिले।
- गांव स्तर पर सेवानिवृत्त कर्मचारी, युवा व अन्य लोग ऐसे हो सकते हैं जो समिति को मनरेगा में आ रही दिक्कतों को हल करने में सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे लोगों को समिति से जोड़ना होगा एवं ग्रामसभा में ये लोग मुख्य भूमिका निभा सकते हैं।

वनाधिकार समिति

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के हितों की रक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) कानून 2006 लागू किया गया। इस कानून के तहत वन अधिकारों की पहचान और इस बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा के प्रबंधन में ग्रामसभा की भूमिका को खास महत्व दिया गया है। ग्रामसभा को तय किये गये कामों को अमल में लाने के लिए सहयोगी ढांचे की भी जरूरत है ताकि कामों को समयसीमा में किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए वनाधिकार समिति का गठन किया गया है। वनाधिकार समिति समुदाय को वन अधिकार दिलाने के लिए ग्रामसभा को सहयोग करेगी।

समिति का गठन

वनाधिकार समिति का गठन ग्रामसभा द्वारा किया जायेगा। ग्राम सभा की बैठक में ग्रामसभा सदस्यों में से 10 से 15 सदस्यों को मिलाकर एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में –

1. तीन सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे एवं तीन महिलाएं सदस्य होंगी।
2. एक सदस्य अन्य पारंपरिक वन निवासी होगा।
3. जिन गांवों में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास नहीं करते हैं वहां कम से कम तीन सदस्य अन्य परंपरागत वन निवासी एवं तीन महिला सदस्य होगी।
4. समिति के गठन की जानकारी उपखंड स्तरीय समिति को दी जायेगी।
5. ग्रामसभा 15 से अधिक सदस्यों का चयन भी समिति के लिए कर सकती है।

वनाधिकार समिति की बैठक

वनाधिकार समिति की बैठक किसी भी समय सदस्यों की मांग पर बुलायी जा सकती है। पर हर माह समिति की बैठक होना चाहिए। समिति के बैठक के दौरान सचिव द्वारा वनाधिकार दावों एवं एवं संबंधित दस्तावेजों को रखना अनिवार्य होगा।

वनाधिकार समिति के काम

वनाधिकार समिति ग्रामसभा के कामों में सहयोग करेगी –

- समिति ग्रामसभा की बैठकों में वनाधिकार के मुद्दों पर चर्चा एवं जानकारी देगी।
- निर्धारित प्रारूप में दावों को प्राप्त करेगी व पावती देगी साथ ही दावों के समर्थन में साक्ष्य जुटायेगी।
- सरकारी पदाधिकारियों शिक्षक, पटवारी, वनकर्मी व अन्य ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं से मदद लेगी।
- वनाधिकार नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दावों का सत्यापन करेगी।
- समिति जैसा उचित समझे किसी प्राधिकारी, अभिकरण, व्यक्ति से साक्ष्य या समर्थन की मांग करेगी।
- मानचित्रों सहित दावों और साक्ष्य के अभिलेख तैयार करेगी।
- वन अधिकारों पर दावेदारों की सूची तेयार करेगी।
- प्राप्त दावों के स्वरूप एवं विस्तार पर ग्रामसभा के समक्ष निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी।

वनाधिकार समिति को कैसे प्रभावी बनायें

वनाधिकार समिति वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को वन का हक दिलाने वाली महत्वपूर्ण समिति है। इस समिति का प्रभावी रूप से काम करना बेहद जरूरी है ताकि वनवासी समुदायों को उनका पारंपरिक अधिकार सुनिश्चित हो सके।

- हमें यह देखना होगा कि वनाधिकार समिति की निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार काम करे। समिति के सभी सदस्यों को वनाधिकार कानून के बारे में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायें।
- समिति के सदस्यों से वनाधिकार एवं लोगों के हकों के बारे में चर्चा करें तथा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।
- समिति की बैठकों को बनायी गयी व्यवस्था के अनुसार नियमित रूप से करना निश्चित करें। यह पता करें कि समिति की सक्रियता से कितने परिवारों को वन का हक मिला है, इस पर समिति में चर्चा करायें ताकि समिति सदस्यों को उनके काम का प्रतिफल मिल सके।
- समिति की बैठकों को सार्थक बनाने के लिए पूर्व तैयारी करें एवं समिति बैठक की प्रक्रिया को क्रमबद्व ढंग से करें। बैठक की सूचना सभी सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व सुनिश्चित करें एवं सूचना के साथ ही यह भी बतायें की बैठक में क्या बातचीत होना है।
- बैठक के प्रारंभ होने पर सबसे पहले बैठक के एजेंडे का क्रम निश्चित करें एवं अन्य चर्चा के विषयों को जरूरत अनुसार जोड़ें। चर्चा के क्रम में सबसे पहले उन निर्णयों पर चर्चा कर ली जाये जो पिछली बैठक में लिए गये थे। यदि कोई कार्य पूरा नही हुआ है तो उसके कारणों पर चर्चा करते हुए पुनः उस पर निर्णय लिया जाये।
- इसके पश्चात सभी एजेंडे पर क्रम से चर्चा हो एवं निर्णय लिये जाएं।
- अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों खासकर महिला सदस्यों को चर्चा में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाये। हर निर्णय को लागू करने के लिए समय एवं जिम्मेदारियां भी निश्चित की जाएं।

- अंत में एक बार लिये गये निर्णयों को सबको पढ़कर सुनाया जाये। सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद अध्यक्ष द्वारा सबको धन्यवाद देकर बैठक की समाप्ति की घोषणा की जाये।
- सभी उपस्थित सदस्यों का उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर लिया जाये।

ग्राम स्तरीय समितियों को प्रभावी बनायें हेतु प्रायोगिक कार्य

प्रायोगिक/मैदानी कार्य के लिए कुछ बिंदु	क्या कार्यवाही करें ?
• गांव स्तरीय समितियों के बारे में लोगों व कई मामलों समिति सदस्यों को जानकारी नहीं होती कि वे किस समिति के सदस्य हैं।	• ग्राम पंचायत सचिव से विभिन्न समितियों के सदस्यों की सूची बनायें एवं उन सदस्यों से समिति की अवधारणा एवं उनकी गांव के विकास में भूमिका पर चर्चा करें। • समिति सदस्यों की सूची ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा करवायें। • समिति की जिम्मेदारियों को भी संबंधित समिति के साथ ही पंचायत के सूचना पटल पर अंकित करवायें
• ग्राम समिति के सदस्यों को उनकी भूमिका एवं अधिकारों के बारे जानकारी की कमी होती है	• समिति सदस्यों को संबंधित समिति की गांव के विकास में भूमिका, उनके दायित्वों, अधिकारों के बारे में जानकारी दें और उनकी समिति में भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, इस बारे में चर्चा करें। • यह बतायें कि वे सदस्य के रूप में गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं व लोगों के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय दिलाने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं।
• ग्राम स्तरीय समितियों की बैठकें नियमित नहीं हैं • समिति सदस्यों को नहीं पता होता है कि बैठक में क्या चर्चा होनी है।	• समितियों की बैठकों के लिए समिति सचिव से संपर्क करके बैठक की तारीख तय करें एवं समिति सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व सूचना भेजें। • समिति सदस्यों को एजेंडा की पूरी जानकारी भी पूर्व से दें

• यह भी देखना होगा कि समिति में जरूरी निर्णय हों एवं सबकी सहमति से हों • समिति की बैठक पूरी प्रकिया बनायी गयी व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए	• यह जरूरी है कि समिति के सदस्य निर्णय में भागीदारी करें एवं अंतिम निर्णय क्या हुआ इसके बारे में पूछ परख करें। • समिति के द्वारा लिए गये निर्णय को अंत में पढ़कर सुनाया जाना चाहिए ताकि ग्रामसभा में हुए फैसलों का सभी को पता चल सके।
समिति के निर्णयों को लागू कराने के लिए समिति सदस्यों के द्वारा फालोअप नहीं किया जाता।	समिति द्वारा लिए गये निर्णयों को लागू कराने के लिए समिति के सदस्यों द्वारा पंचायत से पूछ परख करना चाहिए ताकि निर्णयों पर समय से कार्रवाई हो सके।
समिति के द्वारा लिए गये विधिसम्मत निर्णयों की अवहेलना नहीं की जा सकती	समितियां ग्रामसभा की सहयोगी ईकाई हैं अतः समिति के निर्णयों की अवहेलना नहीं की जा सकती यदि ग्रामसभा ने उसे अनुमोदित कर दिया है। समिति द्वारा लिए गये निर्णयों में आने वाली बाधाओं को समझकर उसका निराकरण किया जाना चाहिए ताकि लिए गये निर्णय का पालन हो सके।

पंचायत राज का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार

पेसा कानून ''पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996

पंचायतराज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद गांव के विकास एवं फैसले लेने का अधिकार ग्रामवासियों को मिल गया। पर यह देखा गया कि आदिवासी क्षेत्रों में गांव की परंपराएं एवं संस्कृति सामान्य क्षेत्रों से कुछ अलग हैं। आदिवासी समुदाय प्राचीन काल से अपने रीति रिवाजों एवं परंपराओं के जरिये जीवनयापन करता रहा है। यह समुदाय मिलजुलकर काम करने, फैसले करने एवं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग एवं उसके संरक्षण करने का दायित्व निभाता रहा है। इस व्यवस्था में पंचायतराज कानून कई तरह की दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 73 वें संविधान संविधान संशोधन के जरिये लागू पंचायत राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के लिए जून 1994 में दिलीप सिंह भूरिया कमेटी का गठन किया गया। मई 1995 में भूरिया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पेसा (प्रोविजन आफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूलल्ड एरियाज) कानून ''पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया।

भूरिया समिति ने सिफारिश कि पांचवी व छठीं अनुसूची वाले क्षेत्रों को विशेष दर्जा देकर वहां की व्यवस्था स्थानीय आदिवासियों को सौंपी जाये। इन क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं के अध्यक्ष पद आदिवासी समुदायों को सौंपे जाएं। इस कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को खास अधिकार सौंपे गये हैं। पेसा कानून के तहत छठीं अनुसूची का क्षेत्र असम में आने वाले आदिवासी क्षेत्रों के लिए है जिसे संविधान में औपचारिक रूप से जनजातीय क्षेत्र का नाम दिया गया है। अन्य आदिवासी क्षेत्रों में पांचवीं अनुसूची की व्यवस्था है जिन्हें औपचारिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र नाम दिया गया है।

पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में खास प्रावधान

- पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में राज्य के अधिकार का सीमित कर दिया गया है एवं राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं। इस अनुसूची के तहत यह प्रावधान है कि राज्यपाल सामान्य अधिसूचना द्वारा संसद या राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को लागू होने से रोक सकते हैं या उसे जरूरी संशोधन के बाद लागू होने के लिए निर्देश दे सकते हैं जो आदिवासी हितों के विपरीत हों।
- पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में हर राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जायेगा। इस परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे जिसमें तीन चौथाई सदस्य राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जनजाति सदस्य होंगे। यदि किसी राज्य में समिति में भरे जाने वाले पदों की संख्या से कम सदस्य विधानसभा में होते हैं तो उन जनजाति के अन्य सदस्यों से यह पद भरे जायेंगे। यह परिषद अनुसूचित जजाति के कल्याण एवं विकास से संबंधित मुद्दों पर राज्यपाल को सलाह देगी।

- राष्ट्रपति किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को य़ा उसके हिस्से को अनुसूचित क्षेत्र से अलग कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं।
- राष्ट्रपति किसी भी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं।
- किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन होने पर या किसी नये राज्य की स्थापना होने पर राष्ट्रपति उसके किसी भी भाग को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं जो पहले से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं था।
- राष्ट्रपति राज्यों के संबंध में इस पैरा के अधीन किये गये आदेश को रद्द कर सकते हैं या संबंधित राज्य से सलाह करके अनुसूचित क्षेत्र को पुनः निर्धारित कर सकते हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा के खास प्रावधान

ग्रामसभा का गठन

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 129 क में पेसा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में ग्रामसभा के गठन के बारे में बताया गया है। इस धारा के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों के किसी भी गांव, टोला, पारा, फलिया, पुरा आदि में ग्रामसभा का गठन किया जा सकता है। ग्रामसभा के गठन के लिए गांव के सभी लोगों (18 साल से अधिक उम्र के मतदाता) को बैठक करके इस आशय का एक प्रस्ताव पास करके एवं उस गांव या फलिया की परिवार व जनसंख्या के विवरण के साथ एसडीएम को प्रस्तुत करना होगा। एसडीएम द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उस गांव की ग्राम पंचायत में सूचना पटल पर सूचना चस्पा की जायेगी एवं किसी को आपत्ति होने पर निर्धारित तारीख तक आपत्ति दर्ज कराना होगी। किसी तरह करी आपत्ति या असहमति प्राप्त होने पर एसडीएम द्वारा उस पर विचार एवं निर्णय किया जायेगा। इसके बाद ग्रामसभा के गठन की घोषएा की जायेगी, किसी तरह की आपत्ति न प्राप्त होने पर भी ग्रामसभा के गठन की घोषणा कर दी जायेगी।

ग्रामसभा की बैठक

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अनुसार साल में चार बार ग्रामसभा के आयोजन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किसी भी समय कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्यों की मांग पर एक माह के अंदर ग्रामसभा की बैठक बुलाई जा सकती है। ग्रामसभा की बैठक में 10 प्रतिशत या 500 सदस्यों जो भी कम हो उपस्थित रहना जरूरी है। ग्रामसभा की बैठक में अध्यक्षता सरपंच, उपसरपंच, पंच या सचिव द्वारा नहीं की जायेगी। ग्रामसभा की बैठक में सबसे पहले वहां उपस्थित लोगों में से आदिवासी समुदाय के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जायेगा। अध्यक्ष ग्रामसभा में क्रम निर्धारित करके हर एजेंडे पर चर्चा एवं निर्णय करायेंगे। ग्रामसभा के अंत में निर्णयों को पढ़कर सभी को सुनाया जायेगा एवं ग्रामसभा अध्यक्ष के द्वारा धन्यवाद के बाद ग्रामसभा समाप्त होगी।

ग्रामसभा के अधिकार

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अनुसार ग्रामसभा के सामांन्य अधिकारों के अलावा पेसा क्षेत्र की ग्रामसभाओं को धारा 129 ग के तहत कुछ महत्वपूर्ण अधिकार भी सौंपे गये हैं। अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभाओं को आदिवासी समुदायों के रीति रिवाजों एवं परंपराओं को संजोए रखने एवं उनके संरक्षण के लिए अधिकार है। यदि आदिवासी समुदाय को ऐसा लगता है कि उनकी परंपरा एवं संस्कृति की किसी गतिविधि या निर्देश आदि से अनदेखी की जा रही है या हानि पहुंचायी जा रही है तो ग्रामसभा की बैठक में प्रस्ताव करके उसे रोकने के लिए फैसला कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभाओं को अपने क्षेत्र के जल, जंगल एवं जमीन एवं प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों पर फैसले करने का अधिकार है। इन संसाधनों के समुचित एवं न्यायपूर्ण उपयोग, उसके रखरखाव, संरक्षण, वनोपज के एकत्रण आदि पर फैसले लेने का अधिकार है एवं उस पर ग्रामसभा नियम कायदे भी बना सकती है। अपनी ग्रामसभा क्षेत्र में स्थित सामुदायिक संसाधनों जैसे सार्वजनिक कुए, चौपाल, तालाब आदि के समुचित उपयोग, उनके रखरखाव आदि के बारे में ग्रामसभा फैसले ले सकती है एवं उनके सुचारू संचालन के लिए नियम कायदे बना सकती है। अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभाएं अपने क्षेत्र में हाट–बाजार पर नियंत्रण कर सकती हैं एवं ऐसी वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री पर रोक लगा सकती हैं जो आदिवासी समुदाय की परंपराओं एवं संस्कृति पर विपरीत असर डाल सकती हैं। जब गांव के लोगों को किसी व्यापार पर आशंका हो तो वे ग्रामसभा का आयोजन करके इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, साथ ही नशीले व मादक पदार्थों की बिक्री के संबंधित नियम कायदे बना सकती है।

अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभाओं को साहूकारी व्यवस्था पर नियंत्रण का अधिकार होगा। ग्रामसभा अपने क्षेत्र में ऐसे साहूकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है जिनके पास लाइसेंस नहीं हो। ग्रामसभा कर्ज के लेनदेन एवं उस पर ब्याज के नियम कायदे बना सकती है। बिना लाइसेंस, प्रतिबंध के बाद साहूकारी का कार्य जारी रखने वाले साहूकारों पर दो साल की जेल या 10000 का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

ग्रामसभा गांव के विकास के लिए सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजना बनायेगी। गांव के सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अनुमोदन ग्रामसभा में होगा, साथ ही हितग्रहियों की पहचान एवं चयन ग्रामसभा में होगा। गांव में स्थानीय योजनाओं के लिए आने वाली सभी राशियों पर ग्रामसभा का नियंत्रण रहेंगा।

इसके अलावा ग्रामसभा को अन्य वह सभी अधिकार प्राप्त हैं जो सामान्य क्षेत्र की ग्रामसभाओं को है। इसमें अविवादित भूमि के नामांतरण, गांव की सार्वजनिक संस्थाओं की निगरानी, पंचायत के कामों की निगरानी तथा गांव स्तर पर सामाजिक सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों पर नियंत्रण आदि शामिल है।

पेसा कानून के बारे में *अनुसूचित जाति, जनजाति और उपेक्षित तबकों के अधिकार – कानून एंव योजनाएं नामक पुस्तिका में विस्तार से दिया गया है।*

ग्राम पंचायत की विकास योजना

विकास योजना की अवधारणा

ग्राम पंचायतें मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के कियान्वयन की मुख्य ईकाई हैं। इस दृष्टि से ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ग्रामसभा का मुख्य काम सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की योजना बनाना है। इसके लिए विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया को अपनाते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किया जाना आवश्यक है। विकास योजना का मुख्य केन्द्र समग्र विकास होना चाहिए। ग्राम पंचायत विकास योजना ग्राम पंचायतों को स्टार्ट रूप से विकसित करने के लक्ष्य को संकल्पित रहेगी तथा इसे स्टार्ट ग्राम – स्टार्ट पंचायत योजना के नाम से जाना जायेगा। विकास के लिए पंचायतों को प्राप्त होने वाली को संकलित रूप में रिसोर्स एनवलप के नाम से जाना जायेगा। ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली अन्य राशि भी इसी में समाहित होती जायेगी।

ग्राम पंचायत के मार्गदर्शन में विकास योजना तैयार करने की यह प्रक्रिया पूर्णतः स्थानीय परिवेश के अनुसार परस्पर सहभागिता पर आधारित होगी। इस संदर्भ में गांव स्तर पर विकास के मुख्य दो घटक होते हैं पहला संसाधनों की उपलब्धता एवं दूसरा क्षेत्र की प्राथमिकताएं। एक व्यवस्थित तरीके से संसाधनों एवं प्राथमिकताओं के मध्य संतुलन बनाकर किये जाने वाले कामों के लिए तैयार किये गये दस्तावेज को उस क्षेत्र की विकास योजना के रूप में जाना जा सकता है। इससे संसाधनों के उपयोग की एक तार्किक, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। संसाधनों को लोगों खासकर अलग अलग समूहों के विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयोग किया जा सकता है एवं इस काम में आमजन के ज्ञान, अनुभव एवं बुद्विमत्ता को भी शामिल किया जा सकता है।

विकास योजना के घटक

ग्राम पंचायत विकास योजना की इस प्रक्रिया में अधोसंरचनात्मक विकास केवल एक घटक होगा। यथासंभव इस योजना में ग्राम पंचायत के सभी क्षेत्रों एवं पहलुओं को शामिल किया जायेगा, जिसमें निम्न घटक होंगे–

1. आर्थिक विकास : आजीविका एवं रोजगार
2. सामाजिक सुरक्षा एवं मानव विकास
3. सहभागिता तथा उत्तरदायित्व : सुशासन एवं सेवाओं की प्रदायगी
4. अधोसंरचना विकास
    - सामुदायिक संरचनाएं
    - पेयजल व्यवस्था एवं जल प्रदाय

- सामुदायिक स्वच्छताा
- जल संरक्षण एवं संवर्धन
- पंचायत भवनों में मूलभूत सुविधाओं का विकास
- अन्य कार्य

विकास योजना का निर्माण

ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजना तैयार करने के लिए एक चरणबद्व योजना तैयार की जाती है जिसके निम्न चरण हैं –

वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा की बैठकों में ग्राम पंचायत विकास योजना स्टार्ट ग्राम – स्टार्ट पंचायत की अवधारणा तथा आवश्यकता पर चर्चा की जाकर जनमानस तैयार किया जायेगा। ग्राम पंचायत के मुख्य स्थानों पर दीवारों पर लेखन करके जानकारी दी जायेगी। वातावरण निर्माण में स्वसहायता समूहों, युवा एवं किसान समूहों, सांस्कृतिक समूहों का सहयोग लिया जा सकता है। इससे ग्राम पंचायत के सभी लोगों को ग्राम पंचायत की योजना के बारे में जानकारी मिल सकेगी एवं उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

स्थिति का विश्लेषण

विकास योजना बनाने से पूर्व यह जरूरी है कि उसके सभी घटकों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया जाये। वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है –

1. **बेसलाइन सर्वे**

   बेसलाइन प्रक्रिया के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न घटकों एवं पहलुओं की वर्तमान दशा क्या है। एक सर्वेक्षण करके यह जानकारी एकत्र की जाती है एवं इस जानकारी का उपयोग जरूरतों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है।

2. **स्थिति विश्लेषण के अन्य तरीके**

   यद्यपि कि बेसलाइन सर्वे से स्थिति का एक विश्लेषण किया जात है पर कई बार कुछ तथ्य एवं सदर्भ बेसलाइन में छूट जाते हैं। अतः स्थिति का पूर्ण विश्लेषण करने के लिए अन्य तरीके भी अपनाए जाते हैं। कुद तरीके निम्न हैं –

   - **संबद्व व्यक्तियों व परिवारों से चर्चा** – यह सर्वविदित है कि गांव के लोग बाहरी लोगों की अपेछा अपने गांव को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। उन्हें न केवल वर्तमान स्थितियों के बारे में पता होता है बल्कि बेहतर समाधान के बारे में भी जानकारी होती है। इस तरह गांव

के अलग अलग समुदायों, समूहों से जानकारी एकत्र करके वास्तविक समस्याओं व स्थितियों का विवरण रखा जाता है।

- **ट्रांजिट वाक** – ट्रांजिट वाक के जरिये गांव में भ्रमण करके वास्तविक स्थिति को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है।
- **ग्रामसभा** – ग्रामसभा गांव के बारे में जानकारी एकत्र करने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। ग्रामसभा की पूर्व तैयारी करके यदि लोगों को ग्रामसभा में जोड़ा जाये तो पूरे गांव की जानकारी एवं लोगों के अनुभवों एवं उनके विश्लेषण को प्राप्त किया जा सकता है।
- **सहभागिता पूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन** – सहभागितापूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन स्थिति विश्लेषण का अधिक वैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में प्रशिक्षित दल द्वारा गांव के लोगों के साथ मिलकर वास्तविक स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ टूल्स का उपयोग किया जाता है –

सोशल मैपिंग – यह स्थानीय व्यक्तियों खासतौर पर महिलाओं द्वारा तैयार किया गया एक मानचित्र है जिसमें विभिन्न श्रेणियों, महत्वपूर्ण संस्थानों, भौतिक एवं सामाजिक संरचनाओं तथा अन्य सुख सुविधाओं के अनुसार परिवारों को दर्शाया जाता है। यह मानचित्र गांव के लोगों द्वारा आमतौर पर जमीन पर तैयार किया जाता है।

संसाधन मैंपिंग – इस प्रक्रिया के तहत गांव में उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। इस मानचित्र में मुख्य रूप से भूमि उपयोग, जल निकासी एवं सिंचाई के साधन एवं भूमि के स्वरूप आदि के बारे में दर्शाया जाता है।

इसके अलावा प्राब्लम मेट्रिक्स, नीड मेट्रिक्स, पंचायत द्वारा पूर्व में एकत्र की गयी जानकारी भी स्थिति विश्लेषण में सहायक हो सकती है। स्थिति विश्लेषण से मुख्य रूप से अधोसंरचना एवं सेवाओं व सुविधाओं में कमी तथा संसाधनों की स्थिति के बारे में पता करने एवं उसके समाधान के बिंदुओं को तलाशने में मदद मिलती है।

आवश्यकता का निर्धारण

स्थिति के विश्लेषण बाद पंचायत के भिन्न क्षेत्रों, गांवों एवं समुदायों में वर्तमान स्थिति का पता चल जाता है। इन स्थितियों से आवश्यताओं की पहचान की जाती हैं एवं यह निर्धारित किया जाता है कि हमारी कौन कौन सी जरूरतें हैं जिन्हें हम योजना बनाकर पूरा कर सकते हैं।

प्राथमिकता निर्धारण

विकास योजना बनाने में प्राथमिकता का निर्धारण बहुत अहम पहलू है। इस प्रक्रिया में चिन्हित आवश्यकताओं को प्राथमिकता के क्रम में सूचीबद्व किया जाता है। यानि जो कार्य जयादा आवश्यक हैं उन्हें पहले पूरा करने हेतु निर्धारित किया जाता है। यहां यह देखना जरूरी होता है कि प्राथमिकता निर्धारण में किसी क्षेत्र, समुदाय व बसाहट की अनदेखी न हा यानि सबको समान दृष्टि से देखा जाये एवं कौन सा कार्य ज्यादा जरूरी है, इस पर चर्चा हो। प्राथमिकता निर्धारण न्यायपूर्ण हो जिसमें सामाजिक न्याय की झलक दिखायी देती हो। प्राथमिकता सूची को पंचायत पोर्टल पर दर्ज किया जाना चाहिए।

योजना का प्रारूप तैयार करना

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का काम ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत स्थिति विश्लेषण से प्राप्त विभिन्न जानकारी के आधार पर रिसोर्स एनवलप के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिकता का निर्धारण कर विकास योजना तैयार करती है। विकास योजना के दो भाग होते हैं 1. सामुदायिक कार्य। 2. हितग्राही मूलक कार्य। विकास योजना तैयार करने में ग्राम पंचायत अपने दीर्घकालिक लक्ष्य भी निर्धारित कर सकती है। विकास योजना को अनिवार्य रूप से पंचायत दर्पण पोर्टल पर रखा जायेगा।

विकास योजना का ग्रामसभा द्वारा अनुमोदन

ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गयी विकास योजना को ग्रामसभा के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जायेगा। ग्रामसभा द्वारा उदभूत समस्त विषयों को तार्किक आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किया जायेगा। इस संबंध में ग्रामसभा का निर्णय अंतिम होगा। इस प्रकार से तैयार की गयो ग्राम पंचायत विकास योजना को ग्राम पंचायत के द्वारा जनपद पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जायेगा। जनपद पंचायत द्वारा समस्त ग्राम पंचायत से प्राप्त विकास योजना को संकलित कर जिला पंचायत को भेजा जायेगा। जनपद एवं जिला पंचायत विकास योजना में समिलित विषयों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित करेंगी।

ग्राम पंचायत विकास योजना का कियान्वयन

ग्राम पंचायत विकास योजना का कियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। सभी संबंधित विभाग अपने क्षेत्रीय लोक सेवाओं के जरिये योजना के कियान्वयन में भागीदार होंगे। सभी विभाग योजना में सम्मिलित सेवाओं की निरंतर समीक्षा करेंगे। ऐसे विषय जो ग्राम पंचायत की प्रशासकीय व वित्तीय सीमा के बाहर होंगे उनका कियान्वयन संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया अनुसार किया जायेगा। इस कार्य में जनपद पंचायत द्वारा समन्वय किया जायेगा। जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत की योजना के कियान्वयन का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

सामुदायिक योजना – समुदाय द्वारा मिलकर योजना बनाना

गांव के विकास में समुदाय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। समुदाय को अपने गांव व मोहल्ले की प्राथमिकतायें एवं जरूरतें ज्यादा गहराई से पता होती हैं। साथ ही समुदाय को अपनी ताकत एवं स्थानीय संसाधनों की भी बेहतर जानकारी होती है। इस दृष्टि से समुदाय मिलकर गांव की बेहतर योजना बना सकते हैं एवं इस योजना में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। समुदाय जब किसी काम की योजना एवं जिम्मेदारी लेता है तो उस पर उसका स्वामित्व भी अधिक हो जाता है। योजना बनाने के लिए समुदाय को गांव के साझा मुद्दों पर एक साथ आना जरूरी है। समुदाय को जोड़ने के लिए गांव में अलग अलग समूहों से चर्चा करके उन्हें जोड़ना होगा।

गांव स्तर पर आमतौर पर बच्चों, महिलाओं, युवाओं, किसानों आदि के समूह अलग अलग रूपों में हो सकते हैं, जैसे स्वसहायता समूह, बाल समूह, युवा समूह, खेल समूह, भजन मंडली, किसान क्लब आदि।

समुदाय की बैठक

सभी समूह एक साथ मिलकर अपने गांव की समस्याओं एवं जरूरतों पर चर्चा करके एक सूची तैयार कर सकते हैं जो गांव की मुख्य समस्याओं एवं जरूरतों को चिन्हित करेगी। इस चर्चा में गांव के अनुभवी एवं जानकार लोगों जैसे रिटायर्ड शिक्षक, बुजुर्ग, युवा एवं अनुभवी किसान (महिलाएं एवं पुरूष) सहयोगी बन सकते हैं। चर्चा को सहज बनाने के लिए गांव का सामाजिक एवं संशाधन मानचित्रण भी किया जा सकता है। साथ ही चर्चा के द्वारा अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कर सकते हैं। प्राथमिकता निर्धारण में गांव के वंचित, दलित, दिव्यांग, महिलाओं एवं बच्चों का खास ध्यान रखा जाना जरूरी है।

समुदाय की प्राथमिकताओं का निर्धारण हो जाने के बाद जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने की जरूरत होगी। इस स्तर पर प्रयास यह होना चाहिए कि ऐसे मुद्दों को पहले हाथ में लिया जाये जिनमें आवश्यक संसाधन स्थानीय रूप से उपलब्ध हो यानि समुदाय खुद से ही ऐसे जरूरतों को पूरा कर सके। उदाहरण के लिए आंगनवाड़ी या राशन की दुकान से पोषण आहार एवं राशन के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय मिलकर तौर तरीके बना सकता है एवं उससे लोगों को लाभान्वित करा सकता है। इसी तरह पीने के पानी हेतु कुए की सफाई या हैंडपंप को सुधारने के लिए पहल कर सकता है।

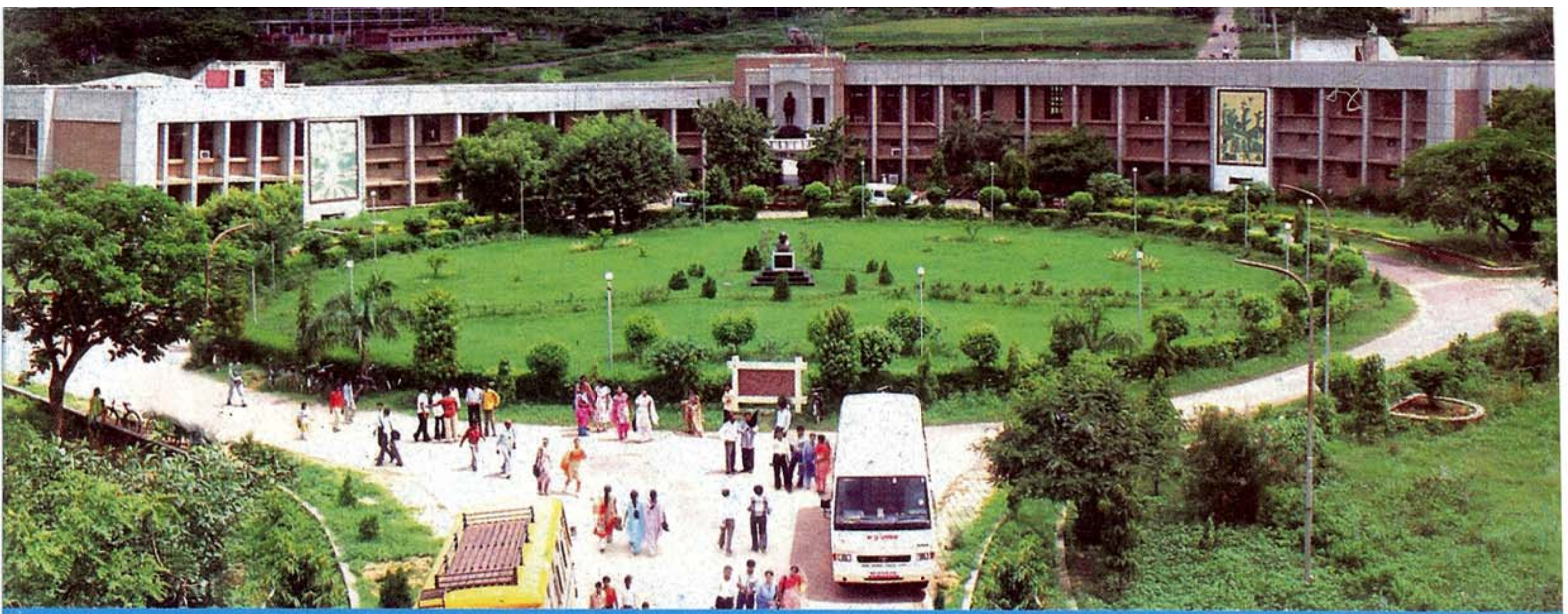
इसी तरह गांव स्तर की संस्थाओं में सुधार हेतु निगरानी तंत्र बनाया जा सकता है जिससे संस्थाओं में सुधार हो सकता है एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि से जुड़ी सुविधाओं एवं सेवाओं का फायदा लोगों को मिल सकता है। साथ ही गांव स्तर पर खेती, परंपरागत संसाधनों का बेहतरी से इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

संसाधन जुटाना

समुदाय द्वारा तैयार योजना के लिए जिन कामों हेतु बाहरी संसाधन जुटाने की जरूरत होगी उसकी पूर्ति हेतु पंचायत एवं अन्य विभागीय स्रोतों से राशि या संसाधन हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है जिसके लिए समुदाय को ग्रामसभा में अपनी बात रखने के लिए एकसाथ आना होगा।

निगरानी एवं मूल्यांकन

समुदाय द्वारा तैयार योजना को क्रियान्वित करने के लिए समुदाय के कुछ लोगों को आगे आना जरूरी है। इस काम में सक्रिय युवा, समूह की महिलाएं एवं अनुभवी लोगों की मिलीजुली टीम बनायी जा सकती है जो समुदाय की पहल को पूरा करने में सहयोगी की भूमिका निभाये।



मध्य प्रदेश-गान

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है।

विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है,
यहां ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है।
उर्वर भूमि, सघन वन, रत्न, सम्पदा जहां अशेष है,
स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है।

चंबल की कल-कल से गुंजित कथा तान, बलिदान की,
खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की।
भीमबैठका आदिकला का पत्थर पर अभिषेक है,
अमृत कुंड अमरकंटक में, ऐसा मध्यप्रदेश है।

क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहां,
महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहां,
कविता, न्याय, वीरता, गायन, सब कुछ यहां विशेष है,
हृदय देश का है यह, मै इसका, मेरा मध्यप्रदेश है।

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्यप्रदेश है।

वन्दे मातरम्

सुजलां, सुफलां, मलयज-शीतलाम्॥
शस्य-श्यामलां, मातरम्। वन्दे मातरम्॥

शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित-यामिनीम्,
फुल्लकुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्,
सुहासिनीं, सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदां, वरदां, मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

कोटि-कोटिकंठ कलकल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृतखरकरवाले।
अबला केनो मा एतो बले।
बहुबलधारिणीं, नमामि तारिणीम्
रिपुदलवारिणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे।
बाहु ते तुमि मां शक्ति, हृदये तुमि मां भक्ति
तोमारई प्रतिमा गड़ि, मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणीं
कमलां कमलदलविहारिणीं
वाणी विद्यादायिनीं, नमामि त्वां, नमामि कमलाम् अमलां अतुलाम्
सुजलां सुफलां मातरम् .... श्यामलां, सरसां, सुस्मितां, भूषिताम्
धरणीं भरणीं मातरम्॥ वन्दे मातरम्॥

Centre for Community Leadership Development Studies
MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
Chitrakoot, Satna (M.P.) - 485 334
Phone : 07670 - 265622, E-mail : cmcldpcourse@gmail.com
www.cmcldp.org